सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

हनुमानगढ मास्टर प्लान

(प्रारूप)

2017—2035

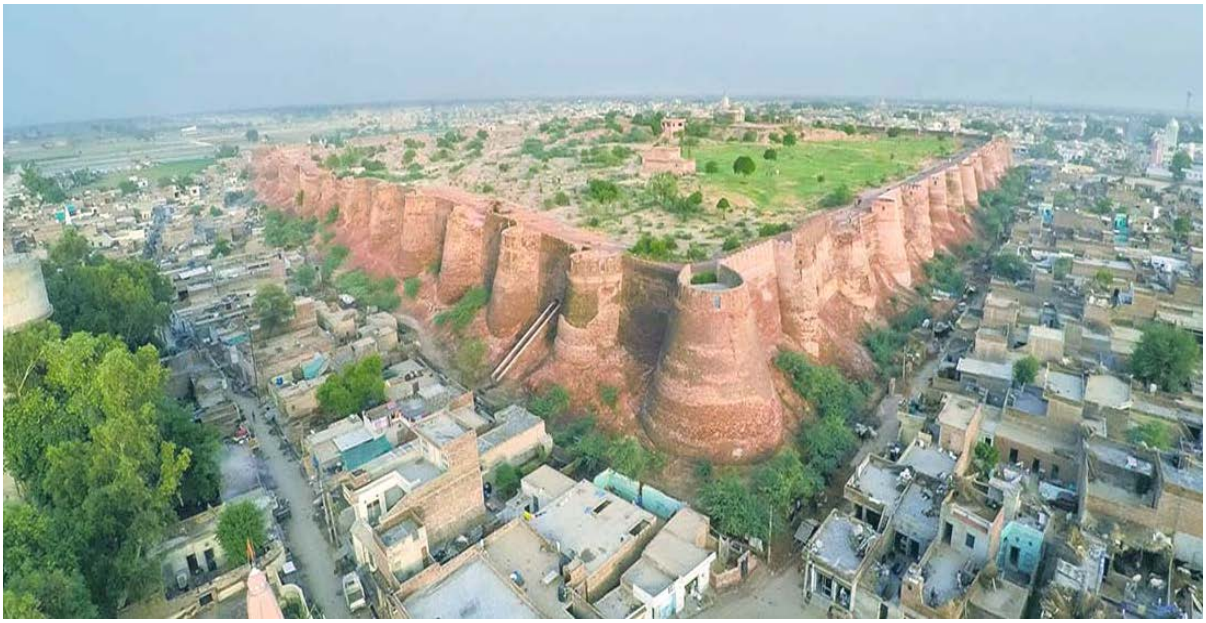

नगर नियोजन विभाग

राजस्थान, जयपुर

प्रस्तावना

भारत के पश्चिम व राजस्थान राज्य के उत्तर–पश्चिम भाग में स्थित हनुमानगढ़ एक महत्वपूर्ण नगर है। यह राज्य की राजधानी व मुख्यालय जयपुर से लगभग 485 किमी. एवं संभागीय मुख्यालय बीकानेर से लगभग 230 किमी. की दूरी पर स्थित है तथा 29°37'33'' उत्तरी अक्षांश और 74°17'15'' पूर्वी देशान्तर पर माध्य समुद्र तल (M.S.L) से 177 मीटर (580.7 फीट) की ऊंचाई पर बसा हुआ है। हनुमानगढ़ शहर सड़क एवं रेल मार्ग द्वारा देश के विभिन्न भागों से भली भांति जुड़ा हुआ है।

वर्ष 1951 में यहाँ की जनसंख्या मात्र 6837 थी जो वर्ष 2001 में बढ़ कर 1,29,556 हो गई। 1951–1961 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक 161.94 प्रतिशत रही जिसमें उत्तरोत्तर वृद्धि होकर जनगणना वर्ष 2011 में 1,50,958 हो गई। विकसित क्षेत्र से सटे हुये चार चकों की जनसंख्या जोड़कर वर्ष 2011 की जनसंख्या 1,75,028 हो जाती है। हनुमानगढ़ नगरीयकरण योग्य सीमा में सम्मिलित राजस्व ग्रामों सहित कुल जनसंख्या (क्षितिज वर्ष 2035 तक) 2,63,700 होने का अनुमान है। इसका कारण मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता में वृद्धि व आसानी से सुविधाएं उपलब्ध होना, यातायात के सुगम साधन यथा संभाग, मुख्यालय एवं आस–पास के क्षेत्र से रेल व सडक मार्ग से जुड़ा होना, आस–पास की आबादियों का नगर परिषद् व नगरीयकरण योग्य सीमा में शामिल होना, आस–पास के क्षेत्रों से रोजगार व अन्य कारणों से लोगों का हनुमानगढ़ की ओर आगमन, घटती मृत्यु दर व बढ़ती जन्म दर आदि का होना है।

जनसंख्या में वृद्धि, नगरीय विकास व विस्तार से सुविधा स्थलों पर दबाव बना रहता है एवं मानवीय आवश्यकताओं, विद्यमान नगरीय समस्याओं के समाधान व भावी सुनियोजित एवं सुव्यवस्थित विकास के लिए दीर्घकालीन योजना तैयार करने की आवश्यकता रहती है। अतः यह आवश्यक समझा गया है कि इन नगरीय समस्याओं पर समय रहते नियंत्रण किया जावे तथा भविष्य में नियोजित विकास के साथ–साथ आम जनता को आवास हेतु बेहतर वातावरण एवं सुविधाएं उपलब्ध कराई जावें, जो एक सुनिश्चित एवं समग्र विकास योजना द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। मास्टर प्लान, जो एक दीर्घकालीन योजना है, के द्वारा उक्त उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। अतः हनुमानगढ़ के प्रथम मास्टर प्लान की अवधि (वर्ष 2016 में) समाप्त हो जाने से इस शहर के भावी योजनाबद्ध विकास के क्रम को निरन्तर आगे बढ़ाने, इसके सुन्दर स्वरूप, एकीकृत एवं नियमित विकास, व नागरिकों को बेहतर आवासीय वातावरण प्रदान करने के लिए नया मास्टर प्लान तैयार करने की आवश्यकता महसूस की गई।

मास्टर प्लान बनाने हेतु राज्य सरकार ने नगर सुधार अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत दिनांक 27.05.2016 को नगरीय विकास विभाग द्वारा जारी अधिसूचना से, हनुमानगढ़ के नगरीय क्षेत्र में 53 चकों/राजस्व ग्रामों को सम्मिलित करते हुए, अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पश्चिम) राजस्थान, जयपुर को हनुमानगढ़ का मास्टर प्लान तैयार करने हेतु अधिकृत किया गया है। लेकिन बढती जनसंख्या के आंकड़ों का नगरीय क्षेत्र निर्धारण बाबत अध्ययन करने पर पाया गया कि अधिसूचित राजस्व ग्रामों में से नगरीय क्षेत्र से अधिक दूर स्थित गांवों को पृथक कर ही मास्टर प्लान हेतु नगरीय क्षेत्र निर्धारित किया जाये। अतः पूर्व में अधिसूचित नगरीय क्षेत्र में से 9 ग्रामों/चकों को नगरीय क्षेत्र से विलोपित करते हुए संशोधित अधिसूचना संख्या प.10(9)नविवि/3/2011 दिनांक 19.4.2018 जारी की गयी है। अतः अब हनुमानगढ मास्टर प्लान के नगरीय क्षेत्र में 44 राजस्व ग्राम/चक सम्मिलित है। नगर नियोजन विभाग के निर्देशन में सलाहकार राजस्थान शहरी पेयजल, सीवरेज एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड द्वारा नियुक्त सुपीरियर ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर कन्सलटेंट प्रा0 लि0 के माध्यम से मास्टर प्लान तैयार कराने का निर्णय लिया। कन्सलटेंट द्वारा नगर नियोजन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सहयोग से विभिन्न सर्वेक्षणों एवं अनुसंधान के पश्चात् वर्ष 2017 के प्रारम्भिक माह तक हुए विकास कार्यो को समायोजित कर एवं स्टेक होल्डर्स मीटिंग में नागरिकों द्वारा प्रदत्त सुझावों को ध्यान में रखते हुए क्षितिज वर्ष–2035 तक के लिये हनुमानगढ़ का प्रारूप मास्टर प्लान तैयार किया गया है। जिसे आमजन से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु प्रकाशित किया जा रहा है।

किसी भी नगर का विकास अंततः उसके नागरिकों की आशाओं और आकांक्षाओं पर निर्भर करता है। कोई भी योजना जो जनहित में बनाई जाती है, जनता के सहयोग के बिना सफल नही हो सकती। अतः इस प्रारूप को अंतिम रूप देने से पहले जन–साधारण से प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों का विस्तार से विश्लेषण एवं अध्ययन कर सुझावों को समाहित किये जाने के पश्चात् ही अंतिम रूप दिया जाकर राज्य सरकार को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जाएगा।

आशा है कि हनुमानगढ़ शहर के प्रबुद्ध नागरिक मास्टर प्लान प्रारूप का अध्ययन कर अपने बहुमूल्य सुझाव प्रेषित करेंगे, जिससे मास्टर प्लान को और भी अधिक व्यावहारिक एवं सर्व मान्य बनाया जा सकेगा।

(विनय कुमार दलेला)
अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पश्चिम)
राजस्थान, जयपुर

आभार

हनुमानगढ़ के सुनियोजित एवं सुव्यवस्थित विकास हेतु मास्टर प्लान का प्रारूप तैयार करने में विशिष्ट जनप्रतिनिधियों, संस्थाओं, प्रबुद्ध व गणमान्य नागरिकों का आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होनें इस शहर के विकास कार्यो के साथ–साथ नगर का मास्टर प्लान बनाये जाने में अपना अमूल्य समय समर्पित किया है। साथ ही जिला कलेक्टर हनुमानगढ़, व आयुक्त नगर परिषद् हनुमानगढ़ का विशेष आभारी हूँ, जिन्होंने मास्टर प्लान (प्रारूप) को तैयार करने में समय–समय पर निरंतर सहयोग प्रदान किया।

मास्टर प्लान (प्रारूप) को तैयार करने के लिए भौतिक, आर्थिक एवं सामाजिक सर्वेक्षण करना आवश्यक होता है। इस विशेष कार्य में विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक निर्माण विभाग, विद्युत वितरण निगम, जिला उद्योग केन्द्र, रीको, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, शिक्षा एवं चिकित्सा विभाग, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, कृषि उपज मंडी समिति, सिचांई, कृषि, वन इत्यादि विभागों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को एवं अन्य निजी संस्थाओं का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, जिन्होनें मास्टर प्लान को तैयार करने में अपना प्रत्यक्ष एवं परोक्ष सहयोग दिया है।

अन्त में मैं, सभी नागरिकों से आशा करता हूँ कि भविष्य में भी शहर के मास्टर प्लान के प्रस्तावों के अनुसार शहर को सुनियोजित एवं सुव्यवस्थित ढंग से विकसित करने में अपना सहयोग देते रहेगें।

उक्त सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण एवं हनुमानगढ़ के गणमान्य नागरिक धन्यवाद के पात्र हैं।

(सुग्रीब सिंह)
वरिष्ठ नगर नियोजक,
बीकानेर जोन, बीकानेर

योजना दल

1.	श्रीमती इंदिरा चौधरी	अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पश्चिम) राजस्थान, जयपुर दिनांक 15.06.2017 तक
2.	श्री ओम प्रकाश पारीक	अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पश्चिम) राजस्थान, जयपुर दिनांक 29.10.2017 तक
3.	श्री विनय कुमार दलेला	अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पश्चिम) राजस्थान, जयपुर दिनांक 30.10.2017 से लगातार
4.	श्री सुग्रीब सिंह	वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर जोन, बीकानेर
5.	श्रीमती प्रीति गुप्ता	वरिष्ठ नगर नियोजक (जेडएसपी) कार्यालय मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर
6.	श्री पुनीत शर्मा	उप नगर नियोजक बीकानेर जोन, बीकानेर
7.	श्री भूपेन्द्र कुमार	सहायक नगर नियोजक बीकानेर जोन, बीकानेर
8.	श्रीमती अपूर्वा पाराशर	सहायक नगर नियोजक, कार्यालय मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर
9.	श्री गुरूदत्त शर्मा	सहायक अभियंता, कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर जोन, बीकानेर
10.	श्री मनोहर लाल	वरिष्ठ प्रारूपकार, कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर जोन, बीकानेर
11.	श्री मोहम्मद सरवर उस्ता	वरिष्ठ प्रारूपकार, कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर जोन, बीकानेर
12.	श्रीमती निकिता विजय	वरिष्ठ प्रारूपकार, कार्यालय मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर
13.	श्री गुलाब चंद्र बैरवा	अन्वेषक ग्रेड प्रथम, जयपुर
14.	श्री अर्जुन नाथ सिद्ध	निजी सहायक, कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर जोन, बीकानेर

सलाहकार

राजस्थान शहरी पेयजल, सीवरेज एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, जयपुर

उप–सलाहकार

सुपिरीयर ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर कन्सलटिंग प्रा0 लि0, नई दिल्ली

विषय सूची

विषय वस्तु **पृष्ठ संख्या**

प्रस्तावना i

आभार iii

योजना दल..... iv

विषय सूची v

तालिका सूची X

1. **परिचय** **1-4**

2. **विद्यमान विशेषताएं** **5–23**

2.1 भौतिक स्वरूप एवं जलवायु 5

2.2 क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य 5

2.3 ऐतिहासिक 7

2.4 जन सांख्यिकीय 8

2.5 व्यावसायिक संरचना 10

2.6 विद्यमान भू–उपयोग 10

2.6.1 आवासीय 11

2.6.1 (अ) आवासन 12

2.6.1 (ब) कच्ची बस्तियाँ 12

2.6.1 (स) शहरी नवीनीकरण 12

2.6.2 वाणिज्यिक 12

2.6.3 औद्योगिक 13

2.6.4 राजकीय 14

2.6.4 (अ) सरकारी एवं अर्द्ध–सरकारी कार्यालय 14

2.6.4 (ब) राजकीय आरक्षित 15

2.6.5 आमोद–प्रमोद 15

2.6.5 (अ) उद्यान खुले स्थल एवं खेल मैदान 15
2.6.5 (ब) स्टेडियम 16
2.6.6 सार्वजनिक एवं अर्द्ध–सार्वजनिक सुविधाएँ 16
2.6.6 (अ) शैक्षणिक सुविधाएँ 16
2.6.6 (ब) चिकित्सा सुविधाएँ 18
2.6.6 (स) सामाजिक / सांस्कृतिक / धार्मिक / ऐतिहासिक 18
2.6.6 (द) अन्य सामुदायिक सुविधाऐं 18
2.6.6 (य) जनोपयोगी सुविधाएं 19
2.6.6 य (i) जलापूर्ति 19
2.6.6 य (ii) जल–मल निकास एवं ठोस कचरा प्रबन्धन 20
2.6.6 य (iii) विद्युत आपूर्ति 20
2.6.6 (र) श्मशान एवं कब्रिस्तान 21
2.6.7 परिसंचरण 21
2.6.7 (अ) यातायात व्यवस्था 22
2.6.7 (ब) बस तथा ट्रक टर्मिनल 22
2.6.7 (स) रेल एवं हवाई सेवा 22
2.7 मास्टर प्लान 2016 की समीक्षा 22

3. नियोजन की नीतियॉ, संकल्पना एवं सिद्धांत 24–31

3.1 नियोजन की नीतियाँ 25
3.2 नियोजन के सिद्धान्त 26

4. **भावी आकार 25–39**
4.1 जन सांख्यिकी 32
4.2 व्यावसायिक संरचना 33
4.3 नगरीय क्षेत्र 34
4.4 नगरीयकरण योग्य क्षेत्र 34

4.5 प्रस्तावित योजना क्षेत्र 34
4.5.1 रावतसर मार्ग योजना क्षेत्र 35
4.5.2 पुराना शहर योजना क्षेत्र 36
4.5.3 सतीपुरा योजना क्षेत्र 36
4.5.4 पुलिस लाईन योजना क्षेत्र 37
4.5.5 कलेक्ट्रेट योजना क्षेत्र 38
4.5.6 उच्च मार्ग विकास नियंत्रण योजना क्षेत्र 38
4.5.7 परिधि नियंत्रण पट्टी योजना क्षेत्र 39

5. **भू–उपयोग योजना** **40–61**

5.1 आवासीय 41
5.1.1 आवासन 42
5.1.2 अफोर्डेबल हाऊसिंग क्षेत्र 42
5.1.3 कच्ची बस्तियां 42
5.2 वाणिज्यिक 43
5.2.1 फुटकर व्यापार 44
5.2.2 थोक व्यापार तथा भण्डारण व गोदाम 44
5.3.3 अनौपचारिक व्यवसाय योजना 45
5.3 मिश्रित भू–उपयोग 45
5.4 औद्योगिक 46
5.5 राजकीय 47
5.6 आमोद–प्रमोद 48
5.6.1 उद्यान, खुले स्थल एवं खेल मैदान 48
5.6.2 स्टेडियम 49
5.6.3 पर्यटन 49
5.6.4 रिवर फ्रंट डेवलपमेंट क्षेत्र 49
5.6.5 मेला स्थल 50

5.7 सार्वजनिक एवं अर्द्ध–सार्वजनिक 50
5.7.1 शैक्षणिक, संस्थान व चिकित्सा संस्थान 51
5.7.1 (अ) शैक्षणिक – (EI) 51
5.7.1 (ब) चिकित्सा संस्थान – (MI) 51
5.7.1 (स) शैक्षणिक, चिकित्सा व अन्य संस्थान – (I) 52
5.7.2 अन्य सामुदायिक सुविधाएं, जनोपयोगी सुविधाएं, सामाजिक / सांस्कृतिक /धार्मिक /ऐतिहासिक एवं सुविधा क्षेत्र 52
5.7.2 (अ) अन्य सामुदायिक सुविधाएं – (OCF) 52
5.7.2 (ब) जनोपयोगी सुविधाएं – (PU) 53
5.7.2 (स) सामाजिक/सांस्कृतिक/धार्मिक/ऐतिहासिक – (SCR) 54
5.7.2 (द) सुविधा क्षेत्र – (FA) 54
5.7.3 श्मशान एवं कब्रस्तान 55
5.8 परिसंचरण 55
5.8.1 प्रस्तावित यातायात संरचना 55
5.8.1 (अ) सड़कों को चौड़ा करना एवं उनका सुधार 57
5.8.1 (ब) चौराहों का सुधार 57
5.8.1 (स) पार्किग व्यवस्था 57
5.8.2 बस, ट्रक टर्मिनल 58
5.8.3 रेल मार्ग 58
5.9 परिधि नियंत्रण पट्टी 58
5.9.1 ग्रामीण आबादी क्षेत्र 59
5.9.2 पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण, एवं जल संरक्षण 60
5.10 डवलपमेन्ट कन्ट्रोल रेगुलेशन 61

6. **योजना का क्रियान्वयन** **62–65**
6.1 वर्तमान आधार 62
6.2 प्रस्तावित आधार 63

6.3 जन सहभागिता व जन सहयोग 63
6.4 भू–उपयोग अंकन एवं भूमि अवाप्ति 64
6.5 उपसंहार 64
6.6 योजना का क्रियान्वयन 65

परिशिष्ट

1. राजस्थान नगर सुधार अधिनियम–1959 के उद्धरण.....66
2. राजस्थान नगर सुधार न्यास (सामान्य) नियम–1962 के उद्धरण.....68
3. राजस्थान नगर सुधार अधिनियम–1959 की धारा 3(1) के अन्तर्गत नगरीय विकास विभाग की संशोधित अधिसूचना दिनांक 27.05.2016 70
4. राजस्थान नगर सुधार अधिनियम–1959 की धारा 3(1) के अन्तर्गत नगरीय विकास विभाग की संशोधित अधिसूचना दिनांक 19.4.2018 72

तालिका सूची

क्र.सं.	तालिका का विवरण	पृष्ठ सं.
1	जनसंख्या वृद्धि दर, हनुमानगढ 1931–2017	9
2	व्यवसायिक संरचना हनुमानगढ 2001–2011	10
3	विद्यमान भू–उपयोग, हनुमानगढ–2017	11
4	सरकारी एवं अर्द्ध–सरकारी कार्यालय, हनुमानगढ 2017	15
5	शैक्षणिक संरचना, हनुमानगढ–2017	17
6	विद्यमान उच्च शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थानों का विवरण, हनुमानगढ–2017	17
7	जलापूर्ति, हनुमानगढ–2017	19
8	विद्युत आपूर्ति, हनुमानगढ 2017	20
9	जनसंख्या वृद्धि की प्रवृति एवं अनुमान हनुमानगढ 1991–2035	33
10	अनुमानित व्यावसायिक संरचना, हनुमानगढ – (2011–2035)	33
11	योजना क्षेत्र, हनुमानगढ : 2035	35
12	प्रस्तावित भू–उपयोग, हनुमानगढ–2035	41
13	प्रस्तावित प्रमुख वाणिज्यिक क्षेत्रों का विवरण हनुमानगढ–2035	44
14	राजकीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग विवरण हनुमानगढ : 2035	47
15	सार्वजनिक एवं अर्द्व–सार्वजनिक सुविधाओं हेतु भू–उपयोग का विवरण, हनुमानगढ 2035	51
16	प्रस्तावित सड़कों का मार्गाधिकार, हनुमानगढ–2035	56
17	सडकों का प्रस्तावित मार्गाधिकार, हनुमानगढ–2035	56

1
परिचय

1
परिचय

हनुमानगढ उत्तरी राजस्थान राज्य का एक महत्वपूर्ण शहर है और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से 360 किमी की दूरी पर एवं राज्य की राजधानी जयपुर से 485 किमी की दूरी पर राजस्थान राज्य के उत्तर–पश्चिमी भाग में स्थित है तथा जिला मुख्यालय है। यह शहर $29^0$37′33′′ उत्तरी अक्षांश एवं $74^0$17′15′′ पूर्वी देशांतर पर माध्य समुद्र तल से 177 मीटर की ऊँचाई पर बसा है। प्राचीनकाल में सरस्वती एवं द्वन्द्वती नाम की नदियाँ यहाँ बहतीं थीं। हनुमानगढ कस्बे को हनुमानगढ जंक्शन एवं टाऊन के रूप में घग्घर नदी विभाजित करती हुई शहर के मध्य में से निकलती है। जैसलमेर के राजा भूपाल सिंह जिसने अपने पिता ''भाटी'' की याद में वर्ष 295 ई. में यहाँ किले का निर्माण कराया, जिससे इसका नाम ''भटनेर'' पड़ा। वर्ष 1805 ई. में बीकानेर के शासक सूरतसिंह ने जैसलमेर के भाटियों को युद्ध में हराया और विजय के दिन हनुमान जी का वार ''मंगलवार'' होने की वजह से इसका नाम बदलकर हनुमानगढ रख दिया। इसके बाद हनुमानगढ लगातार बीकानेर संभाग का ही भाग रहा है।

प्राचीनकाल में दिल्ली–मुल्तान मार्ग पर स्थित होने से इसका व्यापारिक दृष्टि से बड़ा महत्व था। मध्य एशिया, सिंध व काबुल के व्यापारी मुल्तान से भटनेर होते हुए दिल्ली व आगरा आते–जाते थे। घग्घर नदी के बहाव क्षेत्र में होने के कारण भी सदैव भटनेर किले का महत्व बना रहा। यह प्राचीनकाल में जांगल प्रदेश का भाग था जहाँ साल भर फसलें हुआ करती थीं। शहर का प्रारम्भिक विकास भटनेर किले के आसपास हुआ। वर्तमान शताब्दी के दौरान यहाँ बहुत से विकास कार्य हुए, जिनमें जिला मुख्यालय हनुमानगढ को रेल यातायात से आसपास के क्षेत्रों से जोड़ना, राजकीय कार्यालय, नगर पालिका/नगर परिषद्, शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थानों, बैंकों की स्थापना तथा विभिन्न सरकारी परियोजनाओं के आगमन से तीव्र गति से विकास हुआ है।

सन् 1950 के दशक में इस क्षेत्र में भाखड़ा एवं इन्दिरा गाँधी नहर का निर्माण आरम्भ होने पर पुराने शहर (टाऊन) से दूर एवं घग्घर नदी के दूसरी ओर पश्चिम में एक नई कॉलोनी राज्य के सिंचाई विभाग द्वारा बसाई गई। पचास के दशक के बाद यह शहर दो कस्बों ट्विन टाऊन (टाऊन–जंक्शन) के रूप में विकसित होता गया। 60 के दशक में इसे उपनिवेशन अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचित किया गया तथा इसके विकास हेतु मण्डी विकास समिति के नाम से एक स्वतन्त्र संस्था का गठन किया गया तथा आर्थिक एवं सामाजिक संस्थाओं के साथ–साथ राजकीय कार्यालयों की स्थापना भी की गई। हनुमानगढ को अन्य नगरों से पक्की सड़कों से जोड़ने के कार्य में भी सुधार लाया गया और इसे यहाँ से सूरतगढ, श्रीगंगानगर, अबोहर, संगरिया, डबवाली, रावतसर एवं अन्य दूसरे नगरों को पक्की सड़कों द्वारा जोड़ा गया। हनुमानगढ टाऊन के पूर्वी भाग में व जंक्शन में अनाज मण्डी की स्थापना की गई एवं रीको द्वारा एक औद्योगिक क्षेत्र जंक्शन

क्षेत्र में भी श्रीगंगानगर रेलवे लाईन के पार विकसित किया गया। शहर में बस स्टैण्ड, अस्पताल एवं आवासीय योजनाओं आदि का भी प्रावधान किया गया।

हनुमानगढ काफी तेजी से विकसित होता नगर है जो एक बडे एवं महत्वपूर्ण शहर के तौर पर विकसित होने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। वर्ष 1931 में यहाँ की जनसंख्या मात्र 3,468 थीं जो वर्ष 2001 में 1,29,556 व वर्ष 2011 में बढ़कर 1,50,958 हो चुकी है। विकसित क्षेत्र से सटे हुये चार चकों की जनसंख्या जोड़कर वर्ष 2011 की कुल जनसंख्या 1,75,028 इसके विकास एवं विकास की संभावनाओं, कच्ची बस्तियों का फैलाव, अवैध निर्माण, अव्यवस्थित व अनियोजित विकास की समस्याओं को ध्यान में रखकर इसका प्रथम मास्टर प्लान वर्ष 1996 में तैयार किया गया था। छोटे एवं मध्यम कस्बों/नगरों से बड़े शहरों की ओर जनसंख्या के पलायन को रोकने हेतु सरकार द्वारा समय–समय पर कदम उठाये जाते रहे हैं। इसी क्रम में भारत सरकार द्वारा आई.डी.एस.एम.टी. आदि योजनाओं को स्वीकृत कर ऋण/अनुदान के द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई। इसके तहत हनुमानगढ में दो आवासीय योजनाएं, एक ट्रांसपोर्ट नगर तथा आठ सुधार योजनाएं विकसित की गईं।

भौतिक दृष्टि से यह शहर प्रायः सभी दिशाओं में विकास की ओर अग्रसर है। खाली पड़ी भूमि पर ही विकास हो रहा है। जल–मल निकास की सुव्यवस्था तथा सीवरेज प्रणाली की पूर्ण व्यवस्था अभी तक नहीं होने से सामुदायिक एवं सार्वजनिक सेवाओं पर भी दबाव बढ़ रहा है व गंदा पानी निचले स्थलों पर इकट्ठा हो रहा है। ऑटो पार्ट्स की दुकानों व वर्कशॉप के बाहर खड़े ट्रकों, वाहनों का सड़क पर ही मरम्मत कार्य किया जाता है जिससें स्थानीय व बाहरी यातायात में अवरोध पैदा होता है एवं सड़क मार्ग भीड़ भरा व संकरा रहता है। शहर में अधिकांश भवन बिना सैट बैक के निर्मित हैं, जिनमें पार्किंग हेतु कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। पार्किंग सड़कों पर की जाती है। औद्योगिक एवं वाणिज्यिक क्षेत्रों में सड़क मार्गाधिकार में अस्थाई/स्थायी निर्माण कर उनकी वास्तविक चौड़ाई कम कर दी गयी है, जिससें सुगम यातायात में काफी समस्या रहती है। पुरानी एवं अनाधिकृत रूप से बसी बस्तियों में मूलभूत सुविधाओं व पार्किंग का अभाव है।

इन समस्याओं हेतु एक सुव्यवस्थित योजना का निर्माण करना आवश्यक है। शहर के विकास हेतु मुख्य कार्य टाऊन एवं जंक्शन दोनों में, पहले मण्डी विकास समिति एवं बाद में नगर पालिका/नगर परिषद् के द्वारा किया जाता रहा है। युग्म शहर होने की वजह से शहरी स्तर पर जो सुविधाएं जंक्शन को दी जानी होती है वही टाऊन को भी देनी होती है, जो कि निर्धारित मानदण्डों से कुछ अधिक देनी आवश्यक हो गई है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए शहर के भविष्य की रूप रेखा तैयार की गयी है एवं प्रयास किया गया है कि भविष्य में शहर के बढ़ते आकार को देखते हुए इस युग्म शहर का नियोजन इस प्रकार से हो कि यह एक व्यवस्थित एवं नियोजित शहर दृष्टिगोचर हो।

अतः उपर्युक्त सभी कारणों से उत्पन्न समस्याओं का हल ढूंढने एवं नगर के भावी विकास को सही दिशा देने के लिए वर्ष 1996 में हनुमानगढ का प्रथम मास्टर प्लान क्षितिज वर्ष 2016 के लिए तैयार किया गया था। जिसे राज्य सरकार द्वारा दिनांक 13.5.2003 में स्वीकृत किया गया। प्रथम मास्टर प्लान के नगरीय क्षेत्र में 35 राजस्व ग्रामों/चकों को सम्मिलित किया गया। शहर की वृद्धि एवं विकास मास्टर प्लान के प्रावधानों के अनुरूप होना अपेक्षित किया गया था, किंतु भौतिक विकास पूर्णतः मास्टर प्लान के अनुरूप नहीं हो पाया है। हनुमानगढ के अनुमोदित प्रथम मास्टर प्लान की अवधि समाप्त होने के कारण इसे राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 10(19)नविवि/3/96 जयपुर दिनांक 30.12.2016 से एक वर्ष अर्थात् दिनांक 31.12.2017 व समसख्यंक अधिसूचना दिनांक 28.12.2017 के द्वारा प्रथम मास्टर प्लान की अवधि को दिनांक 30.6.2018 तक पुनः बढाया गया है। अतः आवश्यक हो गया है कि हनुमानगढ शहर का नया मास्टर प्लान तैयार किया जावे। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 35 सन् 1959 की धारा 3 की उप–धारा (1) के तहत क्रमांक प.10(7)नविवि/3 जयपुर दिनांक 27.5.2016 को अधिसूचना जारी कर अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पश्चिम) राजस्थान जयपुर को मास्टर प्लान तैयार करने हेतु अधिकृत किया है। राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में 53 राजस्व ग्रामों/चकों को सम्मिलित किया गया। लेकिन बढती जनसंख्या के आंकड़ों का नगरीय क्षेत्र निर्धारण बाबत अध्ययन करने पर पाया गया कि अधिसूचित राजस्व ग्रामों में से नगरीय क्षेत्र से अधिक दूर स्थित गांवों को पृथक कर ही मास्टर प्लान हेतु नगरीय क्षेत्र निर्धारित किया जाये। अतः पूर्व में अधिसूचित नगरीय क्षेत्र में से 9 ग्रामों/चकों को नगरीय क्षेत्र से विलोपित करते हुए संशोधित अधिसूचना संख्या प.10(9)नविवि/3/2011 दिनांक 19.4.2018 जारी की गयी है। अतः अब हनुमानगढ मास्टर प्लान के नगरीय क्षेत्र में 44 राजस्व ग्राम/चक सम्मिलित है।

अधिसूचना की अनुपालना में शहर का भौतिक एवं आर्थिक–सामाजिक सर्वेक्षण किया गया तथा द्वितीयक स्त्रोतों के माध्यम से आवश्यक सूचनाएं संकलित कर उनका विश्लेषण किया गया एवं इनके आधार पर हनुमानगढ के मास्टर प्लान का प्रारूप तैयार किया गया। इस मास्टर प्लान का आधार वर्ष 2017 व क्षितिज वर्ष 2035 रखा गया है। शहर की अनुमानित जनसंख्या हेतु विभिन्न नगरीय आवश्यकताओं का निर्धारण कर उनको योजनाबद्ध व समन्वित रूप से योजना रूप में प्रस्तावित किया गया है। मास्टर प्लान के क्षितिज वर्ष 2035 में जनसंख्या 3,63,700 हो जाने का अनुमान है। इस अनुमानित जनसंख्या के लिए 7692 हैक्टेयर नगरीयकरण योग्य क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है, जो कुल अधिसूचित नगरीय क्षेत्र 16737 हैक्टेयर का 45.95 प्रतिशत है। इस मास्टर प्लान प्रारूप में नगर मानचित्र, सामान्यकृत विद्यमान भू–उपयोग मानचित्र, भू–उपयोग योजना मानचित्र 2035 एवं अधिसूचित क्षेत्र की सीमाओं को दर्शानें वाला नगरीय क्षेत्र मानचित्र सम्मिलित किये गये हैं।

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 5 (1) के प्रावधानों के अन्तर्गत आम जनता से आपत्ति/सुझाव प्राप्त करने हेतु मास्टर प्लान का प्रारूप प्रकाशित किया जा रहा है। निर्धारित समयावधि में प्राप्त आपत्तियों/सुझावों का अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाकर यथोचित आपत्तियों/सुझावों को समाहित कर इसे राज्य सरकार को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जावेगा।

2
विद्यमान विशेषताएं

2

विद्यमान विशेषताएं

हनुमानगढ एक विकासशील नगर है। यह प्रशासनिक दृष्टि से जिला, उपखण्ड, तहसील व पंचायत समिति मुख्यालय है। यहां विगत वर्षों में विकास के साथ कुछ नगरीय समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। अतः नगर का भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक सर्वेक्षण कर यहां की विशिष्ट भौगोलिक विशेषताओं, नगर का ऐतिहसिक विकास, जनसंख्या, वृद्वि, व्यावसायिक संरचना, विद्यमान भू–उपयोग, सूचनाओं का संकलन, विश्लेषण, आंकड़ों का सारिणीकरण कर संक्षिप्त विवरण तैयार किया गया, जिसके आधार पर नियोजन की नीतियों एवं सिद्धांतों का निर्धारण करते हुए मास्टर प्लान के प्रस्ताव एवं इसके क्रियान्वयन के ठोस प्रावधान किए गए हैं। इस अध्याय में उक्त सभी तथ्यों एवं उनके प्रभावों का संक्षेप में उल्लेख है।

2.1 भौतिक स्वरूप एवं जलवायु

यहां की जलवायु गर्म एवं अर्द्धशुष्क है। मरूस्थलीय भू–भाग के समीप होने से ग्रीष्म ऋतु में अधिकतम तापमान 48^0 सेल्सियस या इससे भी अधिक पहुंच जाता है। विभिन्न ऋतुओं में तापक्रम में उतार–चढाव रहता है। ग्रीष्मकाल में तापमान अत्यधिक गर्म तथा शीतकाल में अत्यधिक ठण्डा रहता है। प्रायः जून माह अत्यधिक गर्म एवं जनवरी माह अत्यधिक ठण्डा रहता है। यहाँ औसत अधिकतम तापमान 32.9^0 सेल्यियस तथा न्यूनतम 27.0^0 सेल्सियस तक रहता है। इस क्षेत्र में वर्षा कम होती है। वार्षिक औसत वर्षा 233.8 मिली मीटर है। अधिकांश वर्षा मानसून काल में होती है। यहाँ अनावृष्टि, अनिश्चित एवं अनियमित वर्षा की स्थिति बनी रहती है। ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी आंधियाँ चलती हैं। प्रचलित हवाओं की दिशा (Prevaling Wind Direction) ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण–पश्चिम से उत्तर–पूर्व दिशा में तथा शरद ऋतु में उत्तर–पूर्व से दक्षिण–पश्चिम दिशा की तरफ रहती है। गर्मियों के महीने सबसे शुष्क होते हैं तथा उस समय आर्द्रता सबसे कम अर्थात् 20 से 25 प्रतिशत तक रह जाती है।

2.2 क्षेत्रीय परिपेक्ष्य

उत्तरी राजस्थान में हनुमानगढ जिला $29^0$37′33′′ उत्तरी अक्षांश और $74^0$17′15′′ पूर्वी देशान्तर पर स्थित है। यह दिल्ली से लगभग 360 किमी दूर स्थित है। राजस्थान के उत्तरी भाग में स्थित जिले के उत्तर–पूर्व में पंजाब–हरियाणा राज्यों की सीमाएं लगती हैं। दक्षिण में चूरू व बीकानेर तथा पश्चिम में श्रीगंगानगर जिला स्थित है। हनुमानगढ जिला 9656.09 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। जिले की जनसंख्या वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 15.18 लाख तथा वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 17.74 लाख

थी। प्रशासनिक दृष्टि से जिला दो उपखण्डों एवं सात तहसीलों में बंटा हुआ है। जिले में 1874 गांव हैं, जिनके विकास के लिए 7 पंचायत समितियां एवं 251 ग्राम पंचायतें कार्यरत हैं।

जिले में पांच नगर पालिकाएं व एक नगर परिषद् हैं। सिंचाई के मुख्य स्त्रोत भाखड़ा व इन्दिरा गाँधी नहर हैं। शिवालिक पहाड़ियों से निकलने वाली घग्घर नदी में वर्षा के समय में पानी की अधिकता के कारण पानी आता है। यहां पांच तरह की मिट्टी पाई जाती है जिसमें दोमट मिट्टी, घग्घर उपजाऊ, सेमग्रस्त, अर्द्व मरूस्थलीय व मरूस्थलीय (बालू) है। यहां उन्नत किस्म का चावल, गेहूं, चना, नरमा, कपास, सरसों, तारामीरा आदि हर तरह की फसलें होती हैं। जिले का 82.55 प्रतिशत भाग कृषि योग्य है। कुल क्षेत्र का 1.88 प्रतिशत जंगलात एवं गोचर भूमि और कृषि के लिए एवं अनुपयुक्त भूमि 15.57 प्रतिशत है।

क्षेत्र के निवासियों का व्यवसाय कृषि, पशुपालन, व्यापार, वाणिज्य, परिवहन, संचार तथा कृषि आधारित उद्योग आदि हैं। जिप्सम के भण्डार यहां प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ये भण्डार मुख्य रूप से रावतसर, नोहर, भादरा तहसील क्षेत्रों में बहुतायत में हैं। इन क्षेत्रों में वर्ष 1980–81 में खनन कार्य आरम्भ हुआ। वर्तमान में खुईयां, पल्लू, पूरबसर, जसरासर आदि ग्रामीण इलाकों के भू–भाग में जिप्सम निकालने का कार्य चल रहा है। इससें जिले में खनिज आधारित उद्योग पनपने की प्रबल संभावनाएं हैं। इस उद्योग में जिले के लगभग सात हजार लोगों को परोक्ष व प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला हुआ है। जिले के गांव न्योलखी, खोपरा, सोराणी, हमीरसर आदि में भी खनिज उपलब्ध है। अतः जिप्सम खनिज का वैज्ञानिक तरीके से दोहन एवं बेहतर यातायात सुविधाओं से क्षेत्र का विकास हो सकता है।

हनुमानगढ जिले का भौगोलिक क्षेत्र 9656.09 वर्ग किलोमीटर है। यह सूरतगढ से राज्य राजमार्ग संख्या 94, श्री गंगानगर से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 54, टिब्बी से राज्य राजमार्ग संख्या 99, अबोहर से राज्य राजमार्ग संख्या 7 ए व रावतसर से राज्य राजमार्ग संख्या 7 के द्वारा भली भाँति जुड़ा हुआ है। हनुमानगढ रेल मार्ग से भटिण्डा, पंजाब से अच्छी तरह से जुड़ा है। हनुमानगढ जिले में समीप ही गोगामेड़ी नामक धार्मिक स्थल पर गोगानवमी (भादवा माह की नवमी) पर महीने भर के लिए विशाल मेला आयोजित होता है तथा स्थल से लगभग 2 किमी की दूरी पर गुरू गोरखनाथ जी के नाम से प्रसिद्ध गोरख टीला व प्रसिद्ध तालाब भी है जिसमें हर वर्ष लाखों श्रद्धालु स्नान करने व मेले में भाग लेने आते हैं।

2.3 ऐतिहासिक

लगभग 15 सदियों तक ''भटनेर'' के नाम से पहचाना जाने वाला हनुमानगढ आज जिला मुख्यालय है। शिवालिक पहाड़ियों से निकली सरस्वती एवं द्वन्द्वति नाम की नदियाँ प्राचीनकाल में यहाँ बहती थीं। इन नदियों के मध्य स्थित यह क्षेत्र ''ब्रह्मावर्त'' कहलाता था। यह संपूर्ण क्षेत्र सरस्वती घाटी का हिस्सा था। वर्तमान में हनुमानगढ कस्बे को दो भागों अर्थात् हनुमानगढ जंक्शन एवं टाऊन के रूप में घग्घर नदी विभाजित करती हुई शहर के बीच में से निकलती है। इस नदी का बहाव क्षेत्र हनुमानगढ जिले का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है। यही बहाव कभी पौराणिक काल (माइथोलोजिकल एरा) में सरस्वती घाटी के रूप में जाना जाता था। जैसलमेर के राजा भूपाल सिंह ने अपने पिता ''भाटी'' की याद में सन् 1295 में यहाँ किले का निर्माण करवाया था। करीब 50 बीघा भू–भाग में फैले 6380 कंगूरों व बुर्जों के इस किले का नाम ''भटनेर'' रखा। इस किले पर अधिकतर समय जाटों का राज्य रहा। सन् 1805 ईस्वी में बीकानेर के शासक सूरत सिंह ने भाटियों को हराकर दुर्ग पर अधिकार जमा लिया। विजय के दिन मंगलवार होने के कारण भटनेर का नाम बदल कर हनुमानजी के नाम पर हनुमानगढ (भटनेर) रख दिया गया, इसके बाद से ही हनुमानगढ लगातार बीकानेर संभाग का ही भाग रहा है।

भटनेर का सर्वाधिक महत्व दिल्ली मुल्तान मार्ग पर स्थित होने के कारण था। मध्य एशिया, सिंध व काबुल के व्यापारी मुल्तान से भटनेर होते हुए दिल्ली व आगरा आते–जाते थे। घग्घर नदी के बहाव क्षेत्र होने के कारण भी सदैव भटनेर के किले का महत्व बना रहा। तत्कालीन ''जांगल'' प्रदेश का यही एकमात्र ऐसा क्षेत्र था जहाँ सालभर फसलें हुआ करती थीं। बीकानेर के महाराजा गंगासिंह के शासनकाल में सन् 1902 में हनुमानगढ को पहली बार रेल सेवा से जोड़ा गया। 1908 में पोस्ट–ऑफिस की स्थापना और 1909 में नगर पालिका की स्थापना से नगर में विकास होने आरम्भ हुए। 1917 में हनुमानगढ दुर्ग के जाट–एंग्लो–संस्कृत मिडिल स्कूल खोली गई। अतः शिक्षा के क्षेत्र में यह पहला कदम था। किले के दक्षिणी भाग में नगर का फैलाव हुआ, क्योंकि इसके उत्तरी भाग में घग्घर का बहाव क्षेत्र होने की वजह से यह आबादी के लिए सुरक्षित नहीं था।

नगर के महत्वपूर्ण विकास का कार्य सन् 1923 से आरम्भ हुआ, जब हनुमानगढ को सादुलशहर–श्रीगंगानगर एवं 1927 में नोहर–भादरा को रेल सेवा द्वारा यातायात के लिए जोड़ा गया। सन् 1947 में हनुमानगढ टाऊन में स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर बैंक की स्थापना की गई, जिससे इसके विकास को और बढावा मिला। 1960 तक हनुमानगढ टाऊन में ही लोग आबाद थे। हनुमानगढ जंक्शन केवल रेल विभाग के लोगों के रहने का स्थान था। सभी कार्यालय टाऊन में ही हुआ करते थे। फिर बढती आबादी और फैलते उद्योग धन्धों के कारण जंक्शन को आबाद करने के बारे में विचार किया गया। सरकार ने हनुमानगढ जंक्शन में मण्डी एवं आवासीय क्षेत्र निर्धारित किये।

हनुमानगढ क्षेत्र को सन् 1954 में भाखड़ा नहरों का पानी मिलना शुरू हुआ तथा, फिर इंदिरा गाँधी नहर से वर्ष 1961 में पानी मिलना आरम्भ हुआ। इस क्षेत्र में राजस्थानी लोग तो थे परन्तु नहर आने पर पंजाब से भी लोग यहाँ आकर बसने लगे। 1960 और 1970 के दशकों में हनुमानगढ में सिंचाई, विद्युत, टेलीफोन एवं कृषि विपणन के क्षेत्र में हुई प्रगति से अच्छा विकास हुआ। यहाँ पर कर्मचारियों/अधिकारियों की एक अलग कॉलोनी बस गई। इस प्रकार कई आवासीय बस्तियों के निर्माण के साथ–साथ सरकारी कार्यालय, अस्पताल एवं कॉलेज आदि की स्थापना की गई। सन् 1966 में यहां नेहरू मेमोरियल कॉलेज की स्थापना टाऊन में की गई तथा इसके पश्चात् कन्या महाविद्यालय जंक्शन में खोला गया। कुछ सुनियोजित बस्तियों का हनुमानगढ टाऊन में रावतसर सड़क पर वार्ड संख्या 21, 22 व 23 ओर जंक्शन में बीकानेर सड़क पर राजस्थान आवासन मण्डल की खुंजा आवासीय योजना व नुवां गांव के समीप गन्ना फार्म क्षेत्र में भी राजस्थान आवासन मण्डल की बहुमंजिला आवासीय योजना का विकास हुआ है। रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्र हनुमानगढ जं. के उत्तर–पश्चिम में श्रीगंगानगर रेलवे लाईन के पास विकसित किया गया है व एक बड़े औद्योगिक क्षेत्र को शहर के दक्षिण में रावतसर रोड पर विकसित किया जाना प्रस्तावित है। सन् 1978 में हनुमानगढ–भटिण्डा रेल लाईन को बड़ी लाईन से जोड़ने से यहाँ का विकास अब द्रुतगति से हो रहा है। 1994 में जिला मुख्यालय घोषित किए जाने के फलस्वरूप हनुमानगढ जं. में मिनी सचिवालय का निर्माण हुआ। अतः अब शहर का विकास टाऊन में रावतसर सड़क पर मुख्य रूप से तथा जंक्शन में बीकानेर सड़क एवं उत्तर–पश्चिम दिशा में विशेष कर हो रहा है।

साठ के दशक में हनुमानगढ शहर में अनियंत्रित बाढ के पश्चात् हनुमानगढ जं. व हनुमानगढ टाऊन में विभाजित करने वाली मौसमी नदी घग्घर के तटबंधों को राजकीय स्तर पर ऊँचा उठाया गया व दोनों ओर के सुरक्षा बंध को बांधा गया ताकि बाढ के समय घग्घर नदी के विनाशलीला से बचाया जा सके। किन्तु वर्ष 1995 में अगस्त माह में आई बाढ ने इन तटबंधों को तोड़ दिया एवं इनका पुनःनिर्माण करना पड़ा। भद्रकाली रोड पर ऐतिहासिक भद्रकाली मंदिर स्थित है जहां पूरे वर्ष भर हजारों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं।

2.4 जनसांख्यिकी

हनुमानगढ की स्थापना वर्ष 1805 में ही हो गई थी किंतु हनुमानगढ शहर की अधिकारिक जनगणना का आकलन वर्ष 1931 से ही किया। हनुमानगढ वर्ष 1971 तक एक छोटा सा नगर था। यहां की जनसंख्या वर्ष 1931 में 3468 थी जो वर्ष 2001 में बढकर 1,29,556 हो गयी। भारतीय जनगणना अनुसार शहर की जनसंख्या वर्ष 1961 में 17,909, 1971 में 32,532, 1981 में 60,071, 1991 में 82,733, 2011 में 1,50,958 हो गयी है, विकसित क्षेत्र से सटे हुये चार चको 1NWN, 17HMH, 4RRW व 5KNJ की जनसंख्या को जोडकर वर्ष 2011 की जनसंख्या 1,75,028 हो गई है। वर्ष 2017 में जनसंख्या 2,11,784 होने का अनुमान लगाया गया है। जनसंख्या अध्ययन एवं विश्लेषण से यह भी ज्ञात होता

है कि वर्ष 1951–1961 के दशक में हनुमानगढ की जनसंख्या में अभूतपूर्व वृद्धि (161.94 प्रतिशत) हुई है। इस प्रकार जनसंख्या की दृष्टि से हनुमानगढ शहर वर्ग–प्रथम (1st class Town) की श्रेणी में आ गया। इसी तरह 1961–71 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर 81.65 प्रतिशत दर्ज की गयी। 1971–81 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर 84.65 प्रतिशत 1981–91 के दशक में 37.73 प्रतिशत 1991–2001 के दशक में 56.60 प्रतिशत व 2001–2011 के दशक मे क्षेत्र के कृषकों द्वारा फसल चक्र में परिवर्तन यथा कपास की उपज में कमी व कॉटन फैक्टरियों का बंद होना व गन्ना फार्म बंद होना तथा इसकी जमीन नगर परिषद् को हस्तांतरित होना आदि कारणों से क्षेत्र में लोगों के पलायन की वजह से जनसंख्या वृद्धि दर में कमी अर्थात् जनसंख्या वृद्धि दर 35.00 प्रतिशत दर्ज की गई। इस प्रकार पूर्व के दशकों में हनुमानगढ में जनसंख्या बढने की तीव्र प्रवृति रही है। जिला मुख्यालय होने से हनुमानगढ की अर्थव्यवस्था व आधारभूत संरचना अन्य क्षेत्रों से अपेक्षाकृत सुदृढ है। गाँवों से शहरों की ओर पलायन, बढती जन्म दर, घटती मृत्यु दर आदि जनसंख्या वृद्धि के प्राकृतिक कारण हैं। इसके अतिरिक्त इंदिरा गांधी नहर परियोजना, भाखड़ा नहर से सिंचाई/पेयजल की व्यवस्था से विकसित औद्योगिक ढांचा, सरकारी एवं अर्द्ध–सरकारी कार्यालयों की स्थापना व मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता से जनसंख्या वृद्धि में आव्रजन कारण भी प्रभावी रहा है। इस प्रकार सुविधाएं, सेवाएं, रोजगार उपलब्ध होने से ग्रामीण जनसंख्या का पलायन हनुमानगढ की ओर रहा है, जिससे जनसंख्या वृद्धि की प्रवृति तीव्र रही है। हनुमानगढ की जनसंख्या वृद्धि दर को तालिका–1 में दर्शाया गया है।

तालिका – 1

जनसंख्या वृद्धि दर, हनुमानगढ 1931–2017

क्रमांक	वर्ष	जनसंख्या	अन्तर	वृद्धि दर प्रतिशत में
1	1931	3,468	–	–
2	1941	5,027	1,559	44.95
3	1951	6,837	1,810	36.00
4	1961	17,909	11,072	161.94
5	1971	32,532	14,632	81.65
6	1981	60,071	27,539	84.65
7	1991	82,733	22,662	37.73
8	2001	1,29,556	46,823	56.60
9	2011′	1,75,028	45,472	35.00
10	2017 (अनुमानित)	2,11,784	36,756	17.50

स्त्रोत : भारत की जनगणना एवं अनुमान ′

नोट– वर्ष 2011की जनसंख्या में चार चकों 1NWN, 17HMH, 4RRW एवं 5KNJ की जनसंख्या सम्मिलित है।

2.5 व्यवसायिक संरचना

हनुमानगढ में वर्ष 2001 में 37,715 व वर्ष 2011 में 60,502 व्यक्ति विभिन्न व्यवसायों में कार्यरत थे। इस तरह काम करने वालों का सहभागिता अनुपात वर्ष 2001 में 29.11 प्रतिशत व वर्ष 2011 में 34.56 प्रतिशत था। हनुमानगढ में उद्योग, व्यापार–वाणिज्य, कृषि, निर्माण, परिवहन, संचार, खनन आधारित आदि व्यवसायिक गतिविधियां संचालित हैं। वर्ष 2011 में कुल कार्यशील जनसंख्या में कृषि एवं इससे संबंधित 5.10 प्रतिशत, उद्योग में 21.57 प्रतिशत, निर्माण में 8.43 प्रतिशत तथा व्यापार व वाणिज्य में 34.16 प्रतिशत थे। यातायात एवं संचार में 12.42 प्रतिशत व अन्य सेवाओं में 18.32 प्रतिशत व्यक्ति कार्यरत थे। हनुमानगढ की व्यावसायिक संरचना को निम्न तालिका संख्या–2 में दर्शाया गया है :–

तालिका – 2

व्यवसायिक संरचना हनुमानगढ 2001–2011

क्र. सं.		व्यवसाय	2001		2011	
			कार्यशील व्यक्ति	प्रतिशत	कार्यशील व्यक्ति	प्रतिशत
1.	प्राथमिक सैक्टर	कृषि खनन, एवं तत्संबंधी कार्य	2878	7.63	3086	5.10
2.	द्वितीयक सैक्टर	उद्योग	7860	20.84	13050	21.57
3.		निर्माण	2983	7.91	5100	8.43
4.		व्यापार एवं वाणिज्य	12691	33.65	20668	34.16
5.	तृतीयक सैक्टर	यातायात एवं संचार	4473	11.86	7514	12.42
6.		अन्य सेवाएं	6830	18.11	11084	18.32
		कुल कामगार	37715	100.00	60502	100.00

स्त्रोतः भारत की जनगणना व अनुमान

2.6 विद्यमान भू–उपयोग

हनुमानगढ शहर का वर्ष 2017 में कुल विकसित क्षेत्र 3136.83 हैक्टेयर है। विद्यमान भू–उपयोग की गणना के आधार पर कुल विकसित क्षेत्र का लगभग 33.19 प्रतिशत आवासीय, 5.59 प्रतिशत वाणिज्यिक, 5.50 प्रतिशत औद्योगिक, 3.42 प्रतिशत राजकीय, 1.38 प्रतिशत आमोद–प्रमोद, 13.96 प्रतिशत सार्वजनिक व अर्द्ध–सार्वजनिक, 25.65 प्रतिशत रिक्त भूमि तथा 12.32 प्रतिशत परिसंचरण के अन्तर्गत आता है, विद्यमान भू–उपयोग 2017 का विवरण तालिका संख्या–3 में दर्शाया गया है:–

तालिका–3

विद्यमान भू–उपयोग, हनुमानगढ–2017

क्र. सं.	भू–उपयोग	क्षेत्रफल हैक्टेयर में	विकसित क्षेत्र का प्रतिशत	नगरीयकृत क्षेत्र का प्रतिशत
1.	आवासीय	1041.26	33.19	33.00
2.	वाणिज्यिक	175.26	5.59	5.56
3.	औद्योगिक	172.64	5.50	5.47
4.	राजकीय	106.97	3.41	3.39
5.	आमोद–प्रमोद	43.27	1.38	1.37
6.	सार्वजनिक व अर्द्ध–सार्वजनिक	406.45	12.96	12.88
7.	रिक्त भूमि	804.59	25.65	25.50
8.	परिसंचरण	386.38	12.32	12.25
कुल विकसित क्षेत्र		3136.83	**100.00**	**99.43**
9.	कृषि, नर्सरी, इत्यादि	9.94	–	0.32
10.	आरक्षित भूमि	0.00	–	0.00
11.	जलाशय आदि	8.18	–	0.26
कुल नगरीयकृत क्षेत्र		3156.80	–	**100.00**

स्त्रोत : नगर नियोजन विभागीय सर्वेक्षण

2.6.1 आवासीय

हनुमानगढ के प्रथम मास्टर प्लान में क्षितिज वर्ष 2016 में आवासीय प्रयोजनार्थ कुल 1866 हैक्टेयर (4610 एकड़) भूमि प्रस्तावित की गयी थी जिसमें से नये मास्टर प्लान के आधार वर्ष 2017 तक 1041.26 हैक्टेयर भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ विकसित हो चुकी है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हनुमानगढ का औसत आवासीय घनत्व 69/170 व्यक्ति प्रति एकड़/हैक्टेयर है तथा प्रथम मास्टर प्लान में वर्ष 2011 की अनुमानित जनसंख्या (1,78,702) के अनुसार आवासीय घनत्व 60/148 व्यक्ति प्रति एकड़/हैक्टेयर है तथा 2017 की अनुमानित जनसंख्या (2,11,784) के अनुसार आवासीय घनत्व 57/141 व्यक्ति प्रति एकड़/हैक्टेयर है। विकसित आवासीय क्षेत्र हनुमानगढ टाऊन व जंक्शन में नगर परिषद्, रेलवे स्टेशन, बस स्टेण्ड, जिला कलक्टर कार्यालय, मुख्य सड़कों व मुख्य बाजारों के समीप है तथा यही क्षेत्र उच्च आवासीय घनत्व का क्षेत्र भी है। जंक्शन क्षेत्र में व टाऊन के बाहरी नए बसे क्षेत्र में कुछ आवासीय योजनाएं योजनाबद्ध तरीके से विकसित हुई है तथा इनका आवासीय घनत्व भी कम है। सबसे अधिक घनत्व शहर के भीतरी भाग में विकसित क्षेत्र में है।

2.6.1(अ) आवासन

वर्तमान में हनुमानगढ नगर परिषद् 45 वार्डों में विभक्त है। अधिकांश मकान पक्के बने हुए हैं जो दो–तीन मंजिल तक के हैं। राजस्थान आवासन मण्डल एवं सिंचित क्षेत्र विकास (सीएडी) द्वारा आवासीय कॉलोनी विकसित की गयी है। राजकीय आवास एवं रीको के आवास, पुलिस क्वार्ट्स आदि भी विद्यमान हैं। फिर भी बहुत से परिवारों के पास स्वयं का आवास नहीं है। ऐसे परिवारों को स्वयं का आवास उपलब्ध कराने हेतु केन्द्र व राज्य सरकार स्तर पर आवास नीतियां बनाई गई हैं तथा प्रत्येक आवासीय योजना में गरीब व कमजोर वर्ग के लिए भूखण्डों/आवासों का उचित प्रावधान किया जाता है।

2.6.1(ब) कच्ची बस्तियाँ

हनुमानगढ में 14 कच्ची बस्तियां हैं। हनुमानगढ में स्थित कच्ची बस्तियों में से भटनेर दुर्ग के पास बिहारी बस्ती, रेलवे स्टेशन के पास में सिकलीगर बस्ती, सांसी बस्ती, खुंजा बस्ती, सुरेशिया बस्ती प्रमुख हैं। इनमें से बिहारी बस्ती हनुमानगढ टाऊन के अंदर भटनेर दुर्ग के पास में स्थित है। इस बस्ती के निवासी ईंट भट्टा मजदूर के रूप में कार्य करते हैं एवं रिक्शा चालन का काम करते हैं। सिकलीगर बस्ती एवं सांसी बस्ती हनुमानगढ टाऊन के अंदर रेलवे स्टेशन व टिब्बी रोड के पास है। खुंजा बस्ती, सुरेशिया बस्ती हनुमानगढ जंक्शन में स्थित है। इन कच्ची बस्तियों के निवासी मजदूरी करते हैं एवं औपचारिक/अनौपचारिक क्षेत्र में कार्य करते हैं। कच्ची बस्तियों के सुधार हेतु भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत इनके सुधार का कार्य नगर परिषद् द्वारा किया जाता है।

2.6.1(स) शहरी नवीनीकरण

हनुमानगढ का प्रथम मास्टर प्लान वर्ष 1996–2016 के लिए बनाया गया था, जिसमें से विभिन्न भू–उपयोगों हेतु कुछ क्षेत्र अभी भी रिक्त पड़ा है। कालांतर में शहर के विकास हेतु सभी आधारभूत सुविधाओं का विकास हुआ किंतु भविष्य में नई योजनाएं बनाते समय कच्ची बस्तियां एवं पुराने क्षेत्रों के पुनर्विकास तथा शहर का नवीनीकरण किया जाना अपेक्षित है। जिस हेतु नवीन मास्टर प्लान क्षितिज वर्ष 2035 तक के लिए तैयार किया जा रहा है।

2.6.2 वाणिज्यिक

हनुमानगढ में व्यापार एवं वाणिज्यिक गतिविधियां अधिकांशतः शहर के भीतरी भाग में संचालित हैं। सड़कों की कम चौड़ाई के कारण भीड़भाड़ से आवागमन अवरूद्ध होने की समस्या बनी रहती है। पार्किंग स्थलों का अभाव है। यहां कृषि उत्पाद (अनाज, दाल व तिलहन) किराना, कपड़ा, भवन निर्माण सामग्री, होटल, रेस्टोरेंट, मेडीकल स्टोर, ऑटो

पार्ट्स–रिपेयरिंग, कृषि यंत्र, कीटनाशक दवाइयां व सामान्य उपयोग की वस्तुओं आदि का कारोबार होता है। बैंक एवं को–ऑपरेटिव सोसायटी, अन्नपूर्णा भण्डार, राशन की दुकानें आदि सुविधाएं उपलब्ध हैं।

हनुमानगढ़ टाऊन व जंक्शन के रूप में विभाजित इस शहर में दो ''ए'' श्रेणी की कृषि उपज मण्डी समितियां संचालित हैं। पुरानी कृषि उपज मण्डी हनुमानगढ टाऊन में रेलवे स्टेशन के सामने पर एवं नई कृषि उपज मण्डी जंक्शन में अम्बेडकर सर्किल के पास आनन्द सिनेमा रोड पर स्थित है। इनमें ग्रामीण गोदाम, नीलामी चबूतरा, कियोस्क, कवर्ड प्लेटफार्म आदि निर्मित है। जिनमें प्रतिवर्ष करोड़ों रूपयों का कारोबार होता है। ये दोनों मण्डियां थोक व्यापार के क्षेत्र में प्रदेश की अग्रणी मण्डियों में गिनी जाती हैं।

गोदाम व भण्डारण हनुमानगढ जंक्शन में श्रीगंगानगर रेलवे क्रोसिंग के पास तथा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 54 पर संगरिया फाटक के पास स्थित है। टाऊन में गोदाम व भण्डार रेलवे स्टेशन के दक्षिण में तथा भद्रकाली रोड पर स्थित है। सामान्य खुदरा वाणिज्यिक गतिविधियां हनुमानगढ जंक्शन में भगतसिंह चौक बाजार और टाऊन में बस स्टेण्ड के सामने तथा शहर के मुख्य बाजार में केन्द्रित हैं। हनुमानगढ टाऊन में नगर परिषद् के पास का क्षेत्र तथा रावतसर रोड पर रेलवे फाटक के पास का क्षेत्र भी वाणिज्यिक गतिविधियों वाला क्षेत्र है। हनुमानगढ जंक्शन में नये विकसित क्षेत्रों में भी वाणिज्यिक गतिविधियां संचालित हैं। क्षितिज वर्ष 2016 के लिए पूर्व मास्टर प्लान में 675 एकड़ (लगभग 273.29 हैक्टेयर) भूमि प्रावधानित की गयी थी जिसमें से हनुमानगढ में लगभग 175 हैक्टेयर का क्षेत्र वाणिज्यिक गतिविधियों के अन्तर्गत हैं। उक्त क्षेत्र में लगभग 49 हैक्टेयर क्षेत्र में मण्डी स्थित है तथा लगभग 36 हैक्टेयर भूमि में गोदाम व भण्डारण स्थित है। शहर के संपूर्ण विकसित क्षेत्र का करीब 5.59 प्रतिशत वाणिज्यिक उपयोग के अन्तर्गत आता है। शहर में सुव्यवस्थित बाजार की आवश्यकता है। सिंचित क्षेत्र विकास, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, भाखड़ा नहर के आगमन और यहां की उपजाऊ भूमि के कारण जैविक खेती को प्रोत्साहित कर इस क्षेत्र में कृषि जिंस एवं कृषि आधारित औद्योगिक उत्पाद तथा गुणवता में अत्यधिक वृद्धि की जा सकती है। इससे विश्व स्तर के शहरी मानकों के अनुसार उत्पाद तैयार किया जाकर व्यापार एवं वाणिज्यिक के क्षेत्र में हनुमानगढ में विकास की अपार संभावनाएं हैं।

2.6.3 औद्योगिक

हनुमानगढ औद्योगिक दृष्टि से विकसित शहर है। हनुमानगढ में विद्यमान औद्योगिक भू–उपयोग के अन्तर्गत 172.64 हैक्टेयर भूमि है। हनुमानगढ में रीको द्वारा 2 चरणों में औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया गया है। जिसमें 297 भूखण्डों का आवंटन किया गया है। इनमें से 264 भूखण्डों पर स्थापित 185 इकाइयों में उत्पादन हो रहा है। यहां अधिकतर इकाइयां कृषि आधारित है। जिसमें दाल, चावल व खाद्य तेल मिलें, डेयरी

उद्योग व खनिज आधारित उद्योग में प्लास्टर ऑफ पेरिस उद्योग प्रमुख है। इसमें धान साफ करने की 10, कॉटन जिनिंग की 10, तेल मिल 15 व ग्वार गम की 2 इकाइयां संचालित हैं। हनुमानगढ टाऊन में कुछ उद्योग महाविद्यालय के सामने, टिब्बी रोड और भद्रकाली मंदिर की ओर जाने वाली सड़क पर स्थित हैं। हनुमानगढ में औद्योगिक क्षेत्र कुल विकसित क्षेत्र का 5.50 प्रतिशत है।

प्रदेश के औद्योगिक विकास में खनिज सम्पदा का महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। खनिज उद्योग–धधों से संपूर्ण राज्य का औद्योगिक विकास हुआ है। हनुमानगढ के आसपास भी खनिज संपदा के अथाह भण्डार जिप्सम के रूप में मौजूद है। निरंतर बढ़ते उद्योगों के कारण भू–गर्भ से निकला जिप्सम सफेद सोने के समान साबित हो रहा है। इसकी उपयोगिता को देखते हुए हनुमानगढ से यह राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, बिहार एवं नेपाल को निर्यात किया जाता है। हनुमानगढ जिले में जिप्सम खनन का कार्य राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम तथा राजस्थान राज्य माइन्स एण्ड मिनरल लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है।

2.6.4 राजकीय

हनुमानगढ में राजकीय, अर्द्ध–राजकीय, राजकीय आरक्षित भू–उपयोग के अन्तर्गत कुल विद्यमान क्षेत्रफल 107 हैक्टेयर है। जिसमें से 50 हैक्टेयर क्षेत्र राजकीय व अर्द्ध–राजकीय कार्यालयों हेतु आरक्षित है जो कुल विकसित क्षेत्र का 3.41 प्रतिशत है।

2.6.4 (अ) सरकारी एवं अर्द्ध–सरकारी कार्यालय

हनुमानगढ शहर वर्ष 1994 से ही जिला मुख्यालय रहा है। प्रशासनिक केन्द्र होने से यहां कई सरकारी एवं अर्द्ध–सरकारी कार्यालय स्थित है। वर्ष 1960 तक सभी सरकारी कार्यालय टाऊन में ही हुआ करते थे। हनुमानगढ जंक्शन में रेलवे के कामगार ही रहते थे। नगर परिषद् कार्यालय, जिला कलक्टर, सर्किट हाऊस, कृषि मण्डी सचिव, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई, जन–स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग एवं तहसील आदि कार्यालय हनुमानगढ जंक्शन में स्थित है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अन्य सेवाओं में लगभग 9271 व्यक्ति अर्थात् 18.32 प्रतिशत कार्यरत थे। जिला रोजगार कार्यालय से प्राप्त सूची के अनुसार वर्तमान में लगभग 107 कार्यालयों में लगभग 5,593 कर्मचारी कार्यरत हैं, इनमें नगर परिषद्, कलक्ट्रेट, तहसील, न्यायालय, पंचायत समिति, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, विद्युत वितरण निगम, कृषि ऊपज मण्डी, शिक्षा विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग आदि के कार्यालय विभिन्न स्थानों पर चल रहे हैं। सरकारी एवं अर्द्ध–सरकारी कार्यालयों का विवरण जिला रोजगार कार्यालय से प्राप्त सूची अनुसार निम्न तालिका संख्या–4 में दर्शाया गया हैः–

तालिका–4

सरकारी एवं अर्द्ध–सरकारी कार्यालय, हनुमानगढ 2017

क्र.	कार्यालय	कार्यालयों की संख्या	कर्मचारियों की संख्या
1.	केन्द्र सरकार	02	36
2.	राज्य सरकार	59	3783
3.	अर्द्ध केन्द्रीय कार्यालय	26	288
4.	अर्द्ध–राजकीय कार्यालय	20	1486

स्त्रोतः–जिला रोजगार कार्यालय, हनुमानगढ

2.6.4 (ब) राजकीय आरक्षित

हनुमानगढ में जिला कलक्टर कार्यालय के पीछे की ओर लगभग 8.50 हैक्टेयर क्षेत्र में ग्रेफ (GREF) की फील्ड वर्कशॉप तथा सतीपुरा रेल फाटक से अबोहर की ओर जाने वाली सड़क पर लगभग 41 हैक्टेयर भूमि पर पुलिस लाईन्स, अबोहर सड़क पर ग्रेफ लगभग 8.50 हैक्टेयर क्षेत्र में स्थित है, इस प्रकार राजकीय आरक्षित हेतु लगभग 58 हैक्टेयर भूमि उपयोग में आ रही है।

2.6.5 आमोद–प्रमोद

हनुमानगढ में जंक्शन क्षेत्र में कलेक्ट्रेट के पास एक बड़ा स्टेडियम, एक बड़ी क्रिकेट अकादमी, विभिन्न योजनाओं में तथा विभिन्न कार्यालयों में पार्क आदि बने हैं। बड़े विद्यालयों व महाविद्यालय परिसर में खेल मैदान उपलब्ध है। वर्तमान में दो सिनेमाघर संचालित हो रहे हैं, जिसमें से एक हनुमानगढ जंक्शन में शिव मंदिर सिनेमा व एक टाऊन–जंक्शन रोड पर आशीष सिनेमा के नाम से चल रहे हैं। मनोरंजन की दृष्टि से पर्याप्त सुविधाओं का अभाव है। इस कारण पर्यटकों का आवागमन भी लगभग नगण्य–सा ही है। आमोद–प्रमोद हेतु पूर्व मास्टर प्लान में प्रस्तावित 196 एकड़/79.35 हैक्टेयर क्षेत्र में से लगभग 43.27 हैक्टेयर क्षेत्र काम में आ पाया है जो कि कुल विकसित क्षेत्र का 1.38 प्रतिशत है।

2.6.5 (अ) उद्यान, खुले स्थल एवं खेल के मैदान

पुराने हनुमानगढ शहर के अंदर काफी घनी आबादी है तथा पार्क एवं खुले स्थलों का अभाव है। हनुमानगढ टाऊन में नेहरू चिल्ड्रन पार्क है। यह पार्क ही शहर का मुख्य पार्क है। जंक्शन में सैक्टर 9 में एक पार्क स्कूल के पास स्थित है तथा कैनाल कॉलोनी में भी पार्क है। कुछ विद्यालयों, महाविद्यालयों के परिसर में भी खेल के मैदान है तथा विभिन्न जगह खुले स्थल विद्यमान हैं।

2.6.5 (ब) स्टेडियम

हनुमानगढ जंक्शन में कन्या महाविद्यालय के पास में लगभग 10.25 हैक्टेयर क्षेत्र में स्टेडियम स्थित है, जहां खेलकूद प्रतियोगिताएं एवं स्थानीय एवं राष्ट्रीय समारोह आम सभाओं आदि का आयोजन होता है।

2.6.6 सार्वजनिक एवं अर्द्ध–सार्वजनिक सुविधाएं

पूर्व मास्टर प्लान में वर्ष 2016 हेतु 850 एकड़ (344 हैक्टेयर) क्षेत्र का प्रावधान सार्वजनिक एवं अर्द्ध–सार्वजनिक सुविधाओं हेतु किया गया था, जबकि वर्तमान में लगभग 406.45 हैक्टेयर भूमि सार्वजनिक एवं अर्द्ध–सार्वजनिक भू–उपयोग में काम में ली जा रही है जो कुल वर्तमान विकसित क्षेत्र का 12.96 प्रतिशत है। वांछित योजना मानदण्डों की दृष्टि से शैक्षणिक, चिकित्सा, अन्य सामुदायिक सुविधाएं, जनोपयोगी सुविधाएं आदि के विकास हेतु पर्याप्त क्षेत्र का प्रावधान करने की आवश्यकता है। सार्वजनिक एवं अर्द्ध–सार्वजनिक सुविधाओं के अन्तर्गत हनुमानगढ में विद्यालय, महाविद्यालय, उच्च शिक्षण संस्थाएं, चिकित्सालय, सामाजिक, ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक स्मारक, डाकघर, दूरभाष केन्द्र, अग्निशमन सेवा, सूचना केन्द्र, पुस्तकालय, वाचनालय, क्लब, धर्मशालाएं आदि स्थित हैं।

2.6.6 (अ) शैक्षणिक

हनुमानगढ शहर में शिक्षण संस्थाओं की समुचित व्यवस्था है। सर्वप्रथम नगर में प्राथमिक शिक्षा के विद्यालय सन् 1886–87 में स्थापित किए गए। तदुपरांत नगर में शैक्षणिक सुविधाएं धीरे–धीरे बढती गयीं।

हनुमानगढ टाऊन में नेहरू मेमोरियल महाविद्यालय है, जो वर्ष 1966 में स्थापित हुआ। कन्या महाविद्यालय हनुमानगढ जंक्शन में है। नेहरू मेमोरियल कॉलेज में भविष्य में विस्तार हेतु पर्याप्त स्थान है। वर्तमान में हनुमानगढ में 85 प्राथमिक विद्यालय तथा 97 उच्च प्राथमिक विद्यालय है। 97 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं। इन स्कूलों में अधिकांश उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में खेल के मैदान एवं पर्याप्त भूमि का अभाव है। विभिन्न स्थलों पर लगभग 20 महाविद्यालय (शिक्षण/प्रशिक्षण) संस्थान संचालित हैं। जिसमें भी कुछ संस्थाओं में खेल मैदान व पर्याप्त भूमि का अभाव है। नगर के विकास के साथ–साथ शिक्षण संस्थाओं का भी विकास हुआ है। इस हेतु वर्तमान में लगभग 204 हैक्टेयर भूमि उपयोग में आ रही है। शिक्षण संस्थाओं संबंधी सूचनाओं को तालिका संख्या–5 में व विद्यमान उच्च शिक्षण संस्थानों का विवरण तालिका संख्या–6 में दर्शाया गया है :–

तालिका–5

शैक्षणिक संरचना, हनुमानगढ–2017

क्र.सं.	स्तर / कक्षा	आयु समूह (वर्ष)	विद्यालय जा रहे छात्रों की संख्या	प्रत्येक विद्यालय के औसत छात्रों की संख्या	विद्यालयों की संख्या
1	प्राथमिक विद्यालय (1–5)	6–11	7995	94	85
2	उच्च प्राथमिक विद्यालय (6–8)	12–14	6892	71	97
3	माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय (9–12)	15–18	10809	111	97

स्त्रोत : शिक्षा विभाग, हनुमानगढ (जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक)

तालिका – 6

विद्यमान उच्च शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थानों का विवरण, हनुमानगढ–2017

क्रमांक	विद्यमान महाविद्यालय / शिक्षण–प्रशिक्षण संस्थाएं
1	राजकीय नेहरू मैमोरियल (पी जी) कॉलेज
2	राजकीय नेहरू मैमोरियल लॉ कॉलेज
3	बाल गंगाधर तिलक शिक्षण संस्थान कॉलेज
4	व्यापार मण्डल गर्ल्स कॉलेज
5	श्री गुरू नानक खालसा कॉलेज
6	राजस्थान हायर एज्यूकेभान कॉलेज
7	बेबी हेप्पी मॉडर्न शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय
8	श्रीदेवी महिला पॉलीटेक्निक कॉलेज
9	भटनेर आई टी आई कॉलेज
10	संस्कार इंटरनेशनल बी एड कॉलेज
11	श्रीगुरू नानक खालसा टीचर ट्रेनिंग कॉलेज
12	टाइम्स एस टी सी स्कूल
13	बंसल कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी
14	चौधरी मनीराम कॉलेज
15	बंसल कॉलेज ऑफ नर्सिंग
16	जैन कॉलेज

17	बी आर चौधरी टीचर ट्रेनिंग कॉलेज
18	चौधरी गिरधारी राम ढाका पॉलीटेक्निक कॉलेज
19	भार्गव पॉलीटेक्निक कॉलेज
20	सर्राफ इंजीनियरिंग कॉलेज

2.6.6 (ब) चिकित्सा सुविधाएं

हनुमानगढ जंक्शन में लोक स्वास्थ्य केन्द्र (पी एच सी) एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सी एच सी) कैनाल कॉलोनी में उपलब्ध है। टाऊन क्षेत्र में लगभग 150 बिस्तर का एक राजकीय चिकित्सालय धान मण्डी के पास स्थित है। इसमें चिकित्सकीय परीक्षण व पैरा मेडिकल स्टाफ भी कार्यरत है, किंतु नगर की जनसंख्या के अनुपात में स्टाफ व उपलब्ध सुविधाएं काफी कम है। इसके अतिरिक्त टाऊन व जंक्शन में काफी संख्या में निजी अस्पताल व क्लिनिक चल रहे हैं। यहां क्षेत्र में निजी अस्पतालों व क्लिनिकों में भी आमजन का विश्वास अधिक है, जिससे ये पर्याप्त संख्या में कार्यरत हैं। विशेषज्ञ सेवाओं के लिए मरीजों को श्रीगंगानगर, बीकानेर व जयपुर रेफर किये जाते हैं। इस हेतु वर्तमान में 9 हैक्टेयर भूमि का उपयोग किया जा रहा है। निजी क्षेत्र में संचालित अस्पतालों में पर्याप्त भूमि एवं मूलभूत सुविधाओं का अभाव है।

2.6.6 (स) सामाजिक/सांस्कृतिक/धार्मिक/ऐतिहासिक

नगर में सामाजिक, सांस्कृतिक व धार्मिक गतिविधियाँ सामान्य स्तर की होने के कारण विभिन्न समुदायों के लोग यहाँ उपलब्ध रिक्त स्थलों पर ही कार्यक्रम आयोजित करते हैं। नगर में विभिन्न स्थलों के अतिरिक्त जंक्शन रेलवे स्टेशन पर एक, टाऊन में बस स्टेण्ड के समीप दो बड़े गुरूद्वारे स्थित हैं। किले के पास एक मस्जिद, शहर में कई सारे मंदिर भी हैं, जिनमें लोग पूजा–अर्चना व प्रार्थनाएं करते हैं। भद्रकाली रोड पर ऐतिहासिक भद्रकाली मंदिर व टाऊन में भटनेर किला स्थित है।

2.6.6 (द) अन्य सामुदायिक सुविधाएं

अन्य सामुदायिक सुविधाओं के अन्तर्गत धर्मशालाएं, पुलिस थाना, अग्निशमन केन्द्र, पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राफ ऑफिस, दूर–संचार केन्द्र, बैंक, क्लब, पुस्तकालय और सामुदायिक भवन इत्यादि आते हैं। हनुमानगढ में दो सार्वजनिक पुस्तकालय और दो वाचनालय भी विद्यमान हैं। मुख्य डाकघर जंक्शन में बस डिपो के पास स्थित है। एक पोस्ट ऑफिस हनुमानगढ टाऊन में रावतसर सड़क पर स्थित है। टेलीफोन एक्सचेंज एक टाऊन एवं एक जंक्शन में स्थित है। इनके अतिरिक्त शहर में उप–डाकघर विभिन्न स्थानों पर कार्यरत है। टाऊन क्षेत्र में बस स्टेण्ड के आगे, पुल के समीप एक पुलिस स्टेशन भी स्थित है।

शहर का कारागार हनुमानगढ जं. में बीकानेर सड़क पर स्थित है। शहर मे एक सर्किट हाउस व दो राजकीय विश्राम गृह, सिंचाई विभाग एवं लोक निर्माण विभाग के हैं। इन सुविधाओं हेतु वर्तमान में 31 हैक्टेयर भूमि उपयोग में भी ली जा रही है। यहां पर अग्निशमन केन्द्र भी स्थित है।

2.6.6 (य) जनोपयोगी सुविधाएं

2.6.6 य (i) जलापूर्ति

हनुमानगढ जिले को पीने का पानी भाखड़ा नहर प्रणाली, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, सिद्धमुख नहर प्रणाली और कई नलकूपों से आपूर्ति की जाती है। परंतु पानी का मुख्य स्त्रोत सतही जल ही है। जमीन में पानी 10 से 20 मीटर गहराई पर उपलब्ध है। शहर में पानी की आपूर्ति राज्य के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पी एच ई डी) द्वारा की जाती है। हनुमानगढ में पाईप लाईन की कुल लंबाई 145 किलोमीटर है। हनुमानगढ जं. में 9 जोन और टाऊन में 15 जोन में नल द्वारा पीने के पानी की आपूर्ति होती है। हनुमानगढ में विभिन्न उपयोगों हेतु 29315 जल कनेक्शन हैं, और प्रतिदिन 1,60,000 व्यक्तियों को जलापूर्ति की जाती है। हनुमानगढ में कुल 12 एम एल डी पानी की आपूर्ति होती है। पानी की आपूर्ति लगभग 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की जाती है। प्राप्त जल को श्रीगंगानगर–भटिण्डा बाईपास पर स्थित वाटर ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट में साफ कर उच्च जलाशयों में एकत्र करके सीधे ही सप्लाई कर दिया जाता है। भविष्य में एक उच्च क्षमता का जलाशय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा बनाया जाना प्रस्तावित है। जिसके लिए अभी तक स्थल का चयन नहीं किया जा सका है। विभिन्न प्रयोजनार्थ जारी किए गए जल कनेक्शनों को तालिका संख्या 7 में दर्शाया गया है

तालिका–7

जलापूर्ति, हनुमानगढ–2017

क्रमांक	उपयोग	कनेक्शनों की संख्या
1.	घरेलू	26826
2.	वाणिज्यिक	2202
3.	औद्योगिक	102
4.	पार्कों में	54
5.	कार्यालयों में	131
योग		**29315**

स्त्रोत : जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, हनुमानगढ

2.6.6 य (ii) जल–मल निकास व ठोस कचरा निस्तारण एवं प्रबंधन

हनुमानगढ में जल–मल निकास की कोई ठोस व्यवस्था नहीं है। वर्षा का पानी खुली नालियों के जरिये ही बाहर निकाला जाता है। कच्ची बस्तियों में इसकी समुचित व्यवस्था नहीं है। वर्षा के मौसम में पानी इधर–उधर सड़कों पर बिखरा पड़ा रहता है। नगर परिषद् ने शहर में नालियों का निर्माण कराया है तथा आर यू आई डी पी के माध्यम से भूमिगत सीवर लाईन बिछाने का प्रस्ताव है। शहर के कुछ ही भागों में अभी यह व्यवस्था शुरू हो सकी है, परंतु संपूर्ण शहर में सीवरेज प्रणाली विकसित करने में अभी समय लगेगा। हनुमानगढ में जंक्शन क्षेत्र में श्रीगंगानगर–भटिण्डा बाईपास पर सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट, बायो मेडीकल व ठोस कचरा निस्तारण संयत्र स्थापित किए गए हैं, जिनसे कुछ हद तक इस समस्या का निवारण हो रहा है। वर्तमान में जंक्शन क्षेत्र में 32 हैक्टेयर क्षेत्र में सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट व 11 हैक्टेयर क्षेत्र में ठोस कचरा निस्तारण संयंत्र लगे हैं। फिर भी इन समस्याओं के निवारण हेतु पर्याप्त व उचित तरीके से ध्यान देने की आवश्यकता है।

2.6.6 य (iii) विद्युत आपूर्ति

विद्युत शहरी जीवन और अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण बुनियादी घटक है। हनुमानगढ में विद्युत आपूर्ति एवं जोधपुर विद्युत वितरण निगम द्वारा किया जाता है। विद्युत आपूर्ति सूरतगढ थर्मल पावर स्टेशन के द्वारा उत्पन्न व भाखड़ा नागल हाईड्रो पावर स्टेशन से प्राप्त विद्युत से किया जाता है। निगम का 220/132 के वी ग्रिड सब स्टेशन जंक्शन में परशुराम मार्ग पर सतीपुरा फाटक के पास स्थित है। इस ग्रिड सब स्टेशन में विद्युत आपूर्ति मुख्य सब स्टेशन से होती है, जबकि टाऊन की आपूर्ति हेतु किले के उत्तर–पश्चिम में सब स्टेशन की स्थापना की गयी है। बढ़ती जनसंख्या व क्रिया कलापों हेतु और अधिक विद्युत की आवश्यकता है। हनुमानगढ की विद्युतापूर्ति की तालिका संख्या 8 में दर्शाया गया है :–

तालिका–8

विद्युत आपूर्ति, हनुमानगढ 2017

क्रमांक	उपयोग	कनेक्शनों की संख्या
1	घरेलू	34268
2	अघरेलू	6167
3.	औद्योगिक	620
4.	स्ट्रीट लाईटिंग	271
	कुल	**41236**

स्त्रोतः जोधपुर विद्युत वितरण निगम(ओ.एंड.एम.), हनुमानगढ

2.6.6 (र) श्मशान एवं कब्रिस्तान

वर्तमान में श्मशान व कब्रिस्तान स्थल नगर के अन्दरूनी स्थलों में मुख्यतः छः स्थानों पर स्थित है। इनमें से दो हनुमानगढ टाऊन में तथा चार जंक्शन में है। एक श्मशान टाऊन में रेलवे पुल के पास है, एक जंक्शन में शिव वाटिका के पास व एक श्मशान अबोहर–संगरिया बाईपास पर स्थित है। एक कब्रिस्तान टाऊन में भद्रकाली रोड पर और दूसरा जंक्शन में अम्बेडकर चौक के पास व एक श्रीगंगानगर बाईपास पर खुंजा में स्थित है। ये सभी अंदरूनी स्थलों में स्थित है, क्योंकि जब ये बने थे तब वहां तक शहर का विकास नहीं हुआ था। इस हेतु वर्तमान में लगभग 33 हैक्टेयर भूमि उपयोग में आ रही है। वर्तमान में भाहर में स्थित श्मशानों और कब्रिस्तानों को यथावत् रखा गया है, परंतु जो श्मशान और कब्रिस्तान भाहर के विकसित क्षेत्रों में स्थित हैं, उनमें सघन वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है, ताकि वातावरण पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़े। नये श्मशानों और कब्रिस्तानों हेतु मांग के अनुसार परिधि नियंत्रण क्षेत्र में भूमि चिन्हित की जा सकेगी।

2.6.7 परिसंचरण

परिसंचरण में यातायात व्यवस्था, बस तथा ट्रक टर्मिनल, रेल एवं हवाई सेवाएं आदि सम्मिलित की जाती है। हनुमानगढ टाऊन की अपेक्षा जंक्शन क्षेत्र अपेक्षाकृत सुनियोजित तरीके से बसा है। टाऊन का पुराना क्षेत्र रावतसर रोड पर ग्रिड आयरन पद्वति पर बसा है, परंतु कुछ पुराने क्षेत्र व कच्ची बस्तियों का क्षेत्र अव्यवस्थित तरीके से बसा हुआ है। हनुमानगढ राज्य राजमार्ग संख्या 7, 7 ए, 94, 99 व एन एच 54 पर स्थित है। टाऊन व जंक्शन में दो अलग–अलग बस स्टेण्ड, श्रीगंगानगर बाईपास पर आई. डी. एस. एम. टी. योजनान्तर्गत विकसित ट्रांसपोर्ट नगर, जंक्शन में पुल के समीप ही रोडवेज डिपो तथा टाऊन–जंक्शन के दो अलग–अलग रेलवे स्टशन भी है। वर्तमान दोनों रेलवे स्टेशन व दोनों बस स्टेण्ड शहर के बीचों बीच घनी आबादी क्षेत्र में स्थित है। बस स्टेण्ड केवल राज्य पथ परिवहन निगम की बसों के संचालन के लिए बनाए गए हैं, जिन्हें वर्तमान आव यकता को देखते हुए शहर के बाहर ले जाया जाना चाहिए। निजी बसों के संचालन के लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं है। फिलहाल ये रोडवेज बस स्टेण्ड से ही चलती हैं। नगर के आकार को देखते हुए अभी यहां कोई हवाई सुविधा नहीं है। वर्तमान में परिसंचरण हेतु लगभग 536 हैक्टेयर भूमि का उपयोग किया जा रहा है एवं विकसित क्षेत्र का 12.32 प्रतिशत है। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा श्रीगंगानगर–संगरिया रोड को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 54, बीकानेर–सूरतगढ सड़क को राज्य राजमार्ग संख्या 94 व टिब्बी रोड को राज्य राजमार्ग संख्या 99 घोषित किया गया है।

2.6.7 (अ) यातायात व्यवस्था

खुदरा व थोक व्यापार नगर, के मध्य स्थित होने, मुख्य सड़कों का व रेलमार्ग का नगर के मध्य से निकलने के कारण यातायात का दबाव बहुत बढ़ गया है, इस वजह से यातायात व्यवस्था बदतर हालत में पहुँच गई है। नगर के पुराने व आंतरिक भागों में मार्गों को यथा संभव चौड़ा करने के साथ ही वैकल्पिक उपायों यथा बाईपास, पुल, अण्डरपास आदि पर विचार करने की आवश्यकता है। साथ ही विभिन्न स्थलों पर पार्किंग हेतु स्थान चिन्हित करने की भी जरूरत है, ताकि सड़कों पर यातायात का दबाव कम हो सके। शहर में अधिकांश भवन बिना सैट बैक्स के निर्मित हैं, जिनमें पार्किंग हेतु कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। शहर की सारी पार्किंग सड़कों पर की जाती है। औद्योगिक एवं वाणिज्यिक क्षेत्रों में सड़कों पर कच्चे/पक्के अस्थाई निर्माण कर उनकी वास्तविक चौड़ाई कम कर दी गयी है, जिनकी वजह से यहाँ पर सुगम यातायात के दृष्टिकोण से काफी समस्या रहती है। पुराने एवं अनाधिकृत रूप से बसी बस्तियों में पार्किंग का अभाव है।

2.6.7 (ब) बस तथा ट्रक टर्मिनल

नगर में मात्र दो बस स्टैण्ड (एक जंक्शन व एक टाऊन में) है जो राजस्थान रोडवेज के लिए निर्मित है। निजी बसों के संचालन हेतु कोई जगह निर्धारित नहीं है। बसें यत्र–तत्र मनमाने तरीके से खड़ी व संचालित होती है। रोडवेज बस स्टैण्ड पर भी पर्याप्त सुविधाए उपलब्ध नहीं है। पूर्व मास्टर प्लान में प्रस्तावित बस स्टेण्ड विकसित नहीं हो पाया है। इस समस्या के निराकरण हेतु नये मास्टर प्लान में बस स्टैण्ड व यातायात नगर हेतु समुचित प्रावधान किए जाने की आवश्यकता है।

2.6.7 (स) रेल व हवाई सेवा

हनुमानगढ पहले मीटरगेज रेलवे स्टेशन था लेकिन अब ब्रॉडगेज हो गया है। रेल तथा सड़क मार्ग द्वारा दिल्ली, भटिण्डा, बीकानेर, जयपुर व दिल्ली आदि मुख्यालयों व बड़े शहरों से भली भांति जुड़ा है। रेलवे स्टेशन कस्बे के मध्य में स्थित है। यहाँ पर अभी हवाई यातायात सुविधा उपलब्ध नहीं है।

2.7 मास्टर प्लान 2016 की समीक्षा

हनुमानगढ का प्रथम मास्टर प्लान क्षितिज वर्ष 2016 के लिए बनाया गया था। राज्य सरकार द्वारा राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 3 (1) के अन्तर्गत प. 20/19/नविआ/96 दिनांक 14 जून, 1996 को जारी अधिसूचना के तहत शहर के नगरीय क्षेत्र में 35 राजस्व ग्रामों/चकों को सम्मिलित किया गया था। यह मास्टर प्लान राज्य सरकार द्वारा एफ.10 (19)नविवि/3/96 जयपुर दिनांक 13.5.2003 के द्वारा अधिसूचित कर अनुमोदित कर दिया गया था। वर्ष 2011 में भी धारा 3(1) के तहत दिनांक 07.03.2011 को जारी अधिसूचना के द्वारा हनुमानगढ के पुनः नया मास्टर प्लान तैयार

करने का निर्णय लिया गया था, किंतु काफी समय बीत जाने के बाद उक्त अधिसूचना को अतिक्रमित कर 53 राजस्व ग्रामों/चकों को नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित करते हुए धारा 3(1) के तहत प.10/97 नविवि/3/2011 दिनांक 27.5.2016 को पुनः अधिसूचना जारी की गयी। लेकिन बढ़ती जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर नगरीय क्षेत्र निर्धारण बाबत अध्ययन करने पर पाया गया कि उक्त अधिसूचित ग्रामों/चकों में से कुछ ग्राम/चक कम कर/जोड़ कर ही मास्टर प्लान हेतु नगरीय क्षेत्र निर्धारित किया जावे। अतः पूर्व अधिसूचित नगरीय क्षेत्र में से कुछ राजस्व ग्राम कम करने/जोड़ने के बाद 9 राजस्व गांवों को कम करने हेतु शेष सम्मिलित 44 राजस्व ग्रामों बाबत संशोधित अधिसूचना दिनांक 19.04.2018 को राज्य सरकार द्वारा जारी की गई। पूर्व मास्टर प्लान के अनुसार वर्ष 2016 के लिए हनुमानगढ की जनसंख्या 2,10,198 होने का अनुमान लगाया गया था तथा प्रस्तावित भू–उपयोग योजना 2016 में 10,100 एकड़/4089 हैक्टेयर नगरीयकरण योग्य क्षेत्र व 25,885 एकड़/10,480 हैक्टेयर नगरीय क्षेत्र प्रस्तावित किया गया था। यह अनुमान लगाया गया था कि जुड़वा शहर होने के कारण व राजकीय भूमि की उपलब्धता हनुमानगढ जं. में अधिक होने के कारण मुख्य कार्य क्षेत्र हनुमानगढ जं. ही रहेगा। अतः इसी क्षेत्र में अधिक प्रस्ताव किए गए। वर्ष 2017 में विद्यमान नगरीयकृत क्षेत्र 3157 हैक्टेयर है।

वर्तमान में हनुमानगढ का विकास बीकानेर रोड, श्रीगंगानगर रोड, अबोहर रोड, संगरिया रोड श्रीगंगानगर बाईपास व रावतसर रोड पर सड़क के दोनों ओर अधिक हुआ है। श्रीगंगानगर बाईपास पर पॉलिटेक्निक कॉलेज, एकेडमिक कॉलेज, सेण्ट्रल स्कूल, ट्रांसपोर्ट नगर, नुवां गाँव की पश्चिम दिशा में हाऊसिंग बोर्ड की आवासीय योजना आदि विकसित हो चुके हैं। रावतसर रोड पर आवासीय योजनाएं, गौ–शाला, स्कूल, पेट्रोल पम्प, सड़कों के किनारे व्यावसायिक विकास, बीकानेर रोड पर जेल, आवासीय योजनाएं, व्यावसायिक विकास हो चुके हैं। हनुमानगढ में विकास मास्टर प्लान के अनुसार तो हुआ है, किंतु योजनाओं में अभी छितराये तौर पर ही आवासीय विकास हुआ है। पुराने शहर का विकास बिना सैट बैक के ही है तथा अभी भी सड़कों के किनारे–किनारे ही व्यावसायिक विकास की प्रवृति हनुमानगढ में विद्यमान है। टाऊन क्षेत्र में प्रस्तावित मुख्य बस स्टेण्ड का आज तक विकास नहीं हो पाया है तथा इस क्षेत्र में कुछ भू–उपयोग परिवर्तन भी राज्य स्तरीय समिति से निर्णित हो चुके हैं। टाऊन व जंक्शन में प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रों में भी पर्याप्त विकास नहीं हो पाया है। टाऊन में औद्योगिक क्षेत्र में राज्य स्तरीय समिति द्वारा कुछ भू–उपयोग परिवर्तन किये जा चुके है। प्रस्तावित बाईपास का भी मौके पर निर्माण नहीं हो पाया है। अन्य प्रस्तावित सड़कों का मौके पर विकास हो गया हैं, किंतु कुछ क्षेत्रों का विकास मास्टर प्लान के अनुरूप नहीं हो पाया है।

3
नियोजन की नीतियाँ, संकल्पना एवं सिद्धान्त

3

नियोजन की नीतियाँ, संकल्पना एवं सिद्धान्त

हनुमानगढ का विद्यमान स्वरूप क्रमिक ऐतिहासिक विकास का परिणाम है। प्राचीनकाल से ही मानव अपनी सुरक्षा, विभिन्न सेवाओं, वस्तुओं के आदान–प्रदान, भोजन, पूजा, अर्चना, सामाजिक क्रियाकलापों एवं पारस्परिक निर्भरता आदि कारणों से समूह में रहता आया है। स्थान विशेष पर प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता व बुनियादी जरूरतों, सुविधाओं की पूर्ति से जनसंख्या का अत्यधिक जमाव आदि कारणों से नगरों की संरचना प्रारम्भ हुई है। आदिकाल में वनस्पति से आच्छादित क्षेत्रों नदी–घाटियों के समीप उच्च स्थलों तक सीमित था। मध्यकाल में नगरों का विकास समतल मैदानों एवं एक परकोटा विशेष तक हुआ। स्वतंत्रता के पश्चात् विभिन्न सरकारी योजनाओं के अन्तर्गत आर्थिक गतिविधियों एवं चहुंमुंखी विकास के फलस्वरूप लघु एवं मध्यम दर्जे के कस्बों का विकास हुआ। विभिन्न ऐतिहासिक काल (Historical Period) में मानवीय गतिविधियों यथा सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक क्रियाकलापों से नगर के भौतिक स्वरूप व उसकी संरचना पर पड़े प्रभाव से स्थान विशेष पर विकसित हुए प्रतिरूप स्पष्टतः दिखाई देते हैं। मानव जीवन में होने वाले परिवर्तनों के साथ–साथ नगर संरचना के प्रतिरूप में भी परिवर्तन होता रहता है। जनसंख्या की आकार की दृष्टि से हनुमानगढ क;उंसस ज्वूदद्ध श्रेणी से उत्तरोत्तर बढता हुआ ''अ'' श्रेणी (Medium Town) के रूप में विकसित हो गया है तथा भविष्य में बड़ा शहर बनने/वृहद रूप धारण करने की क्षमता रखता है।

विकास की तीव्र प्रवृति के फलस्वरूप नगरों में भीड़–भाड़ जैसी विकट समस्याओं के निराकरण तथा नगरों में सुनियोजित विकास हेतु नगरों के मास्टर प्लान तैयार करने की आवश्यकता महसूस की गयी। नियोजन मानव जीवन की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। विवेकपूर्ण रीति–नीति, कुशलतापूर्वक कार्य करने को ही नियोजन की संज्ञा प्रदान की गयी है।

मास्टर प्लान में नगर के भावी विकास को निर्देशित करने वाली नीतियों एवं सिद्धान्तों का लिखित एवं मानचित्र युक्त विवरण है। इसमें प्रस्तावित भू–उपयोग योजना के अलावा अन्य मानचित्र भी होते हैं। प्रस्तावित भू–उपयोग योजना इन नीतियों एवं सिद्धान्तों को धरातल पर साकार रूप में स्थानांतरित करने की विधि है। यह नगर की सुगम यातायात व्यवस्था एवं विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के विवरण को भी दर्शाता है। मास्टर प्लान नगरीय विकास की दृष्टि से यहां के प्रशासन और जनता को निश्चित मार्ग–दर्शन प्रदान करता है। प्रत्येक नगर की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं, जिन्हें अक्षुण बनाए रखने की जन साधारण की प्रबल आकाक्षाएं होती है। अतः कतिपय मान्यताएं निर्धारित करके उद्वेश्यों के संदर्भ में नियोजन के सिद्धान्तों को विकसित किया जाता है।

मास्टर प्लान एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है, जो कि भविष्य में नगर के आकार, वृद्वि की गति एवं विकास की दिशा को निर्धारित करती है एवं भविष्य में होने वाले विकास हेतु मार्गदर्शक का कार्य करता है। मास्टर प्लान का उद्वश्य शहरी क्षेत्र का संतुलित एवं समन्वित विकास किया जाना है। अतः मास्टर प्लान नगर की वर्तमान परिस्थितियों, नियोजन नीतियों और उद्वेश्यों तथा भू–उपयोग योजना का लिखित दस्तावेज है जो कि शहर के भावी विकास की योजना के क्रियान्वयन का मार्गदर्शक है।

मास्टर प्लान नगर के भावी विकास को निर्देशित करने वाली नीतियों और सिद्वान्तों का एक लिखित दस्तावेज है। जिसमें नगर मानचित्र, विद्यमान भू–उपयोग मानचित्र, नगरीय क्षेत्र मानचित्र व प्रस्तावित भू–उपयोग मानचित्र सम्मिलित हैं। प्रस्तावित भू–उपयोग योजना इन नीतियों और सिद्वांतों का स्थानागत विस्तार के रूप में रूपांतरित करने की विधि है। मास्टर प्लान के उद्वेश्य के अनुरूप नियोजन की नीतियां निर्धारित की जाती है एवं इस संदर्भ में नियोजन के सिद्वांत बनाये गये हैं।

3.1 नियोजन की नीतियाँ

हनुमानगढ एक बहुआयामी नगर है जो जिला, उपखण्ड, तहसील, पंचायत समिति मुख्यालय होने के साथ अपने पृष्ठ क्षेत्र का प्रमुख सेवा केन्द्र है। यह प्रशासनिक, वाणिज्यिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियों का केन्द्र बना रहेगा तथा आने वाले वर्षों में यहाँ पर अधिक व्यापारिक एवं कृषि गतिविधियों की प्रबल संभावनाओं के कारण वाणिज्यिक केन्द्र के रूप में विकसित होगा। अतः इन पहलुओं को दृष्टिगत रखते हुए यहां सुनियोजित, सुव्यवस्थित एवं समग्र विकास की नीति अपनाई गई है।

भौतिक नियोजन एक ऐसी पद्वति है, जिसके द्वारा नगर के भावी आकार, स्वरूप, प्रतिरूप एवं इसके भावी विकास की दिशा आदि के संबंध में विचार करके महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाता है और इन निर्णयों के क्रियान्वयन हेतु समुचित तंत्र की संरचना करती है। एक बार नगर में संबंध में बड़े निर्णय कर लिए जाते हैं तो प्रतिदिन की समस्या के निराकरण हेतु एक आधारभूत ढांचे के संदर्भ में क्रियान्वयन आसान हो जाता है तथा इससे नगर के सुनियोजित एवं सुव्यवस्थित विकास के लक्ष्य व उद्वेश्यों की प्राप्ति की जाती है। इस प्रकार की व्यवस्था के अन्तर्गत पृथक से न तो निर्णय ही लिया जा सकता है और न ही किसी कार्यक्रम को एकाकी रूप से क्रियान्वित किया जा सकता है।

बेहतर जीवन स्तर की सुविधाओं की उपलब्धता के कारण समीपवर्ती क्षेत्रों के लिए आकर्षण का केन्द्र रहा है और भविष्य में भी बना रहेगा। सिंचित क्षेत्र विकास इंदिरा गांधी नहर परियोजना की स्थापना से हनुमानगढ का चहुमुखी विकास हुआ है। जिससे नगर में उच्च स्तर की आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जाना आवश्यक होगा। रेल, सडक से बेहतर कनेक्टीविटी से भी रोजगार के साथ जनसंख्या का आव्रजन बढा है। हनुमानगढ वृहद शहर बनने की ओर अग्रसर है। अतः भावी विकास हेतु नियोजित विकास की प्रक्रिया

को अपनाया जाना आवश्यक है। राजस्थान सरकार/केन्द्र सरकार के द्वारा समय–समय पर जारी नितियों जैसे राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2010, अर्फोडेबल हाउसिंग पॉलिसी 2009, मुख्यमंत्री जन–आवास योजना 2015, एकीकृत भवन विनियम 2017, यू.आर.डी.पी. एफ.आई. गाईडलाइन आदि को नगरीयकरण योग्य/नगरीय क्षेत्र के नियोजन एवं विकास करते समय मार्गदर्शिका के रूप में उपयोग किये जाने की नीति अपनाई गई है। उच्च जीवन स्तर व पर्यावरण संरक्षण हेतु दूरदर्शिता पूर्ण नीति को ध्यान में रखा गया है। सामुदायिक विकास एवं प्रसार (Community Development & Extension) को विशेष महत्व दिया गया है। अतः विकास की संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए हनुमानगढ को औद्योगिक, शैक्षणिक, वाणिज्यिक, सामाजिक गतिविधियों के केन्द्र के रूप में विकसित किए जाने की नीति अपनाई गई है।

3.2 नियोजन के सिद्धान्त

उपर्युक्त नीतियों के संदर्भ में मास्टर प्लान को कार्यरूप में परिणित करने के लिए नियोजन के सिद्वान्तों का प्रतिपादन किया गया है।

1. नये क्षेत्रों के विकास के समय पुराने शहर एवं नई बसावट के बीच समुचित सामंजस्य रखा जाना चाहिए। अतः भूमि को विभिन्न उपयोगों हेतु इस तरह प्रावधानित करना जिससे शहर की विभिन्न गतिविधियों में सही तरीके से सामंजस्य स्थापित किया जा सके। पुराने शहर में उच्च जनघनत्व है, जबकि उनके आसपास के नये विकसित क्षेत्र अपेक्षाकृत कम जनघनत्व वाले हैं। नये आबादी क्षेत्रों के साथ–साथ कार्य स्थलों को भी समुचित आधार पर मूलभूत सुविधाओं के साथ विकसित किया जाना, जिससे पुराने शहर के निवासी, बाहरी विकसित क्षेत्रों में विस्थापित हो सके। समूचे नगरीय क्षेत्र में सामुदायिक एवं सार्वजनिक सुविधाओं एवं सेवाओं को क्षेत्रीय, शहर एवं स्थानीय स्तर पर सुनियोजित तरीके से आवंटित किया जाना चाहिए।

2. नये आमोद–प्रमोद स्थलों को विकसित करते समय यथासंभव सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक सौंदर्य के स्थलों के पास में/स्थान विशेष पर युक्तिसंगत रूप से एवं उचित आकार में प्रावधानित किया जाना चाहिए।

3. राजकीय एवं अर्द्ध–राजकीय कार्यालय संगठित परिसरों में इस प्रकार प्रावधानित किए जाने चाहिए कि वहां कार्यरत कर्मचारियों के आवास हेतु समीप ही भूमि उपलब्ध हो तथा कार्यालय यथासंभव मुख्य मार्गों पर ही स्थित हो।

4. समस्त वाणिज्यिक गतिविधियों को इस तरीके से वर्गीकृत किया जाना चाहिए ताकि आवागमन के समय को कम किया जा सके। नये वाणिज्यिक केन्द्रों को तकनीकी दृष्टि

से तर्क–संगत एवं उचित आकार में आरक्षित किया जाना चाहिए ताकि पुराने व्यावसायिक क्षेंत्रों के लिए अनावश्यक की जाने वाली यात्रा से बचा जा सके।

5. औद्योगिक क्षेत्र हेतु वायु की दिशा के अनुसार स्थल आरक्षित किए जाने चाहिए, ताकि वे आसपास की आबादी, जल स्त्रोतों व पर्यावरण को दूषित न कर सके। शहर में स्थित प्रदुषणकारी विद्यमान औद्योगिक इकाइयों को आबादी क्षेत्र से दूर स्थानांतरित किया जाना चाहिए।

6. नगर के विभिन्न पथों और मार्गों का समुचित उपयोग करने हेतु यातायात संरचना में बहुस्तरीय व्यवस्था का विकास किया जाना चाहिए। बाह्य यातायात स्थानीय शहरी यातायात से मिश्रित नहीं हो, इस हेतु बाईपास एवं रिंग रोड का प्रावधान किया जाना चाहिए।

7. प्राकृतिक तालाबों एवं ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक स्थलों का संरक्षण एवं विकास किया जाना चाहिए।

8. संपूर्ण नगरीय क्षेत्र को विभिन्न योजना क्षेत्रों में बांटा जाना चाहिए तथा प्रत्येक योजना क्षेत्रों का नियोजन इस प्रकार होना चाहिए कि वे आवासीय, व्यावसायिक, कार्य क्षेत्रों, शैक्षणिक, चिकित्सा और अन्य सामुदायिक सुविधाओं की दृष्टि से आत्मनिर्भर हों। इसी क्रम में प्रत्येक योजना क्षेत्र के लिए जोनल डवलपमेन्ट प्लान एवं विस्तृत योजनाएं तैयार की जा सकती हैं।

9. मास्टर प्लान के अनुरूप पेयजल, जल–मल एवं दूषित जल निकास, विद्युत एवं परिसंचरण इत्यादि ढांचागत विकास हेतु विस्तृत योजनाएं तैयार की जानी चाहिए।

10. संकरी नगरीय सड़कों पर भारी यातायात को कम करने एवं उसे अन्यत्र जोड़ने के लिए पर्याप्त स्थल निर्धारित करने होंगे। थोक व्यापार, ट्रांसपोर्ट नगर, भण्डारण एवं गोदाम आदि भारी यातायात आमंत्रित करते हैं। उनके लिए घनी आबादी से दूर नये क्षेत्रों में तर्क संगत एवं उचित आकार में पर्याप्त भूमि प्रस्तावित की जानी चाहिए।

11. हनुमानगढ आसपास के क्षेत्रों हेतु एक प्रमुख व्यावसायिक एवं वाणिज्यिक केन्द्र के रूप में विकसित हुआ है। अतः इसके लिए पर्याप्त आधारभूत सुविधाओं का सुनियोजित ढंग से विकास किया जाना चाहिए।

12. हनुमानगढ में औद्योगिक वातावरण हेतु आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध है। अतः गत द ाकों में आटा, तेल, बेकरी, उत्पाद, ईंटों, टाइलों, कपास, दाल और मसाले, बर्फ और दूध अवशीतन के निर्माण, जैविक खाद, कोल्ड ड्रिंक्स, प्लास्टर ऑफ पेरिस, लकड़ी का

हस्तकला, कारों की मरम्मत तथा ऊन व्यवसाय से जुड़ी औद्योगिक इकाइयों को संचालन एवं नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना भविष्य की आवश्यकता के अनुसार तर्कसंगत रूप से उचित आकार में स्थल आरक्षित किया जाना चाहिए।

13. नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के चारों ओर एक परिधि नियंत्रण पट्टी प्रस्तावित की जानी चाहिए, जिससे कृषि विकास के साथ स्वच्छ पर्यावरण का लाभ प्राप्त हो सके तथा अव्यवस्थित व अनियोजित विकास की प्रक्रिया को रोका जा सके।

14. उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न महाविद्यालय, अनुसंधान, प्रौद्योगिकी इत्यादि संस्थानों की स्थापना होने पर आधारभूत सुविधाएं विकसित किए जाने की आवश्यकता एवं परिसरों में सघन वृक्षारोपण किया जाना।

15. मास्टर प्लान, सैक्टर प्लान एवं योजना मानचित्रों में प्रस्तावित सभी सड़कों का मौके पर डिमार्केशन किया जाना एवं पूर्व अनमोदित/गैर–अनुमोदित आवासीय/विभिन्न योजनाओं में विद्यमान एवं प्रस्तावित सड़कों को आपस में लिंक किए जाने की सुनिश्चितता की जानी चाहिए।

16. ऑयल डिपो व गैस गोदाम के आसपास में निर्धारित दूरी तक सुरक्षा पट्टी रखी जाना एवं निर्माण निषेध आवश्यक है एवं भविष्य में गैस गोदाम/ऑयल डिपो को सघन आबादी क्षेत्र से दूर स्थापित किया जाना।

17. ऐतिहासिक, धार्मिक व पुरातत्व स्थलों के महत्व को ध्यान में रखना तथा उनके आसपास अनाधिकृत एवं अनियोजित बसावटों से बचाना, उक्त स्थलों एवं प्राकृतिक सुदंरता वाले स्थलों के पूर्ण रख रखाव पर ध्यान रखा जाना चाहिए।

18. हनुमानगढ के नगरीयकरण योग्य क्षेत्र से बाहर परिधि नियंत्रण क्षेत्र में स्थित ग्रामों का सुनियोजित ढंग से विकास एवं विस्तार किया जाना चाहिए।

19. घग्घर बहाव क्षेत्र को पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित किया जाना व इसके दोनों किनारों पर वृक्षारोपण किया जाना।

20. राजमार्गों पर भारी यातायात के अत्यधिक दबाव को देखते हुए बाईपास व वैकल्पिक समानान्तर सड़कों को विकसित किया जाना चाहिए।

21. शहर में स्थित मुख्य चौराहों जहां पर यातायात का अत्यधिक दबाव होने से पैदल चलने वाले लोगों को सुगम आवागमन हेतु पैदल फुटओवर ब्रिज व अण्डर पास जो भी उचित हो, भौतिक स्थिति अनुसार निर्माण किया जाना चाहिए।

22. विद्युत हाई–टेंशन लाईन के नीचे दोनों ओर निर्धारित दूरी तक किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं होने देना चाहिए।

23. नगर के विस्तार की तीव्र गति एवं निरन्तर बढती वाहनों की संख्या एवं पार्किंग स्थलों की कमी इत्यादि को ध्यान में रखते हुए यातायात एवं परिसंचरण संबंधित दीर्घकालीन योजना तैयार करना चाहिए।

24. हनुमानगढ नहरी क्षेत्र है तथा नहरें वर्षा जल पर आधारित हैं। वर्षा की कमी को ध्यान में खते हुए विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षा जल संवर्धन, संरक्षण एवं पुनर्भरण की संरचना विकसित की जानी की आव यकता है।

25. भविष्य में सार्वजनिक सुविधाओं के अन्तर्गत जैसे शिक्षण संस्थान, चिकित्सालय अन्य संस्थानों की स्थापना निर्धारित मानकों के अनुरूप होनी चाहिए।

26. शहर में बढ़ती व्यावसायिक एवं औद्योगिक गतिविधियों को दृष्टिगत रखते हुए सामान का आदान–प्रदान सुगमता से हो, इस हेतु आधुनिक स्तर के ट्रांसपोर्ट नगर विकसित किए जाने, जिसमें सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करायी जानी।

27. हनुमानगढ मास्टर प्लान 2035 का चरणबद्व एवं समयबद्व रूप से क्रियान्वयन किए जाने हेतु नगर परिषद् द्वारा विस्तृत योजना तैयार किया जाना चाहिए।

28. समय–समय पर विकास की योजनाएं हाथ में ली जानी व इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाना चाहिए।

29. नगरीय क्षेत्र में कृषि उत्पादन के रख–रखाव के लिए भण्डारण व गोदाम की उचित व्यवस्था किया जाना एवं कोल्ड स्टोरेज का निर्माण करवाना।

30. शहर के प्राकृतिक प्रवाह को दृष्टिगत रखते हुए दीर्घकालीन वर्षा जल निकास की योजनाएं बनाना।

31. कुशल समूह परिवहन प्रणाली रिंग रोड व क्षेत्रीय सड़कों का विकास करना।

32. पर्यावरण संरक्षण के मापदण्ड के अनुरूप पर्यावरण संरक्षित किया जाना।

33. केन्द्र सरकार व राज्य सरकार की योजनाओं का समयबद्व क्रियान्वयन की सुनिश्चितता की जानी चाहिए।

34. हनुमानगढ मास्टर प्लान 2035 के प्रस्तावों के अनुसार क्रियान्वयन की सुनिश्चिता की जानी चाहिए।

35. नगरीय क्षेत्र में स्थित नहर की भूमि का सीमांकन, अतिक्रमण हटाना व नहर के सहारे–सहारे वृक्षारोपण करना।

36. हनुमानगढ़, टाउन जंक्शन के रूप में एक युग्म शहर (Twin town) है, शहर के मध्य से गुजरती बरसाती घग्घर नदी के बहाव क्षेत्र की वजह से यह दो क्षेत्रों में बंटा हुआ है इसलिये शहरी स्तर पर जो सुविधाएं जंक्शन क्षेत्र को दी जानी होती है वही सुविधाएं टाउन क्षेत्र को भी देनी होती हैं। अतः दी जाने वाली सुविधाएं निर्धारित मानदण्डों से कुछ अधिक देनी आव यक हो गई है/दी जाने की आवश्यकता है कि सुविधाओं के उपयोग हेतु आम जान को एक ओर से दूसरी ओर ना जाना पड़े।

37. राष्ट्रीय राजमार्गो एवं राज्य राजमार्गों के सहारे–सहारे अनियंत्रित व अवैध विकास नियंत्रण एवं नियोजित स्वरूप देने हेतु राष्ट्रीय राजमार्गो एवं राज्य राजमार्गो के सहारे–सहारे वृक्षारोपण पट्टी एवं हाईवे डवलपमेन्ट कन्ट्रोल बेल्ट का प्रावधान रखा जाना चाहिए।

38. शहर के मध्य से गुजर रही घग्घर नदी के दोनों ओर वृक्षारोपण के उपरान्त रिवर फ्रन्ट डवलपमेन्ट की योजना तैयार किया जाना आवश्यक है ताकि घग्घर नदी के दोनो ओर विकास पर नियंत्रण हो सकें एवं यह एक सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आमोद–प्रमोद स्थल के रूप में विकसित हो सकें।

39. हनुमानगढ एवं आस–पास के क्षेत्र में कृषि व खनिज सम्पदा के दृष्टिगत, शहर में कृषि आधारित उद्योगों एवं खनिज उद्योगों हेतु पर्याप्त स्थल को आरक्षित किया जाना आवश्यक है।

40. डी बी सिविल रिट संख्या 1554/2004 गुलाब कोठारी बनाम् राज्य सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 12.01.2017 के क्रम मे मास्टर प्लान 2016 में प्रस्तावित बाग, खुले स्थल, सुविधा क्षेत्रों आदि को यथावत कायम किया गया है। केवल निर्णय से पूर्व सक्षम स्तर से जारी किए गए अनुमोदन व अन्य को ही समायोजित किया गया है। भविष्य में यदि उक्त आदेश के क्रम में किसी प्रकार का सशोधन किया जाता है तो उक्त स्थलों पर प्रस्तावित भू–उपयोग पर तत्समय जारी किये गये निर्णय के अनुरूप पुनः विचार किया जा सकता है।

41. शहर के विकास को देखते हुए मास्टर प्लान में प्रस्तावित मार्गाधिकार 30 मीटर एवं इससे अधिक चौड़ी सड़क पर मिश्रित भू–उपयोग प्रस्तावित किया गया है।

42. D.B Civil Writ No. 1554/2004 माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित निर्णय के क्रम में नगरीयकरण क्षेत्र के बाहर एवं पूर्व मास्टर प्लान प्रस्तावों के अनुरूप राजमार्गों/बाईपास के सहारे सडक मार्गाधिकार के पश्चात् 100 फीट चौड़ी पट्टी सघन वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित की गई है ।

43. विभिन्न शहरों के मास्टर प्लान की क्रियांवयन के सबंध में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार के वाद में निर्देश प्रदान किये गये है उक्त निर्देशो के अनुपालना के क्रम में हनुमानगढ़ शहर के मास्टर प्लान 2016 में प्रस्तावित पार्क एवं सुविधा क्षेत्रों आदि उपयोगों को यथावत कायम किये जाने की कोशिश की गई है। यदि कोई भू–उपयोग सहवन से अंकित हो गया है तो उक्त भूमि का भू–उपयोग सक्षम स्तर से स्वीकृति न होने की स्थिति में भू–उपयोग मास्टर प्लान 2016 के अनुरूप ही माना जायेगा। मास्टर प्लान के क्रियांवयन हेतु माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित निर्णय एवं समय–समय पर जारी निर्णयों/आदेशों की पूर्ण पालना की जानी होगी।

44. मास्टर प्लान प्रस्तावो के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु मास्टर प्लान में प्रस्तावित योजना क्षेत्रों अथवा भौतिक सरंचनाओ/अवरोधो यथा सडक, रेलवे लाइन, नदी इत्यादि के अनुरूप आवश्यकता अनुसार जोन अथवा सैक्टर सीमा का निर्धारण कर राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेशों व गाईड लाईन के अनुरूप स्थानीय निकाय द्वारा नगर नियोजन विभाग की सहायता एवं निर्देशन में जोनल डवलपमेंन्ट प्लान अथवा सैक्टर प्लान तैयार किये जावेगें।

4

भावी आकार

4

भावी आकार

हनुमानगढ के नगरीय क्षेत्र के अन्तर्गत 44 राजस्व ग्रामों/चकों को सम्मिलित किया गया है। जिनका कुल क्षेत्रफल अर्थात् कुल अधिसूचित नगरीय क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग 16,737 हैक्टेयर व आधार वर्ष 2017 की अनुमानित जनसंख्या 2,11,784 है तथा क्षितिज वर्ष 2035 में जनसंख्या 3,63,700 होने का अनुमान लगाया गया है। इस बढ़ी हुई जनसंख्या एवं शहर के भावी विकास को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न प्रयोजनार्थ भूमि की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विस्तृत योजना तैयार की गयी है।

4.1 जन सांख्यिकी

वर्ष 1991 में हनुमानगढ की जनसंख्या 82733 थी जो वर्ष 2001 में बढकर 1,29,556, वर्ष 2011 में 1,75,028 तथा वर्ष 2021 व वर्ष 2031 में क्रमशः 2,36,300 व 3,19,000 होने का अनुमान लगाया गया है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्वि दर वर्ष 1991 से 2001 दशक के मध्य 56.60 प्रतिशत रिकार्ड की गयी। इसका मुख्य कारण यहाँ पर औद्योगिक विकास, रोजगार तथा बेहतर शिक्षा के साधनों की सुविधा का मिलना, नये कार्यालयों की स्थापना, रहन–सहन का अच्छा स्तर व सुविधाएं, भावी विकास की संभावनाएं, नगर परिषद् सीमा में बढोतरी, जागरूकता एवं बेहतर शिक्षा आदि है।

अपने आसपास के क्षेत्र में एक बड़ा शहर होने के कारण हनुमानगढ का एक महत्वपूर्ण स्थान है। विकसित क्षेत्र से सटे हुये चार चकों की जनसंख्या को जोडकर वर्ष 2011 की जनसंख्या 1,75,028 आंकी गई है। विकास की गति, पिछले कुछ वर्षों की जनसंख्या वृद्धि दर, प्राकृतिक वृद्धि, प्रवासी जनसंख्या एवं भावी विकास की संभावनाओं के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2035 में हनुमानगढ की जनसंख्या 3,63,700 हो जाएगी। अनुमान लगाते हुए समय हनुमानगढ के प्रशासनिक, औद्योगिक व वाणिज्यिक केन्द्र होने के कारण जनसंख्या वृद्धि के दोनों घटकों, प्राकृतिक वृद्धि तथा प्रवासी जनसंख्या का ध्यान रखा गया है। हनुमानगढ जिले की गत दशक 2001–2011 की प्राकृतिक वृद्धि दर 17.24 प्रतिशत है। वर्ष 1991 से 2035 तक हनुमानगढ की जनसंख्या वृद्धि की प्रवृति एवं अनुमानों को तालिक संख्या 9 में दर्शाया गया है :–

तालिका –9

जनसंख्या वृद्धि की प्रवृति एवं अनुमान हनुमानगढ 1991–2035

वर्ष	जनसंख्या	जनसंख्या का अन्तर	प्रतिशत वृद्धि दर
1981	60,071	–	–
1991	82,733	22,662	37.72
2001	1,29,556	46,823	56.60
2011′	1,75,028	45,472	35.00
2021 (अनुमानित)	2,36,300	61,272	35.00
2031 (अनुमानित)	3,19,000	82,700	35.00
2035 (अनुमानित)	3,63,700	44,700	14.00

स्त्रोतः–भारतीय जनगणना एवं सलाहकार के अनुमान

नोट – वर्ष 2011 की जनसंख्या में चार चक 1NWN, 17HMH, 4RRW व 5KNJ की जनसंख्या सम्मिलित है।

4.2 व्यावसायिक संरचना

प्रस्तावित व्यावसायिक संरचना का हनुमानगढ शहर के पिछले दशकों में हुई जनसंख्या वृद्धि, भविष्य की आर्थिक संभावनाओं एवं गतिविधियों, वर्तमान परिस्थितियों के साथ समान श्रेणी के अन्य शहरों का तुलनात्मक अध्ययन आदि को ध्यान में रखकर अनुमान लगाया गया है। वर्ष 2011 में हनुमानगढ का सहभागिता अनुपात 31.24 प्रतिशत था। यह अनुमान लगाया गया है कि क्षितिज वर्ष 2035 तक हनुमानगढ की कुल जनसंख्या की लगभग 35 प्रतिशत कार्यशील जनसंख्या होगी अर्थात् वर्ष 2035 में लगभग 1,11,385 कार्यशील व्यक्ति होने की संभावना है। ऐसा अनुमान है कि हनुमानगढ में औद्योगिक क्षेत्र, व्यापार एवं वाणिज्य तथा अन्य सेवाओं में अधिक विकास होगा तथा नगरीय गतिविधियों में वृद्धि के कारण कृषि कार्य के प्रतिशत में कमी आएगी तथा अन्य क्षेत्रों में कार्य करने वाले श्रमिकों/कार्यशील व्यक्तियों के प्रतिशत में वृद्धि होगी। वर्ष 2011 व 2035 में हनुमानगढ की प्रस्तावित व्यावसायिक संरचना व प्रत्येक वर्ग में कार्यशील व्यक्तियों का विवरण तालिका संख्या 10 में दर्शाया गया है :–

तालिका–10

अनुमानित व्यावसायिक संरचना, हनुमानगढ – (2011–2035)

क्र. सं.	व्यवसाय	2011		2035	
		कार्यशील व्यक्तियों की संख्या	प्रतिशत	कार्यशील व्यक्तियों की संख्या	प्रतिशत
1.	कृषि, उत्खनन व तत्संबंधी कार्य	3086	5.10	3,835	4.00
2.	उद्योग	13,050	21.57	21,098	22.00
3.	निर्माण कार्य	5,100	8.43	8,152	8.50
4.	व्यापार एवं वाणिज्य	20,668	34.16	32,605	34.00
5.	यातायात एवं संचार	7,514	12.42	11,990	12.50
6.	अन्य सेवाएं	11,084	18.32	18,220	19.00
कुल कामगार		**60,502**	**100**	**95,900**	**100**

स्त्रोत– भारतीय जनगणना एवं सलाहकार के अनुमान

उक्त तालिका से ज्ञात होता है कि वर्ष 2035 में हनुमानगढ में 34 प्रतिशत कामगार व्यापार एवं वाणिज्यिक, 22 प्रतिशत महत्वपूर्ण भागीदारी औद्योगिक कार्यों में, यातायात एवं संचार कार्यकलापों में 12.50 प्रतिशत, कृषि उत्खनन व तत्संबंधी कार्यों में 4 प्रतिशत, व निर्माण कार्यों में लगभग 8.50 प्रतिशत व अन्य सेवाओं में 19 प्रतिशत व्यक्तियों के कार्यरत रहने का अनुमान है। शहर की वृद्धि प्रवृति को ध्यान में रखकर ही भविष्य की आवश्यकताओं के आधार पर समुचित प्रस्ताव तैयार किए गए हैं।

4.3 नगरीय क्षेत्र

हनुमानगढ का मास्टर प्लान बनाने हेतु राज्य सरकार द्वारा राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 3(1) के अन्तर्गत हनुमानगढ के नगरीय क्षेत्र में 53 राजस्व ग्रामों/चकों को सम्मिलित करते हुए अधिसूचना क्रमांक प.10(9)नविवि/3/2011 दिनांक 27 मई, 2016 जारी की गई। लेकिन बढती जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर नगरीय क्षेत्र निर्धारण बाबत पुनः अध्ययन करने पर पाया गया कि अधिसूचित गांवों से कुछ गांव बाहर कर ही मास्टर प्लान हेतु नगरीय क्षेत्र निर्धारित किया जाये। अतः पूर्व में अधिसूचित क्षेत्र में से 9 राजस्व ग्रामों को विलोपित करते हुए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या प. 10(9) नविवि/3/2011 दिनांक 19.4.2018 को जारी गयी है।

अतः वर्तमान में अधिसूचित नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित 44 राजस्व ग्रामों/चकों का कुल क्षेत्रफल 16,737 हैक्टेयर है। उक्त अधिसूचित राजस्व ग्रामों की सूची परिशिष्ट–3 में दी गयी है।

4.4 नगरीयकरण योग्य क्षेत्र

हनुमानगढ की जनंसख्या आधार वर्ष 2017 के लिए अनुमानित 2,11,784 से बढकर वर्ष 2035 में 3,63,700 हो जाने का अनुमान है। इस प्रकार वर्ष 2035 तक लगभग 1,51,916 व्यक्तियों की वृद्धि हो जाएगी। विकास के मानदण्डों को ध्यान में रखते हुए बढी हुई जनसंख्या के लिए आवास, कार्यस्थलों, आमोद–प्रमोद के स्थलों तथा सामुदायिक दायित्व हेतु सार्वजनिक उपयोगों की भूमि उपलब्ध करवानी होगी। इस प्रकार बढी जनसंख्या के लिए विभिन्न गतिविधियों हेतु कुल लगभग 7692 हैक्टेयर विकास योग्य/नगरीयकरण योग्य क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। नगर का प्रस्तावित जनघनत्व लगभग 44.39 व्यक्ति प्रति हैक्टेयर होने का अनुमान है। भूमि की उपलब्धता व वर्तमान विकास से प्रतीत होता है कि हनुमानगढ का विकास जंक्शन क्षेत्र में सभी सड़कों की तरफ तथा टाऊन क्षेत्र में रावतसर सड़क के दोनों ओर होगा।

4.5 प्रस्तावित योजना क्षेत्र

हनुमानगढ के प्रस्तावित योजना क्षेत्र को विकास की दृष्टि से मुख्यतः सात योजना परिक्षेत्रों में विभाजित किया गया हैं। योजना परिक्षेत्रों का निर्धारण करते समय वर्तमान उपलब्ध सुविधाओं, भौतिक अवरोधों, आर्थिक गतिविधियों व विभिन्न क्षेत्रों के पारस्परिक कार्य संबंधों को ध्यान में रखा गया है। हाईवे डवलपमेंट नियंत्रण पट्टी योजना क्षेत्र व

परिधि नियंत्रण क्षेत्र को छोड़कर प्रत्येक योजना परिक्षेत्र में आवास, बाजार, आमोद–प्रमोद, शैक्षणिक तथा अन्य सामुदायिक सुविधाओं आदि का समुचित प्रावधान रखने का प्रयास किया गया है, जिससे प्रत्येक परिक्षेत्र सुविधा की दृष्टि से आत्म निर्भर होगा। हाइवे डवलपमेन्ट नियंत्रण क्षेत्र में राज्य सरकार के आदेश दिनांक 19.06.2013 एवं समय–समय पर जारी आदेशानुसार विभिन्न नगरीय उपयोग मांग के अनुरूप अनुज्ञेय होंगे। प्रत्येक योजना क्षेत्र की सीमाओं को नगरीय क्षेत्र के मानचित्र में राजस्व ग्राम/चक का नाम मय सीमाओं, विद्यमान नगरीयकृत क्षेत्र–2017 तथा वर्ष 2035 के लिए प्रस्तावित नगरीयकरण योग्य क्षेत्र की सीमाओं के साथ एवं वर्ष 2035 के लिए हनुमानगढ के योजना परिक्षेत्रों को निम्न तालिका संख्या 11 में दर्शाया गया है :–

तालिका–11

योजना क्षेत्र, हनुमानगढ : 2035

क्रमांक	योजना क्षेत्र का नाम	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
A	रावतसर मार्ग योजना क्षेत्र	946.34
B	पुराना शहर योजना क्षेत्र	1191.68
C	सतीपुरा योजना क्षेत्र	1762.32
D	पुलिस लाईन योजना क्षेत्र	1097.13
E	कलेक्ट्रेट योजना क्षेत्र	1355.66
F	उच्च मार्ग विकास नियंत्रण क्षेत्र	1338.91
G	परिधि नियंत्रण पट्टी क्षेत्र	9044.96
कुल अधिसूचित नगरीय क्षेत्र		**16737**

स्त्रोत– नगर नियोजन विभाग का अनुमान

प्रस्तावित 7 योजना क्षेत्र में से क्रम संख्या ए से ई तक प्रस्तावित योजना क्षेत्रों में समस्त मुख्य सडके जिनका मार्गाधिकार 30 मीटर से अधिक है पर प्रस्तावित मास्टर प्लान में मिश्रित उपयोग प्रस्तावित किये गये है। उक्त मिश्रित उपयोग में समस्त उपयोग यथा आवासीय वाणिज्यिक, संस्थागत आदि हेतु निर्धारित न्यूनतम तकनीकी मापदण्डों की पूर्ति होने पर अनुज्ञेय किये गये है। विभिन्न योजना क्षेत्रों का विवरण निम्नानुसार है :–

4.5.1 रावतसर मार्ग योजना क्षेत्र

इस परिक्षेत्र का क्षेत्रफल 946.34 हैक्टेयर है। यह परिक्षेत्र हनुमानगढ टाऊन में सादुलपुर रेलवे लाईन के दक्षिण में रावतसर रोड के दोनों ओर स्थित है। वर्तमान में इस परिक्षेत्र में धार्मिक स्थल, भारतीय खाद्य निगम के भण्डारण व गोदाम, कॉलेज, कृषि अनुसंधान क्षेत्र, खुदरा व्यापार क्षेत्र व आवासीय क्षेत्र स्थित है। विद्यमान विकसित क्षेत्र के अतिरिक्त इस योजना क्षेत्र में 228.50 हैक्टेयर आवासीय 61.20 हैक्टेयर व्यवसायिक 110.74 हैक्टेयर औद्योगिक क्षेत्र लगभग 30 हैक्टेयर आमोद–प्रमोद व 28.29 हैक्टेयर क्षेत्रफल सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक उपयोग हेतु शहर के भावी विकास एवं सुनियोजित

विस्तार हेतु प्रस्तावित किये गये है। मुख्य रूप इस योजना क्षेत्र में आवासीय, गोदाम एवं भण्डारण व औद्योगिक भू–उपयोग प्रस्तावित किया गया है। उक्त प्रस्तावित द्वारा उपयोग के साथ–साथ इस योजना क्षेत्र में 19.73 हैक्टेयर क्षेत्रफल का ट्रक टर्मिनल रावतसर रोड पर शहर की आवश्यकता अनुसार प्रस्तावित किया गया है। इस योजना क्षेत्र में रावतसर सडक पर रीको द्वारा प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र स्थित है जो कि औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। इस परिक्षेत्र के विकसित क्षेत्र में पर्यावरण सुधार कार्यक्रम, सड़कों पर रोशनी, जल–मल निकासी, नालियाँ एवं सड़कों के सुधार कार्यक्रम आदि करने की भी आवश्यकता है।

4.5.2 पुराना शहर योजना क्षेत्र

इस परिक्षेत्र का क्षेत्रफल 1191.68 हैक्टेयर है। यह योजना क्षेत्र सादुलपुर रेलवे लाइन के उत्तर व घग्घर नदी के मध्य से दक्षिण में स्थित क्षेत्र है। यह क्षेत्र हनुमानगढ शहर का पुराना शहर है जिसमें भटनेर किले के अतिरिक्त पुराना बाजार, शहर का मुख्य राजकीय अस्पताल, धान मण्डी, खुदरा व्यापार स्थल, बस स्टेण्ड, हनुमानगढ रेलवे स्टेशन, नगर परिषद् कार्यालय, राजस्थान वित निगम के गोदाम व कुछ औद्योगिक इकाइया एवं पुरानी आबादी क्षेत्र है। यह सबसे अधिक व्यस्त गतिविधियों वाला भाग है। इस योजना क्षेत्र में शहर के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए मुख्य रूप से आवासीय (309.11 हैक्टेयर) व घग्घर नदी के समीप रिवर फ्रन्ट डवलपमेन्ट व आमोद–प्रमोद के अन्तर्गत प्रस्तावित प्रयोजन हेतु लगभग 207.63 हैक्टेयर क्षेत्रफल प्रस्तावित किया गया है। हनुमानगढ के पूर्व स्वीकृत मास्टर प्लान में घग्घर बहाव क्षेत्र का माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित 6 बीधा चौडाई के क्षेत्र के अलावा जो क्षेत्र है उसको रिवर फ्रन्ट डवलपमेन्ट हेतु प्रस्तावित किया गया है। इस क्षेत्र में पर्यावरण मैत्री तथा ईको क्रियाकलाप कार्य ही अनुज्ञेय रहेगे। वर्ष 1998 में गजट नोटिफिकेशन में घग्घर नदी के अधिसूचित 6 बीघा चौडाई के बाद रिवर फ्रन्ट डवलपमेन्ट जोन प्रस्तावित किया गया है। पूर्व मास्टर प्लान के अनुसार 400 फीट चौडी वृक्षारोपण पट्टी को यथावत कायम किया जाना होगा। उक्त प्रयोजन के अतिरिक्त सरकारी कार्यालयों हेतु 22.25 हैक्टेयर, बस स्टेण्ड हेतु 8.54 हैक्टेयर व विभिन्न संस्थागत एवं सुविधा हेतु 24.27 हैक्टेयर क्षेत्रफल प्रस्तावित किया गया है।

4.5.3 सतीपुरा योजना क्षेत्र

इस परिक्षेत्र का क्षेत्रफल 1762.32 हैक्टेयर है। यह क्षेत्र घग्घर नदी के मध्य से उत्तर में हनुमानगढ जक्शन से गुजरने वाली सूरतगढ–भटिण्डा रेलवे लाईन के मध्य स्थित है। उक्त क्षेत्र शहर का मुख्य वाणिज्यिक केन्द्र है। इस क्षेत्र में हनुमानगढ जक्शन रेलवे स्टेशन, बस स्टेण्ड नई विकसित आवासीय कॉलोनियों व विभिन्न वाणिज्यिक गतिविधियॉ वर्तमान में संचालित है। इस क्षेत्र में हनुमानगढ कस्बे के विकास को दृष्टिगत रखते हुए

651.23 हैक्टेयर भूमि आवासीय उपयोग हेतु प्रस्तावित की गई है। उक्त आवासीय क्षेत्र के परिपेक्ष्य में विभिन्न संस्थागत एवं सुविधा क्षेत्र हेतु 57.05 हैक्टेयर के साथ–साथ घग्घर नदी के समीप रिवर फ्रन्ट डवलपमेन्ट व आमोद–प्रमोद के अन्तर्गत प्रस्तावित प्रयोजन हेतु लगभग 210.45 हैक्टेयर क्षेत्रफल प्रस्तावित किया गया है। हनुमानगढ के पूर्व स्वीकृत मास्टर प्लान में घग्घर बहाव क्षेत्र का माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित 6 बीधा चौडाई के क्षेत्र के अलावा जो क्षेत्र है उसको रिवर फ्रन्ट डवलपमेन्ट हेतु प्रस्तावित किया गया है। इस क्षेत्र में पर्यावरण मैत्री तथा ईको क्रियाकलाप कार्य ही अनुज्ञेय रहेगे। वर्ष 1998 में गजट नोटिफिकेशन में घग्घर नदी के अधिसूचित 6 बीघा चौडाई के बाद रिवर फ्रन्ट डवलपमेन्ट जोन प्रस्तावित किया गया है। पूर्व मास्टर प्लान के अनुसार 400 फीट चौडी वृक्षारोपण पट्टी को यथावत कायम किया जाना होगा। उक्त योजना क्षेत्र में मुख्य सडको पर 94.37 हैक्टेयर भूमि मिश्रित उपयोग हेतु प्रस्तावित की गई है। इस योजना क्षेत्र में हनुमानगढ के पूर्व मास्टर प्लान में प्रस्तावित 82.84 हैक्टेयर औद्योगिक क्षेत्र को यथावत रखा गया है।

4.5.4 पुलिस लाईन योजना क्षेत्र

इस परिक्षेत्र का क्षेत्रफल 1097.13 हैक्टेयर है। यह क्षेत्र उत्तर में मुख्य नहर (सादुल ब्रांच) दक्षिण में रेलवे लाईन, पश्चिम चूना फाटक से पीएचईडी के जल आपूर्ति के केन्द्र को जाने वाली मुख्य सडक एवं पूर्व में नावां गांव की आबादी क्षेत्र बाद प्रस्तावित बाईपास रोड के मध्य स्थित है। इस क्षेत्र में मुख्यतः विभिन्न विभागो के कार्यालय, पुलिस लाईन, पोलोटेक्निक महाविधालय, विधुत विभाग का ग्रिड सबस्टेशन व कार्यालय, सॉलिड वेस्ट डम्पिग ग्राउण्ड राजस्थान आवासन मण्डल की आवासीय योजना, दूरसंचार कार्यालय, ग्रेफ कार्यालय व अन्य शैक्षणिक संस्थाऐं स्थित है। यह क्षेत्र मुख्य रूप से विकसित क्षेत्र है विकसित क्षेत्र के अतिरिक्त उस योजना क्षेत्र में मुख्य रूप से आवासीय एवं समकक्ष उपयोग प्रस्तावित किये गये है। इस योजना क्षेत्र में आवासीय 148.78 है0 सार्वजनिक एवं अर्द्वसार्वजनिक उपयोग हेतु 73.78 है0 आमोद–प्रमोद हेतु 15.50 है0 व सरकारी कार्यालय हेतु 21.90 है0 क्षेत्रफल प्रस्तावित किया गया है। इस योजना क्षेत्र में नगर परिषद् द्वारा पूर्व में राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति द्वारा लगभग 107 है0 भूमि पर भू–उपयोग परिवर्तन पश्चात् सैक्टर प्लान तैयार किया गया था उक्त क्षेत्र को इंटग्रेटेड टाउनशिप के रूप में प्रस्तावित किया गया है। जिसका क्रियान्वयन पूर्व में जारी स्वीकृति व इस क्षेत्र हेतु भविष्य में प्रथक रूप से सक्षम स्तर द्वारा जारी स्वीकृति के अनुरूप किया जाना होगा। उपरोक्त प्रस्तावित क्षेत्रफल के अतिरिक्त इस योजना क्षेत्र में महिला ग्राउण्ड व 5 है0 क्षेत्रफल का बस स्टेण्ड शहरी विकास हेतु प्रस्तावित किया गया है इस योजना क्षेत्र में विधमान सॉलिड वेस्ट डम्पिग ग्राउण्ड को भाहर के विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए शहर से दूर अन्य उपयुक्त स्तर पर स्थांतरित किया जाना होगा।

4.5.5 कलेक्ट्रेट योजना क्षेत्र

इस परिक्षेत्र का क्षेत्रफल 1355.66 हैक्टेयर है। यह योजना क्षेत्र उत्तर में मुख्य नहर सादुल ब्रांच व सूरतगढ़ वितरिका, दक्षिण में भटिण्डा–सूरतगढ़ रेल्वे लाईन, पूर्व में चूना फाटक से पीएचडी के जल आपूर्ति केन्द्र को जाने वाली सड़क एवं पश्चिम में प्रस्तावित 60 मीटर बाईपास सड़क के मध्य का क्षेत्र है इस क्षेत्र में विभिन्न सरकारी कार्यालय यथा कलेक्ट्रेट, सिचाई विभाग, जिला परिषद् कार्यालय एवं विभिन्न विभागों के विश्राम स्थल यथा डाक बंगला, सर्किट हाउस, पीडब्लूडी गेस्ट हाउस आदि स्थित है। उक्त क्षेत्र हनुमानगढ जंक्शन का पुरानी आबादी क्षेत्र है जिसमें राजस्थान आवासन मण्डल की आवासीय योजना के साथ–साथ विभिन्न आवासीय कॉलोनी एवं संस्थागत भवन स्थित है। इस क्षेत्र में विधमान उपयोग के अतिरिक्त कुल 113.89 है0 आवासीय, 26.36 व्यवसायिक, 6.17 है0 औद्योगिक, 7.91 है0 आमोद–प्रमोद एवं 31.72 है0 भूमि सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक भू–उपयोग हेतु प्रस्तावित की गई है। इस परिक्षेत्र के स्वरूप एवं शहर की भावी विस्तार हेतु 20.86 है0 क्षेत्रफल पर ट्रक टर्मिनल एवं थाक व्यापार एवं वेयर हाउसिंग व गोदाम एवं वाणिज्यिक केंद्र प्रस्तावित किया गया है।

4.5.6 उच्च मार्ग विकास नियंत्रण योजना क्षेत्र

राज्य सरकार के आदेश/परिपत्र संख्या प.10(44)नविवि/3/2009 पार्ट–I दिनांक 19.06.13 व उक्त के संबंध में समय–समय पर जारी आदेशों के द्वारा मास्टर प्लान सीमा में हाईवे डवलपमेंट योजना क्षेत्र विकसित करने एवं जिन नगरों/शहरों के मास्टर प्लान तैयार किए जा रहे हैं उनमें राज्य/राष्ट्रीय राजमार्ग के सहारे–सहारे हाईवे डवलपमेंट नियंत्रण योजना क्षेत्र प्रावधानित किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। इसी की अनुपालना में अधिसूचित नगरीय क्षेत्र सीमा में हनुमानगढ में श्रीगंगानगर से संगरिया की ओर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 54 व सूरतगढ, अबोहर तथा रावतसर की ओर जाने वाले राज्य राजमार्ग संख्या 94, 7ए एवं 7 के दोनों ओर सड़क के सहारे–सहारे 30 मीटर वृक्षारोपण पट्टी व इसके उपरान्त 500 मीटर की गहराई में हाईवे डवलपमेंट नियंत्रण क्षेत्र प्रावधानित किये गये हैं। इस योजना क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 1338.91 हैक्टेयर है। इस क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुरूप हाइवे डवलपमेंट नियंत्रण क्षेत्र में निर्धारित उपयोगों को न्यूनतम तकनीकी मापदण्डों की पूर्ति होने पर अनुज्ञेय किया जा सकेगा। अतः उक्त क्षेत्र में मांग के अनुरूप विभिन्न नगरीय उपयोग अनुज्ञेय किये जा सकेगे।

4.5.7 परिधि नियंत्रण पट्टी योजना क्षेत्र

उपर्युक्त छः क्षेत्रों अर्थात् नगरीयकरण योग्य क्षेत्र की सीमा के बाहर तथा अधिसूचित नगरीय सीमा के मध्य का क्षेत्र, परिधि नियंत्रण पट्टी क्षेत्र के अन्तर्गत प्रस्तावित किया गया है। इस योजना क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 9045 हैक्टेयर है। इस क्षेत्र में ग्रामीण आबादी के विद्यमान स्वाभाविक विकास के साथ–साथ कोल्ड स्टोरेज, कृषि आधारित उद्योग एवं उसकी सहायक गतिविधियां, खनन कार्य, मोटल, रिसोर्ट, एम्यूजमेन्ट पार्क, दूध डेयरी, फलोद्यान, पेट्रोल पम्प, गैस एवं अन्य ज्वलनशील पदार्थों के गोदाम, ईंट भट्टा व चूना भट्टा एवं जनोपयोगी सुविधाऐं जैसे सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट, ठोस कचरा निस्तारण स्थल, बायोमेडिकल वेस्ट, ई–वेस्ट, हानिकारक अपशिष्ट निस्तारण स्थल एवं ग्रिड सब स्टेशन इत्यादि विकसित किये जा सकते हैं। शहर के भावी समेकित विकास की दृष्टि से परिधि नियंत्रण पट्टी क्षेत्र का अत्यन्त महत्व रहेगा। यह प्रयास रहेगा कि वर्ष 2035 तक उक्त योजना क्षेत्र की भूमि को केवल व्यापक जनहित को छोडकर नगरीय उपयोग में नहीं लिया जावें। क्षितिज वर्ष के उपरान्त इस क्षेत्र को शहर के भावी विकास हेतु नगरीयकरण योग्य क्षेत्र में सम्मिलित किया जा सकेगा।

परिधि नियंत्रण क्षेत्र मे ग्रामीण आबादी की आवश्यकताओं एवं नगरीय विकास हेतु केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार की योजनाओं के अन्तर्गत प्रस्तावित सामुदायिक, शैक्षणिक, चिकित्सा एवं सामाजिक व जनउपयोगी सुविधाएं स्वीकृत की जा सकेंगी। आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग एवं अन्य आय वर्ग तबकों के लिए केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा प्रवर्तित योजनाएं यथा हाउसिंग फॉर ऑल, मुख्यमंत्री जन आवास योजना आदि भी परिधि नियंत्रण क्षेत्र में अनुज्ञेय होंगी। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी निर्देशों/परिपत्रों के अनुसार अनुज्ञेय गतिविधियां भी स्वीकृत की जा सकेंगी। नगरीय सीमा के अंदर स्थित ग्रामों को नगरी ग्रामों के रूप में विकसित किया जायेगा ताकि आसपास के क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था मजबूत हो एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके। नगर में स्थित ईंट भट्टा को योजनाबद्व रूप से परिधि नियंत्रण क्षेत्र में उचित स्थल पर स्थानांतरित किया जाना प्रस्तावित है। सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट हेतु चयनित स्थल भी परिधि नियंत्रण क्षेत्र में विकसित किये जा सकेंगे।

5
भू–उपयोग योजना

5

भू–उपयोग योजना

शहर की एक दूसरे से जुड़ी नगरीय समस्याओं के निराकरण, समुचित समाधान एवं पूर्व मास्टर प्लान की अवधि की समाप्ति पर हनुमानगढ शहर के लिए नवीन भू–उपयोग योजना तैयार करने की आवश्यकता महसूस की गयी। शहर के भावी विकास की दिशा को संचालित करना इसका मुख्य उद्धेश्य है। भू–उपयोग योजना विभिन्न योजनागत नीतियों और सिद्धांतों का विस्तार रूप में भूमि पर स्थान्तरण है। इसकी रचना हनुमानगढ की विद्यमान विशेषताओं, परिस्थितियों, संभावित आर्थिक, वाणिज्यिक, औद्योगिक संरचना व विभिन्न अध्ययनों, भौतिक, सामाजिक–आर्थिक सर्वेक्षणों, यातायात व्यवस्था, भूमि की उपलब्धता एवं शहर के वांछित विकास को ध्यान में रखकर बनाई गई है। विद्यमान परिस्थितियों से संबंधित विभिन्न अध्ययनों के आधार पर नियोजन के मानदण्डों का निर्धारण किया गया है और उन्हीं के अनुरूप विभिन्न नगरीय कार्यों के लिए भूमि की आवश्यकताओं का आकलन किया गया है। संपूर्ण अधिसूचित नगरीय क्षेत्र का संतुलित व समन्वित विकास इसका प्रमुख उद्धेश्य है।

क्षितिज वर्ष 2035 के लिए प्रस्तावित भू–उपयोग योजना हेतु मद्वार भू–उपयोग में कमी/अधिकता, वर्ष 2017–2035 के दौरान बढी अतिरिक्त जनसंख्या के लिए आवश्यकता तथा क्षितिज वर्ष 2035 के लिए कुल आवश्यक भूमि का आंकलन किया गया है। इस प्रकार प्रस्तावित भू–उपयोग योजना हेतु कुल 7470.19 हैक्टेयर भूमि विकास योग्य क्षेत्र के अधीन प्रस्तावित की गयी है। उक्त विकास योग्य क्षेत्र का 37.50 प्रतिशत आवासीय, 5.52 प्रतिशत वाणिज्यिक, 5.25 प्रतिशत क्षेत्र औद्योगिक, 4.10 प्रतिशत क्षेत्र मिश्रित, 18.03 प्रतिशत क्षेत्र हाइवे डवलपमेन्ट कन्ट्रोल, 1.35 प्रतिशत राजकीय (सरकारी व अर्द्ध–सरकारी कार्यालय एवं राजकीय आरक्षित) 6.95 प्रतिशत आमोद–प्रमोद, 9.00 प्रतिशत सार्वजनिक एवं अर्द्ध–सार्वजनिक तथा 12.30 प्रतिशत क्षेत्र परिसंचरण हेतु प्रस्तावित किया गया है। प्रस्तावित भू–उपयोग विवरण को तालिका संख्या 12 में दर्शाया गया है:–

तालिका–12

प्रस्तावित भू–उपयोग, हनुमानगढ–2035

क्र.सं.	भू–उपयोग	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	विकास योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	नगरीयकरण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत
1.	आवासीय	2801.48	37.50	36.42
2	वाणिज्यिक	412.28	5.52	5.36
3.	औद्योगिक	392.18	5.25	5.10
4.	मिश्रित	306.36	4.10	3.98
5.	सरकारी एवं अर्द्ध–सरकारी	100.83	1.35	1.31
6.	आमोद–प्रमोद	519.28	6.95	6.75
7.	हाइवे डवलपमेन्ट कन्ट्रोल	1346.51	18.03	17.51
8	सार्वजनिक एवं अर्द्ध–सार्वजनिक	672.52	9.00	8.74
9.	परिसंचरण	918.75	12.30	11.94
10	**कुल विकास योग्य क्षेत्र**	**7470.19**	**100.00**	**97.12**
11.	सरकारी आरक्षित	56.38	––	2.07
12.	कृषि (डेयरी, पोल्ट्री फार्म वृक्षारोपण पट्टी आदि)	6.39	––	0.08
13.	नहर, नदी, जलाशय आदि	159.04	––	0.73
कुल नगरीयकरण योग्य क्षेत्र		**7692.00**	––	**100.00**

स्त्रोतः–सर्वेक्षण एवं आकलन

5.1 आवासीय

शहर की भविष्य आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए तथा क्षितिज वर्ष 2035 हेतु अनुमानित 3,63,700 की जनसंख्या के लिए लगभग 2801.48 हैक्टेयर (37.50 प्रतिशत) भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ प्रस्तावित की गयी है। आधार वर्ष 2017 में आवासीय जनघनत्व लगभग 203.40 व्यक्ति प्रति हैक्टेयर/82 व्यक्ति प्रति एकड़ था जिसे क्षितिज वर्ष 2035 मे औसतन 130 व्यक्ति प्रति हैक्टेयर 52.50 व्यक्ति प्रति एकड़ किया जाना प्रस्तावित है। शहर के भीतरी घनी आबादी वाले क्षेत्रों में तथा कार्यस्थलों के पास अपेक्षाकृत अधिक घनत्व रहने की संभावना है। आवासीय क्षेत्रों की योजना इस ढंग से तैयार की गयी है कि इनसे स्वस्थ सामुदायिक पर्यावरण को प्रोत्साहन मिले तथा कार्यस्थल व आमोद–प्रमोद एवं मनोरंजन केन्द्रों तक जाने के लिए समय व दूरी में कमी हो। स्थानीय स्तर की सामुदायिक सुविधाओं जैसे स्कूल, स्वास्थ्य केन्द्र, नित्योपयोगी वस्तुओं की दुकानें, स्थानीय पार्क इत्यादि सेवाओं को विस्तृत आवासीय योजना तैयार करते समय उचित स्थानों पर रखने का प्रावधान है। मास्टर प्लान–2035 में अनुमानित जनसंख्या अनुसार कुल 2801.48 हैक्टेयर क्षेत्रफल आवासीय उपयोग हेतु प्रस्तावित किया गया है।

5.1.1 आवासन

आवास जन समुदाय की एक मूलभूत आवश्यकता है और इसके अन्तर्गत सर्वाधिक नगरीय भूमि की आवश्यकता होती है। समाज के कमजोर वर्गों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु स्थानीय निकाय स्तर पर आवासीय योजनाएं तैयार कर विभिन्न क्षेत्रीय संस्थानों से ऋण सुविधा व अनुदान सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए तथा इनके क्रियान्वयन के लिए समयबद्ध योजना से विकास किया जाना प्रस्तावित है। नुवां गांव के पास हाऊसिंग बोर्ड द्वारा एक वृहद् योजना विकसित की गयी है, जिसमें मल्टी स्टोरी आवासीय इकाइयों का निर्माण किया गया है। वर्तमान में चल रही योजनाओं के अतिरिक्त नई योजनाओं को स्थानीय निकाय द्वारा विकास कार्यक्रमों को हाथ में लेना चाहिए ताकि व्यवस्थित क्रम में लोगों की आवासीय जरूरतों को पूरा किया जा सके। आवासीय क्षेत्रों में संचालित उद्योगों को भविष्य में उक्त क्षेत्रों से हटाकर बाहरी क्षेत्रों से स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

5.1.2 अफोर्डेबल हाऊसिंग क्षेत्र

टाऊनशिप पॉलिसी 2010 के प्रावधानों के तहत व समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी पत्रों/परिपत्रों/निर्देशों के क्रम में वर्तमान में स्थानीय निकायों व निजी विकासकर्त्ताओं की सामान्य योजनाओं में अफोर्डेबल हाऊसिंग पॉलिसी के तहत ई. डब्ल्यू. एस./एल. आई. जी. वर्ग हेतु पर्याप्त भूखण्डों/भूमि के प्रावधान किए जाते हैं तथा इस हेतु मुख्यमंत्री/प्रधानमंत्री जन आवास योजनाओं के तहत विकासकर्त्ताओं द्वारा भी विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इस प्रकार योजना में किए गए समुचित प्रावधान के साथ ही मास्टर प्लान में भी स्वतः ही अफोर्डेबल हाऊसिंग क्षेत्र के प्रावधानों की पूर्ति हो जाती है। अतः नये बनाये जा रहे मास्टर प्लान में अलग से इस हेतु प्रावधान किए जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

5.1.3 कच्ची बस्तियाँ

वर्तमान में हनुमानगढ में 14 कच्ची बस्तियां हैं। नगर परिषद् को चाहिए कि भविष्य में कच्ची बस्तियों व अनियोजित आवासीय क्षेत्रों के विस्तार को हतोत्साहित करने के प्रयोजन से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों व असंगठित क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध कराये तथा विद्यमान कच्ची बस्ती क्षेत्रों का पुर्नवास, नियोजित विकास एवं सुधार चरणबद्ध क्रम में किया जावे।

5.2 वाणिज्यिक

हनुमानगढ अपने आसपास के क्षेत्रों में एक बड़ा व महत्वपूर्ण शहर है तथा यह देश एवं राज्यों के विभिन्न नगरों से भली भांति जुड़ा हुआ है तथा कृषि, औद्योगिक, वाणिज्यिक आदि गतिविधियों में अग्रणी है एवं भविष्य में भी यह वाणिज्यिक, व्यापार एवं वितरण का एक महत्वपूर्ण प्रमुख केन्द्र बना रहेगा। यह अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2035 तक शहर के विभिन्न वाणिज्यिक एवं व्यावसायिक संस्थानों में कुल कार्यशील व्यक्तियों का 34 प्रतिशत (42736 व्यक्ति) कार्यरत रहेंगे। हनुमानगढ में भौतिक विकास के साथ–साथ वाणिज्यिक गतिविधियों में वृद्धि के कारण यातायात व पार्किंग की समस्या बढती जा रही है। शहर की मुख्य वाणिज्यिक गतिविधियां मुख्य रूप से टाऊन व जंक्शन क्षेत्र के आंतरिक भाग में रेलवे स्टेशन, बस स्टेण्ड के नजदीक व मुख्य सड़कों के दोनों ओर केन्द्रित हैं। वाणिज्यिक गतिविधियों को अधिक तार्किक व सुसंगत बनाने के लिए तथा दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अनावश्यक आवागमन से बचने के लिए मास्टर प्लान में वाणिज्यिक गतिविधियों की समूचित व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है ताकि क्षेत्र में वाणिज्यिक सुविधाएं सहज ही उपलब्ध हो सके। वर्ष 2011 में वाणिज्यिक गतिविधियों में 20668 व्यक्ति कार्यरत थे जो क्षितिज वर्ष 2035 में 42736 होने का अनुमान लगाया गया है। आधार वर्ष 2017 में विकसित क्षेत्र का 5.59 प्रतिशत अर्थात् 175.26 हैक्टेयर/433 एकड़ वाणिज्यिक क्षेत्र था जिसे क्षितिज वर्ष 2035 में 5.52 प्रतिशत अर्थात 412.28 हैक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है।

सभी प्रमुख, उप प्रमुख एवं अन्य मुख्य सड़कें जिनका मार्गाधिकार मास्टर प्लान में न्यूनतम 60 फीट/18 मीटर या उससे अधिक हो उनसे लगती हुई भूमि पर वाणिज्यिक, खुदरा व्यापार एवं सार्वजनिक व अर्द्ध–सार्वजनिक गतिविधियां मास्टर प्लान भू–उपयोग अनुसार अथवा नियमानुसार भू–उपयोग परिवर्तन पश्चात् अनुज्ञेय होंगी। ये विकास 100 फीट की गहराई अथवा एकल संपति की गहराई तक दोनों में से जो भी कम हो, में ही किए जा सकेंगे। जहां जिस सड़क का मार्गाधिकार या सड़क की वास्तविक चौड़ाई मास्टर प्लान में दर्शाए गए प्रस्तावित मार्गाधिकार से कम है वहां एकल संपति की गहराई उतनी ही बढ जाएगी, जितनी कि उस सड़क की प्रस्तावित चौड़ाई के उस तरफ एवं उस भाग में मध्य रेखा से कम पड़ रही हो। एकल संपति की यह बढी हुई गहराई जो कि सड़क के मार्गाधिकार कम होने के कारण मिली है, यह अनिवार्य रूप से सैट–बैक्स के साथ खुली छोड़ी जाएगी, जबकि स्थानीय निकाय सड़क के विकास अथवा अन्य सेवाओं के विस्तार हेतु इस भूमि का अधिग्रहण नहीं कर लेती है। विद्यमान वाणिज्यिक गतिविधियों के संक्षिप्त विवरण के साथ–साथ मास्टर प्लान में प्रस्तावित वाणिज्यिक गतिविधियों का विवरण तालिका संख्या 13 में दर्शाया गया है :–

तालिका–13

प्रस्तावित प्रमुख वाणिज्यिक क्षेत्रों का विवरण हनुमानगढ–2035

क्र.सं.	विवरण	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
1.	फुटकर व्यापार एवं सामान्य वाणिज्यिक/वाणिज्यिक केन्द्र	196
2.	मण्डी, थोक व्यापार एवं विशेष बाजार व भण्डारण एवं गोदाम	216
	योग	412

स्त्रोत– नगर नियोजन विभाग का आकलन

5.2.1 फुटकर व्यापार

शहर का मुख्य बाजार क्षेत्र केन्द्रीय व्यापारिक केन्द्र माना जाता है। हनुमानगढ में शहर का भीतरी–अन्दरूनी भाग व उसके आसपास का क्षेत्र मुख्य बाजार कहलाता है। इसके विस्तार के लिए भीतरी भागों में अधिक संभावना नहीं है। बहुत से परम्परागत व आर्थिक कारणों से ये पुराने मुख्य बाजार/वाणिज्यिक केन्द्र यथावत् रखे गये हैं। ये केन्द्र हनुमानगढ टाऊन क्षेत्र में रावतसर रोड पर, रेलवे स्टेशन व बस स्टेण्ड तथा नगर परिषद् एवं किले के समीप तथा टाऊन–जंक्शन रोड पर विकसित है। इसी प्रकार जंक्शन क्षेत्र में बीकानेर रोड, श्रीगंगानगर रोड, रोडवेज डिपो, बस स्टेण्ड, रेलवे स्टेशन, भगत सिंह चौक व संगरिया रोड पर ये मुख्य बाजार वाणिज्यिक केन्द्रों के रूप में विकसित हैं। यह आवासीय क्षेत्रों के आसपास भी विकसित हो गए हैं, जो इन क्षेत्रों की दैनिक मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इस कारण यहां पर यातायात पार्किंग एवं सामान ले जाने की समस्याएं उत्पन्न हो गयी हैं। नये मास्टर प्लान अनुसार हनुमानगढ में विभिन्न स्थलों पर फुटकर व्यापार हेतु कुल 196 हैक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गयी है।

5.2.2 थोक व्यापार तथा भण्डारण व गोदाम

वर्तमान में हनुमानगढ जंक्शन क्षेत्र में अम्बेडकर सर्किल के समीप श्रीगंगानगर रोड पर व टाऊन क्षेत्र में रेलवे के सामने की ओर भी धान मण्डियाँ थोक व्यापार हेतु स्थापित है, जो कि आबादी क्षेत्र में आ गयी हैं व पूर्ण रूप से विकसित हैं तथा भविष्य में इनके विस्तार की कोई संभावना नहीं है। इसी प्रकार जंक्शन क्षेत्र में श्रीगंगानगर रोड पर रेलवे क्रोसिंग पर तथा टाऊन क्षेत्र में रेलवे स्टेशन के दक्षिण में व कॉलेज के समीप तथा भद्रकाली मंदिर को जाने वाली रोड पर भी भण्डारण एवं गोदाम स्थापित हैं। आधार वर्ष 2017 में थोक व्यापार तथा भण्डारण एवं गोदाम हेतु लगभग 85 हैक्टेयर भूमि उपयोग में आ रही थी। नये मास्टर प्लान में सूरतगढ रोड पर ट्रांसपोर्ट नगर के उत्तर में तथा नुंवा गांव के समीप रेलवे क्रोसिंग की पश्चिम दिशा में, पूर्व मास्टर प्लान में प्रस्तावित क्षेत्रों के अतिरिक्त रावतसर रोड के पूर्व दिशा में लगभग 60 हैक्टेयर भूमि अतिरिक्त बढी हुई जनसंख्या के लिए थोक व्यापार तथा भण्डारण एवं गोदाम हेतु प्रस्तावित की गयी है,

अर्थात् क्षितिज वर्ष 2035 के लिए उक्त भू–उपयोग हेतु कुल 215.94 हैक्टेयर भूमि का प्रावधान रखा गया है। इन स्थलों पर भविष्य में योजना तैयार करते समय सब्जी/लकड़ी/लोहा/पत्थर मार्केट/धान मण्डी/आदि हेतु स्थल निर्धारित किए जाएगें।

5.2.3 अनौपचारिक व्यवसाय योजना

वर्तमान में पुराने विकसित क्षेत्रों में अनौपचारिक व्यवसाय का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन शहर में अव्यवस्थित रूप से कुछ छोटे–छोटे व्यवसाय चल रहे हैं। अतः इनको व्यवस्थित रूप से बसाने हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों एवं टाउनशिप पॉलिसी 2010 के प्रावधानों के अनुरूप भविष्य में विकसित की जाने वाली योजनाओं मे अनौपचारिक व्यवसाय हेतु उचित स्थल प्रस्तावित किए जाएंगें।

5.3 मिश्रित भू–उपयोग

हनुमानगढ एवं इसके आसपास हो रहे विकास को दृष्टिगत रखते हुए भविष्य में सुनियोजित विकास हेतु सूरतगढ रोड पर मक्कासर गांव से पहले कुछ दूरी तक सड़क के दोनों ओर, खुंजा बाईपास पर सड़क की पश्चिमी दिशा में कुछ दूरी तक, सूरतगढ रोड की दक्षिण दिशा में प्रस्तावित नए क्षेत्र की मुख्य सड़कों के अंदर की ओर, श्रीगंगानगर से संगरिया को जाने वाली बाईपास पर सड़क की दक्षिण दिशा में बीच–बीच में कुछ जगहों पर, सुरेशिया सर्किल के पास स्थित स्टेडियम के उत्तर दिशा की कुछ सड़कों पर, सुरेशिया सर्किल के पास मुख्य सड़कों के दोनों ओर, अनाज मण्डी की दक्षिण दिशा की सड़क पर, सर्किट हाऊस के सामने सड़क की दूसरी ओर, संगरिया रोड पर रेल लाईन की दक्षिणी दिशा में, चक ज्वालासिंह वाला की ओर जाने वाली सड़क के जंक्शन, सतीपुरा फाटक तक व सतीपुरा फाटक से नीचे दक्षिण दिशा में टाऊन की ओर जाने वाली सड़क पर कुछ–कुछ दूरी में, घग्घर बहाव क्षेत्र के उत्तर दिशा में प्रस्तावित सड़क की उतरी दिशा में, संगरिया रोड पर पूर्व मास्टर प्लान में प्रावधानित औद्योगिक क्षेत्र की दक्षिण दिशा में प्रस्तावित मास्टर प्लान के क्षेत्र की मुख्य सड़कों पर, हनुमानगढ टाऊन में किले के सामने की मुख्य सड़क पर कुछ दूरी तक सड़क व दोनों ओर, रावतसर रोड पर सड़क के दोनों ओर (राधास्वामी सत्संग डेरे को छोड़कर), टाऊन से स्टेशन के सामने से भद्रकाली को जाने वाली सड़क पर, हनुमानगढ टाऊन की पश्चिमी दिशा में प्रस्तावित बाईपास के अंदर की ओर व कई अन्य जगहों पर मुख्य चौड़ी सड़कों के किनारे–किनारे कुल 306.36 हैक्टेयर मिश्रित भू–उपयोग प्रस्तावित किया गया है। मिश्रित भू–उपयोग न्यूनतम 30 मीटर चौडी सडकों पर प्रस्तावित किया गया है। मिश्रित भू–उपयोग एकल भूखण्ड की गहराई, सडक की चौडाई का 1.5 गुना अथवा 150 फीट की गहराई जो भी कम हो, अनुज्ञेय होगी। मिश्रित भू–उपयोग के अन्तर्गत एकीकृत भवन विनियम–2017 के अनुसार समस्त भू–उपयोग यथा आवासीय वाणिज्यिक, संस्थागत आदि हेतु निर्धारित न्यूनतम तकनीकी

मापदण्डों की पूर्ति होने पर अनुज्ञेय रहेगें। इसके अतिरिक्त समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों/परिपत्रों के अनुसार प्रावधान प्रभावी रहेंगे।

5.4 औद्योगिक

उद्योगों की स्थापना की दृष्टि से प्रगति लगभग समान ही प्रतीत होती है। पुराने मास्टर प्लान में लगभग 522 हैक्टेयर भूमि वर्ष 2016 के लिए औद्योगिक प्रयोजनार्थ प्रस्तावित की गई थी जबकि नये मास्टर प्लान मे आधार वर्ष 2017 में वर्तमान में लगभग 172.64 हैक्टेयर भूमि इस हेतु काम में आ रही है। पूर्व मास्टर प्लान में प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रों में से मात्र श्रीगंगानगर बाईपास पर खुंजा गांव के समीप का मुख्य औद्योगिक क्षेत्र ही पूर्ण विकसित हो पाया है। अन्य औद्योगिक क्षेत्रों का पूर्ण विकास नहीं हुआ है तथा पूर्व प्रस्तावित क्षेत्रों में भूमि रिक्त पड़ी है। इसका एक कारण यह भी है कि कुछ उद्योग, औद्योगिक क्षेत्र हेतु प्रस्तावित स्थलों के स्थान पर अन्य क्षेत्रों में भू–उपयोग परिवर्तन कराकर स्थापित है, अथवा कृषि आधारित लघु उद्योग जो कि परिधि नियंत्रण क्षेत्र में अनुज्ञेय हैं, की स्थापना परिधि नियंत्रण क्षेत्र में की गयी है। कुछ कृषि आधारित उद्योग टिब्बी रोड व भद्रकाली मंदिर रोड पर विकसित हो चुके हैं। राज्य सरकार द्वारा घोषित औद्योगिक नीति में उद्योगों को विशेषकर लघु उद्योगों को काफी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इस प्रोत्साहन नीति को ध्यान में रखते हुए यह अनुमान लगाया गया है कि मास्टर प्लान के क्षितिज वर्ष 2035 तक औद्योगिक गतिविधियों में कार्य शील व्यक्तियों का प्रतिशत लगभग 22 तथा कार्यशील व्यक्तियों की अनुमानित संख्या लगभग 27650 हो जाएगी। भविष्य में विकास की दृष्टि से औद्योगिक प्रयोजनार्थ और भूमि की आवश्यकता होगी। शहर की औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वर्तमान औद्योगिक क्षेत्र को यथावत् रखते हुए, रावतसर रोड व गुरूसर को जाने वाले मार्ग के दक्षिण–पूर्वी दिशा में मास्टर प्लान नगरीयकरण योग्य क्षेत्र से बाहर रीको द्वारा एक नया औद्योगिक क्षेत्र अधिसूचित किया गया है। पूर्व मास्टर प्लान में भद्रकाली मंदिर की ओर जाने वाली सड़क के उत्तरी दिशा में प्रस्तावित औद्योगिक भू–उपयोग में से काफी क्षेत्र का राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति द्वारा आवासीय भू–उपयोग में परिवर्तन करा लिया गया है। अतः पूर्व मास्टर प्लान में दर्शित यहां प्रस्तावित औद्योगिक भू–उपयोग को नवीन मास्टर प्लान में आवासीय भू–उपयोग दर्शाया गया है। वर्तमान में जो सर्विस इकाइयां चल रही हैं वो यथावत् कार्य करती रहेंगी। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक जिप्सम उद्योग, चूने भट्टे व ईंट भट्टों से संबंधित इकाइयों को नियमित औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित नहीं किया जा सकेगा।

शहर के मध्य में चल रहे, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक उद्योगों, चूने भट्टे व ईंट भट्टों को शहर के मध्य से हटाया जाकर आबादी से दूर विकसित किया जाना प्रस्तावित है। ऐसे उद्योगों को शहर से बाहर परिधि नियंत्रण क्षेत्र में लगाया जा सकेगा। पूर्व में सतीपुरा गांव व चक ज्वालासिंह वाला गांव के बीच चल रहे ईंट भट्टों को बंद किया जा चुका है। रावतसर रोड पर गुरूसर को जाने वाले मार्ग के दक्षिण–पूर्वी दिशा तथा पुराने

मास्टर प्लान में संगरिया रोड पर प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र में भूमि अभी रिक्त पड़ी है। पर्यावरण की दृष्टि से पुराने रिक्त व नये प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र के सहारे वृक्षारोपण पट्टी प्रस्तावित की गयी है।

5.5 राजकीय

हनुमानगढ के मुख्य प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्यालय हनुमानगढ जंक्शन के विभिन्न भागों में स्थित है। नये स्थापित होने वाले कार्यालय भवनों का निर्माण जंक्शन क्षेत्र में किया जा रहा है। जंक्शन क्षेत्र में ही मिनी सचिवालय स्थित है। टाऊन क्षेत्र में बहुत कम कार्यालय स्थित है। सरकारी एवं अर्द्ध–सरकारी कार्यालयों के अन्तर्गत जिला रोजगार कार्यालय के अनुसार वर्तमान में 5593 व्यक्ति कार्यरत हैं जो अन्य सेवाओं में वर्ष 2035 तक लगभग कुल कामगार का 19 प्रतिशत होने का अनुमान है। जिला मुख्यालय होने के कारण यहां 56.38 हैक्टेयर पुलिस लाईन्स, ग्रेफ फील्ड वर्कशॉप एवं आर. ए. सी. आदि हेतु आरक्षित क्षेत्र भी है। भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए यहां नये कार्यालय भी स्थापित किए जा सकते हैं तथा वर्तमान कार्यालयों जिनमें स्थान की कमी है अथवा निजी भवनों में स्थित हैं, को भी यहां स्थानांतरित किया जा सकता है। पूर्व मास्टर प्लान में सूरतगढ से हनुमानगढ टाऊन को जाने वाली रेलवे लाईन की दक्षिण–पश्चिम दिशा में राजकीय कार्यालय हेतु प्रस्तावित स्थल पर अभी तक कोई विकास न होने व उचित पहुॅचमार्ग उपलब्ध नहीं होने के कारण नये मास्टर प्लान में इसे विलोपित कर आवासीय भू–उपयोग प्रस्तावित किया गया है।

भविष्य में शहर में और भी प्रशासनिक इकाइयां स्थापित होने की संभावनाएं हैं। वर्तमान में राजकीय कार्यालय मुख्यतः शोपत सिंह मार्ग के उत्तर भाग में एवं पी. एण्ड टी. कॉलोनी के निकट स्थित है। वर्तमान में राजकीय कार्यालयों के अन्तर्गत 49.91 हैक्टेयर क्षेत्र है तथा क्षितिज वर्ष 2035 तक के लिए राजकीय भू–उपयोग हेतु कुल 50.92 हैक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। राजकीय कार्यालय प्रयोजनार्थ श्रीगंगानगर–संगरिया बाईपास के उत्तरी दिशा में, व हनुमानगढ टाऊन जंक्शन रोड पर उत्तरी दिशा में, पूर्व मास्टर प्लान में रिजर्व्ड प्रावधानित क्षेत्र में कुछ भाग राजकीय कार्यालयों हेतु प्रावधानित किया गया है। विद्यमान एवं प्रस्तावित सरकारी एवं अर्द्ध–सरकारी कार्यालयों हेतु प्रस्तावित क्षेत्रों का विवरण तालिका संख्या 14 में दर्शाया गया है:–

तालिका–14

राजकीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग विवरण हनुमानगढ : 2035

क्र.सं.	विवरण	स्थिति	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
1.	विद्यमान	विभिन्न स्थलों पर	49.91
2.	प्रस्तावित	विभिन्न स्थलों पर	50.92
योग			**100.83**

स्त्रोत– सलाहकार का सर्वेक्षण एवं अनुमान

5.6 आमोद–प्रमोद

इस भू–उपयोग के अंतर्गत उद्यान, खुले स्थल, खेल के मैदान, स्टेडियम, मेला स्थल, क्लब तथा अन्य पर्यटन स्थल आदि आते है। हनुमानगढ में जनसंख्या के अनुपात मे आमोद–प्रमोद की सुविधाओं की कमी रही है तथा वर्तमान में कोई नया एवं आधुनिक स्तर का पर्यटन स्थल नहीं है जिससे पर्यटकों को यहां अधिक समय तक रोका जा सके। शहर में शिल्पग्राम, ग्रामीण हाट, तकनीकी पार्क आदि विकसित किए जा सकते है। पूर्व मास्टर प्लान में लगभग 196 एकड़/79.35 हैक्टेयर भूमि इस हेतु प्रस्तावित की गयी थी तथा आधार वर्ष 2017 में वर्तमान में इस हेतु 43.27 हैक्टेयर भूमि काम में ली जा रही है, जबकि क्षितिज वर्ष 2035 तक के लिए आमोद–प्रमोद हेतु कुल विकास योग्य क्षेत्र का 6.95 प्रतिशत अर्थात् लगभग 519.28 हैक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गयी है।

5.6.1 उद्यान, खुले स्थल एवं खेल के मैदान

उद्यान एवं खुले स्थल सामान्यतः शहर के फेफड़े होते हैं, क्योंकि इन्हीं के द्वारा काफी हद तक नगरवासी मौलिक स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करते हैं। जनसंख्या वृद्धि के कारण पुराने पार्क, खुले स्थल एवं उद्यान नगरीयकरण का भारी दबाव झेल रहे हैं जिसके क्रम में पार्क एवं खुले स्थलों का अभाव है। वर्तमान में टाऊन क्षेत्र में नेहरू चिल्ड्रन पार्क ही शहर का मुख्य पार्क हैं। कुछ विद्यालयों, महा–विद्यालयों में भी खेल के मैदान हैं। पुराने उद्यानों, खुले स्थलों व खेल मैदानों का नियोजित रूप से विकास एवं नये खेल के मैदान तथा उद्यानों का विकास किया जाना प्रस्तावित है। हनुमानगढ में वर्तमान में जंक्शन क्षेत्र में कलेक्ट्रेट–सुरेशिया सर्किल रोड पर 10.64 हैक्टेयर क्षेत्रफल में एक स्टेडियम स्थित है। कलेक्ट्रेट के पास एक बड़ी क्रिकेट अकादमी स्थित है। भविष्य की आव यकताओं के मध्येनजर वर्तमान के अतिरिक्त लगभग 7.25 हैक्टेयर क्षेत्र में एक नया स्टेडियम हनुमानगढ टाऊन में प्रस्तावित किया गया है ताकि छात्र–छात्राओं के खेलकूद के लिए स्थल उपलब्ध हो सके तथा राजकीय स्तर के समारोह भी आयोजित किए जा सकें एवं शहर का विकास समान रूप से हो सके। हनुमानगढ में शहर/क्षेत्रीय स्तर के उद्यान के विस्तार की संभावनाओं को दृष्टिगत पूर्व मास्टर प्लान में प्रस्तावित 79 हैक्टेयर खुले स्थल को नवीन मास्टर प्लान में यथावत बाग/खुला स्थल/खेल मैदान हेतु प्रस्तावित किया गया है। जहॉ पर शहर/क्षेत्रीय स्थल का उद्यान एवं आमोद–प्रमोद की सुविधाएं विकसित की जानी प्रस्तावित हैं। इस प्रकार भविष्य की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान में काम आ रहे 43.27 हैक्टेयर क्षेत्र की तुलना में लगभग 115 हैक्टेयर क्षेत्र उद्यान एवं खुल स्थलों हेतु यथोचित विभिन्न स्थानों पर प्रावधान रखा गया है। योजना मानचित्र में सभी योजना क्षेत्रों में बड़े पार्क एवं खुले स्थल प्रस्तावित किए गए हैं। साथ ही भविष्य में स्थानीय निकायों एवं निजी विकासकर्ता द्वारा प्रस्तावित योजनाओं में भी राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों/नियमों के क्रम में बाग, खुला स्थल व खेल मैदान आदि प्रस्तावित किये जाने होंगे।

5.6.2 स्टेडियम

वर्तमान में विकसित नगर स्तर का स्टेडियम हनुमानगढ जंक्शन में स्थित है एवं भविष्य की आवश्यकता एवं शहर के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए लगभग 10 हैक्टेयर क्षेत्रफल का स्टेडियम हनुमानगढ टाउन में घग्घर नदी के दक्षिण में बाईपास रोड पर प्रस्तावित किया गया है। इसके अलावा विस्तृत आवासीय योजनायें एवं सैक्टर प्लान तैयार करते समय क्षेत्रवार आवश्यकताओं हेतु खेल मैदानों का प्रावधान रखा जायेगा।

5.6.3 पर्यटन

केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा पर्यटन व्यवसाय को काफी महत्व दिया जा रहा है तथा इस हेतु पर्यटन नीति भी तैयार की गयी है। वर्तमान में हनुमानगढ भाहर में पर्यटन की दृष्टि से मात्र एक भटनेर का ऐतिहासिक किला है। शहर की पूर्वी दिशा में प्राचीन भद्रकाली मंदिर है जो शहर से लगभग 10–12 किलो मीटर दूर स्थित है। इस भू–उपयोग के अन्तर्गत मेला स्थल, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दर्शनीय स्थल आदि आते हैं। पर्यटन की दृष्टि से हनुमानगढ टाऊन व जंक्शन के बीच से गुजर रही बरसाती घग्घर नदी के बहाव के दोनों ओर रिवर फ्रंट डवलपमेंट क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है तथा श्रीगंगानगर–संगरिया बाईपास पर परिषद् द्वारा मेला स्थल हेतु जगह का प्रावधान किया गया है। इस भू–उपयोग हेतु लगभग 421 हैक्टेयर भूमि का प्रावधान किया गया है।

5.6.4 रिवर फ्रंट डेवलपमेंट क्षेत्र

हनुमानगढ उत्तरी राजस्थान राज्य का एक महत्वपूर्ण शहर है जिसे हनुमानगढ टाऊन व हनुमानगढ जंक्शन के रूप में विभाजित करती हुई घग्घर नदी शहर के मध्य में से निकलती है। वर्ष 1950 के दशक में इस क्षेत्र में भाखड़ा एवं इंदिरा गांधी नगर का निर्माण आरंभ होने पर पुराने शहर (हनुमानगढ टाऊन) से दूर घग्घर नदी के दूसरी ओर कॉलोनियों का विकास हुआ जिसके बाद यह शहर युग्म कस्बों (ट्विन टाऊन) टाऊन–जंक्शन के रूप में विकसित होता गया। शिवालिक पहाड़ियों से निकलने वाली घग्घर नदी में वर्षा के समय में पानी की अधिकता के कारण पानी आता है अर्थात् घग्घर नदी इस क्षेत्र के लिए एक मौसमी बरसाती नदी है। साठ व नब्बे के दशक में इसमें अधिक पानी की आवक होने के कारण इसके दोनों ओर तटबंधों को ऊँचा कर इनका पुनःनिर्माण किया गया ताकि शहर को बाढ से बचाया जा सके। हनुमानगढ के प्रथम मास्टर प्लान में दोनों सुरक्षा बंधों/तटबंधों (Protection Embankment) के अंदर बहाव क्षेत्र की ओर पर्याप्त चौड़ाई की वृक्षारोपण पट्टी प्रस्तावित की गयी थी। वर्ष 1998 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की अनुपालना में घग्घर बहाव क्षेत्र की चौड़ाई 6 बीघा निर्धारित कर दिनांक 08.3.98 को गजट नोटिफिकशन जारी किया गया था। वर्ष 1998 में

गजट नोटिफिकेशन में अंकित 6 बीघा चौड़ाई के बाद व प्रथम मास्टर प्लान में अंकित बहाव क्षेत्र की चौड़ाई के बीच के क्षेत्र में रिवर फ्रंट डवलपमेण्ट जोन प्रस्तावित किया गया है। नदी के दोंनों ओर पूर्व मास्टर प्लान के प्रस्ताव अनुरूप 400 फीट चौडी वृक्षारोपण पट्टी प्रस्तावित की गई है।

इस क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूल गतिविधियॉ यथा वॉकवेज (Walkways), साईकिल ट्रेक (Cycle tracks), बाग, घाट, आर्ट एण्ड हेण्डीक्रॉफ्ट बाजार, योगा सेन्टर, सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतु स्थल, पिकनिक स्पॉट, स्पोर्टस् सेन्टर, फूड कोर्ट (अस्थाई निर्माण), जन–सुविधाएं आदि विकसित किया जाना प्रस्तावित है। उपर्युक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार की अनुमति से रिवर फ्रंट डवलपमेन्ट से संबंधित अन्य गतिविधियॉ अनुज्ञेय की जा सकेगी। रिवर फ्रंट की ओर स्थित भूमि/भवनों को नियंत्रित रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है ताकि यह एक सुन्दर परिदृश्य प्रदान करें।

5.6.5 मेला स्थल

वर्तमान में नगर परिषद् द्वारा श्रीगंगानगर–संगरिया बाईपास पर नुंवा गांव से पहले एक मेला स्थल चिन्हित किया है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 5.6 हैक्टेयर प्रस्तावित है। स्थानीय मेलों में यहां पशु मेला भरता है तथा समाचार पत्र समूहों द्वारा भी समय–समय पर मेले आयोजित किए जाते हैं जो कि प्रायः टाऊन–जंक्शन रोड पर खुले स्थल पर ही आयोजित होते हैं।

5.7 सार्वजनिक एवं अर्द्ध–सार्वजनिक

सार्वजनिक एवं अर्द्ध–सार्वजनिक सुविधाओं के अन्तर्गत शैक्षणिक, चिकित्सा, अन्य सामुदायिक सुविधाएं, सामाजिक–सांस्कृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक स्थल, जनोपयोगी सुविधाएं तथा जलापूर्ति, जल–मल निकास व ठोस कचरा प्रबंधन, विद्युत आपूर्ति तथा श्मशान व कब्रिस्तान आदि सुविधाएं सम्मिलित हैं। वर्तमान में कुल विकसित क्षेत्र का 12.96 प्रतिशत अर्थात् लगभग 406.45 हैक्टेयर भूमि इस हेतु उपयोग में आ रही है। भविष्य में भी शहर के निवासियों को इन सुविधाओं हेतु पर्याप्त क्षेत्र उपलब्ध कराना मास्टर प्लान का मुख्य उद्देश्य है। अतः आवासीय क्षेत्रों का वितरण, जनसंख्या घनत्व, क्षेत्र की स्थानीय विशेषताओं व भविष्य में विकास की संभावनाओं आदि तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक एवं अर्द्ध–सार्वजनिक सुविधाओं के लिए क्षितिज वर्ष 2035 के लिए मास्टर प्लान में लगभग कुल 672.52 हैक्टेयर अर्थात् कुल विकास योग्य क्षेत्र के 9.00 प्रतिशत क्षेत्र का प्रावधान किया गया है। सार्वजनिक एवं अर्द्ध–सार्वजनिक सुविधाओं के अन्तर्गत प्रावधानित भूमि का भू–उपयोग विवरण तालिका संख्या 15 में दर्शाया गया है :–

तालिका संख्या 15

सार्वजनिक एवं अर्द्ध–सार्वजनिक सुविधाओं हेतु भू–उपयोग का विवरण, हनुमानगढ 2035

क्रमांक	सार्वजनिक एवं अर्द्ध–सार्वजनिक सुविधाएं	विद्यमान क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
1	शैक्षणिक (स्कूल, कॉलेज व अन्य शैक्षणिक संस्थाएं) – (EI)	206.87
2	चिकित्सा (हॉस्पिटल, डिस्पेन्सरी, पशु चिकित्सालय आदि) – (MI)	9.13
3	शैक्षणिक / चिकित्सा / अन्य संस्थान – (I)	176.52
4	अन्य सामुदायिक सुविधाएं – (OCF)	35.53
5	जनोपयोगी सुविधाएं – (PU)	71.02
6	धार्मिक / एतिहासिक / सामाजिक / सांस्कृतिक – (SCR)	41.05
7	श्मशान एवं कब्रिस्तान	42.85
8	सुविधा क्षेत्र – (FA)	89.15
कुल योग		**672.52**

5.7.1 शैक्षणिक, संस्थान व चिकित्सा संस्थान

5.7.1 (अ) शैक्षणिक – (EI)

माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा डी बी सिविल रिट याचिका संख्या 1554 / 2004 गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार एवं अन्य मे पारित निर्णय दिनांक 12.01.2017 अनुसार सुविधा क्षेत्रों को यथावत रखा जाना है। अतः पुराने मास्टर प्लान में प्रस्तावित शैक्षणिक प्रयोजनार्थ स्थलों पर कुल 206.87 हैक्टेयर भूमि विभिन्न शैक्षणिक संस्थानिक उपयोग हेतु यथावत दर्शायी गई है। उक्त समस्त भूमि को मास्टर प्लान 2035 के प्रस्तावित भू–उपयोग मानचित्र में EI (शैक्षणिक संस्थान) से दर्शाया गया है। क्षितिज वर्ष 2035 तक शिक्षा एवं अन्य संस्थागत उपयोग की आवश्यकताओं हेतु वांछित भूमि का विभिन्न स्थलों एवं क्षेत्रों में उचित प्रावधान रखा गया है, जिसमें उच्च शिक्षण संस्थाओं, एकेडमिक व तकनीकी महाविद्यालयों स्तर की शिक्षा हेतु आवश्यक भूमि का प्रावधान किया गया है। नर्सरी, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक, उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षण सुविधाओं को आवासीय योजना क्षेत्रों का विस्तृत प्लान तैयार करते समय व आवासीय योजनाओं का ले–आऊट प्लान स्वीकृत करते समय उचित प्रावधान किया जाएगा।

5.7.1 (ब) चिकित्सा संस्थान – (MI)

माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा डी बी सिविल रिट याचिका संख्या 1554 / 2004 गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार एवं अन्य मे पारित निर्णय दिनांक 12.01.2017 अनुसार सुविधा क्षेत्रों को यथावत रखा जाना है। अतः पुराने मास्टर प्लान में प्रस्तावित विभिन्न

चिकित्सा संस्थान प्रयोजनार्थ स्थल जिनका कुल क्षेत्रफल 9.13 हैक्टेयर है, को मास्टर प्लान 2016 अनुसार यथावत ही रहने दिया गया है। चिकित्सा सुविधाओं हेतु वर्तमान में हनुमानगढ टाऊन क्षेत्र में लगभग 150 बिस्तर का एक बड़ा राजकीय चिकित्सालय धानमण्डी के पास, एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जंक्शन में कैनाल कॉलोनी में, जंक्शन में रेलवे स्टेशन व बस स्टेण्ड के नजदीक एक छोटा राजकीय अस्पताल तथा बड़ी संख्या में निजी अस्पताल व क्लिनिक एवं पशु अस्पताल संचालित हो रहे हैं। आमजन का यहां निजी अस्पतालों व क्लिनिक पर अधिक विश्वास व चलन है, किंतु भविष्य की बढ़ी हुई जनसंख्या के लिए और अधिक चिकित्सा सुविधाओं की आवश्यकता होगी।

5.7.1 (स) शैक्षणिक, चिकित्सा व अन्य संस्थान –(I)

सरकार की नीतियों के अनुरूप हनुमानगढ की शैक्षणिक, चिकित्सा सुविधा एवं अन्य संस्थाओं की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2035 तक के लिए मास्टर प्लान में भूमि का प्रावधान किया गया है। नये मास्टर प्लान में प्रस्तावित शिक्षण संस्थाओं व चिकित्सा सुविधाओं के प्रयोजनार्थ प्रावधानित स्थल को Instituitional-I से दर्शाया गया है। नये मास्टर प्लान में Instituitional-I प्रयोजनार्थ प्रस्तावित भूमि में विद्यालय, महाविद्यालय, तकनीकी, व्यावसायिक महाविद्यालय, विश्व–विद्यालय आदि शिक्षण संस्थाऐं, अस्पताल, मेडिकल कॉलेज आदि चिकित्सा सुविधाएं व अन्य समस्त संस्थागत उपयोग अनुज्ञेय रहेंगे। इसी क्रम में श्रीगंगानगर–संगरिया बाईपास पर उत्तर दिशा में नुंवा गांव से कुछ पहले मेडिकल कॉलेज हेतु लगभग 37.24 हैक्टेयर प्रस्तावित भूमि को संस्थागत प्रयोजनार्थ (Instituitional-I) प्रावधानित किया गया है। वर्तमान में शैक्षणिक व चिकित्सा सुविधाओं हेतु 216 हैक्टेयर भूमि प्रस्तावित थी, जबकि क्षितिज वर्ष 2035 की बढ़ी जनसंख्या के लिए 176.52 हैक्टेयर अतिरिक्त भूमि शैक्षणिक, चिकित्सा एवं अन्य संस्थानों हेतु अर्थात् कुल 392.52 हैक्टेयर भूमि का नये मास्टर प्लान में प्रावधान किया गया है।

5.7.2 अन्य सामुदायिक सुविधाएं, जनोपयोगी सुविधाएं, सामाजिक / सांस्कृतिक /धार्मिक /ऐतिहासिक एवं सुविधा क्षेत्र

5.7.2 (अ) अन्य सामुदायिक सुविधाएं –(OCF)

चिकित्सा, शिक्षा और आमोद–प्रमोद (मनोरजन) की सुविधाओं के अतिरिक्त अन्य सामुदायिक सुविधाऐं जैसे डाक व तारघर, पुलिसथाना, दूरभाष केन्द्र अग्निशमन केन्द्र, क्लब, युवा केन्द्र इत्यादि की भी आवश्यकता होती है, जिनका कि योजना में प्रावधान करना अति आवश्यक है। ऐसी सुविधाओं हेतु योजना में संबंधित क्षेत्र का सेक्टर प्लान और वहॉ की स्कीम बनाते समय स्थलों का निर्धारण अन्य सामुदायिक सुविधाओं के अन्तर्गत आरक्षित की गई भू–उपयोग योजना में किया जायेगा। हनुमानगढ में पुस्तकालय और वाचनालय भी विद्यमान है। मुख्य डाकघर जंक्शन में बस डिपो के पास स्थित है तथा एक

पोस्ट ऑफिस हनुमानगढ टाऊन में रावतसर सड़क पर स्थित है। टाऊन व जंक्शन क्षेत्र में एक–एक टेलीफोन एक्सचेंज स्थित हैं। टाऊन क्षेत्र में बस स्टेण्ड के आगे पुल के समीप एक पुलिस स्टेशन भी स्थित है। जंक्शन क्षेत्र में दो राजकीय विश्राम गृह सिंचाई व सार्वजनिक निर्माण विभाग के स्थित है। एक बड़ी जेल बीकानेर सड़क पर रेलवे क्रोसिंग के समीप ही स्थित है। इन सुविधाओं के लिए वर्तमान में 35.53 हैक्टेयर भूमि उपयोग में ली जा रही है।

5.7.2 (ब) जनोपयोगी सुविधाएं – (PU)

हनुमानगढ में पीने के पानी का मुख्य स्रोत सतही जल है जो इसे भाखड़ा व इन्दिरा नहर प्रणाली के जरिये प्राप्त होता है। जमीन में पानी लगभग 10 से 20 मीटर की गहराई पर उपलब्ध है तथा पानी की आपूर्ति जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा की जाती है। वर्तमान में शहर में प्रतिदिन 12 एम. एल. डी. पानी की आपूर्ति होती है तथा लगभग 1,60,000 व्यक्तियों को पानी की जलापूर्ति की जाती है। इस हेतु भविष्य के लिए जल प्रदान योजना के अन्तर्गत जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा श्रीगंगानगर–संगरिया बाईपास पर उत्तर दिशा में अधिगृहित भूमि पर बड़े–बड़े जलाशयों का निर्माण किया जा रहा है। जिनसे आने वाले वर्शों में शहर की आवश्यकतानुसार जलापूर्ति की जा सकेगी।

हनुमानगढ मे जल मल निकास हेतु कोई सुचारू व्यवस्था नहीं हैं। शहर में नालियाँ खुली व अनुपयुक्त होने के कारण वर्षा ऋतु में पानी प्रायः सड़कों पर इकट्ठा हो जाता है। आसपास के निचले इलाकों में यह पानी भरा रहता है। कच्ची बस्तियों में इसकी समुचित व्यवस्था नहीं है। शहर के लिए एक विस्तृत सीवरेज व्यवस्था की योजना शहर में आर. यू. आई. डी. पी. के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है, ताकि लोगों को गंदगी के कुप्रभावों से बचाया जा सके। सीवरेज हेतु भौगोलिक स्थिति एवं ढलान को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा जंक्शन क्षेत्र में रीको औद्योगिक क्षेत्र की पूर्वी दिशा में सीवेज परिशोधन यंत्र (एस. टी. पी.) संचालित है तथा इनकी पर्याप्तता सुनिश्चितता करते हुए उचित देखभाल एवं रख रखाव आवश्यक है ताकि भविष्य में शहर को प्रदूषण से बचाया जा सके।

ठोस कचरे के निस्तारण हेतु उत्तर में अबोहर रोड पर गन्ने के फार्म के पास नगर परिषद् द्वारा स्थल उपयोग में लिया जा रहा है। वर्तमान में यह शहर के बीच/नजदीक आ गया है जिसे बाहर से दूर अन्यत्र उपयुक्त स्थल का चयन कर बाहरी क्षेत्र में स्थानान्तरण करना प्रस्तावित है। नये मास्टर प्लान में वर्तमान स्थल की जगह राजकीय प्रयोजनार्थ भूमि प्रावधानित की गयी है। यहां वैज्ञानिक तरीके से कचरे का पृथक्कीकरण कर इसके रिसाईकिल व निस्तारण हेतु योजना बनाई जाना प्रस्तावित है। इसी प्रकार जल मल निकास हेतु भी उक्त योजना में प्रतिवेदन तैयार करवाया जाकर उसका क्रियान्वयन

किया जाना आवश्यक है। राज्य सरकार के आदेशों के क्रम में उक्त क्षेत्र के चारों ओर घना वृक्षारोपण किया जाना चाहिए तथा इस क्षेत्र को बफ़र जोन घोषित करना चाहिए।

हनुमानगढ में विद्युत वितरण, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा किया जाता है। विद्युत की आपूर्ति सूरतगढ थर्मल पावर स्टेशन विद्युत से होती है। निगम का ग्रिड स्टेशन जंक्शन में परशुराम मार्ग पर सतीपुरा फाटक के पास स्थित है। इस सब–स्टेशन में विद्युत आपूर्ति मुख्य सब–स्टेशन से होती है जो सूरतगढ में स्थित है। शहर में होने वाले विकास, आर्थिक एवं औद्योगिक गतिविधियों के मद्देनजर वर्ष 2035 में अनुमानित जनसंख्या 2,90,600 लाख व्यक्तियों के लिए समुचित विद्युत आपूर्ति के लिए विद्युत निगम को विस्तार से योजना बनाने की आवश्यकता है। अतः विभाग द्वारा प्रस्तावित भू–उपयोग योजना के अनुसार विद्युत वितरण निगम द्वारा एक उचित विद्युत आपूर्ति हेतु योजना तैयार की जानी चाहिए ताकि जिससे मांग व आपूर्ति में संतुलन स्थापित हो एवं विद्युत आपूर्ति की जानी चाहिए ताकि निर्बाध एवं सुचारू रहे।

5.7.2 (स) सामाजिक/सांस्कृतिक/धार्मिक/ऐतिहासिक –(SCR)

हनुमानगढ में सामाजिक, सांस्कृतिक व धार्मिक गतिविधियां सामान्य स्तर की होने के कारण विभिन्न समुदायों के लोग यहां उपलब्ध रिक्त स्थलों पर ही कार्यक्रम आयोजित कर लेते हैं। नगर में विभिन्न स्थलों के अतिरिक्त जंक्शन में रेलवे स्टेशन के समीप एक व टाऊन में बस स्टेण्ड के समीप दो बड़े गुरूद्वारे स्थित हैं। किले के पास एक मस्जिद व शहर में कई सारे मंदिर भी हैं, जिनमें लोग पूजा–अर्चना व प्रार्थना करते हैं। भद्रकाली रोड पर ऐतिहासिक भद्रकाली मंदिर व टाऊन में भटनेर किला स्थित है।

5.7.2 (द) सुविधा क्षेत्र –(FA)

इन सुविधाओं के अन्तर्गत विभिन्न सामुदायिक सुविधाएं जैसे सामुदायिक भवन, पुस्तकालय, वाचनालय, डाकघर, पुलिस थाना, कारागृह, अग्निशमन केन्द्र, दूर संचार केन्द्र, पोस्ट ऑफिस, युवा केन्द्र, रंगमंच, पेयजल आपूर्ति, सीवरेज, ठोस कचरा निस्तारण एवं प्रबंधन, जल–मल निकास आदि भू–उपयोग आते हैं।

अतः मास्टर प्लान में सुविधा क्षेत्र प्रयोजनार्थ पर्याप्त क्षेत्र का प्रावधान किया गया है। इसमें अन्य सामुदायिक सुविधाएं, जनोपयोगी सुविधाएं, आदि उपयोग अनुज्ञेय होंगे। वर्तमान में अन्य सामुदायिक सुविधाएं, जनोपयोगी सुविधाएं, धार्मिक/सांस्कृतिक/ सामाजिक/एतिहासिक आदि प्रयोजनार्थ लगभग 190.45 हैक्टेयर भूमि उपयोग में आ रही है तथा नए मास्टर प्लान में सुविधा क्षेत्र हेतु लगभग 89.15 हैक्टेयर अतिरिक्त अर्थात् कुल 279.60 हैक्टेयर भूमि का क्षितिज वर्ष 2035 तक की जनसंख्या हेतु प्रावधान किया गया है।

5.7.3 श्मशान एवं कब्रिस्तान

वर्तमान में श्मशान व कब्रिस्तान स्थल नगर के अन्दरूनी स्थलों में मुख्यतः छः स्थानों पर स्थित है। इनमें से दो हनुमानगढ टाऊन में तथा चार जंक्शन में है। एक श्मशान टाऊन में रेलवे पुल के पास है, एक जंक्शन में शिव वाटिका के पास व एक श्मशान अबोहर–संगरिया बाईपास पर स्थित है। एक कब्रिस्तान टाऊन में भद्रकाली रोड पर और दूसरा जंक्शन में अम्बेडकर चौक के पास व एक श्रीगंगानगर बाईपास पर खुंजा में स्थित है। ये सभी अंदरूनी स्थलों में स्थित है, क्योंकि जब ये बने थे तब वहां तक शहर का विकास नहीं हुआ था। इस हेतु वर्तमान में लगभग 33 हैक्टेयर भूमि उपयोग में आ रही है। वर्तमान में शहर में स्थित श्मशानों और कब्रिस्तानों को यथावत् रखा गया है, परंतु जो श्मशान और कब्रिस्तान शहर के विकसित क्षेत्रों में स्थित हैं, उनमें सघन वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है, ताकि वातावरण पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़े। नये श्मशानों और कब्रिस्तानों को मांग के अनुसार परिधि नियंत्रण क्षेत्र में अनुज्ञेय किया जा सकेगा।

5.8 परिसंचरण

हनुमानगढ की परिसंचरण व्यवस्था यहां के भावी भू–उपयोग प्रस्तावों का अभिन्न अंग है। इस उपयोग में सड़कें यातायात व्यवस्था, बस तथा ट्रक टर्मिनल, रेल तथा हवाई सेवाएं आदि आते हैं। परिसंचरण हेतु विभिन्न मुख्य मार्गों की चौड़ाई, पार्किंग व्यवस्था व यातायात प्रणाली को इस प्रकार प्रस्तावित किया गया है कि आम जनता के आवागमन के लिए उत्कृष्ट यातायात व्यवस्था स्थापित की जा सके। नगर की विभिन्न सड़कों के मार्गाधिकार वहां पर होने वाले यातायात के अनुरूप निर्धारित किए गए हैं। मास्टर प्लान 2035 में 2 नये बस स्टेण्ड प्रस्तावित किये गये है। जिनका कुल क्षेत्रफल 13 हैक्टेयर है उक्त बस स्टेण्ड में से 1 बस स्टेण्ड लगभग 8 हैक्टेयर क्षेत्रफल का श्रींगंगानगर बाईपास रोड के उत्तर दिशा में हनुमानगढ जंक्शन में प्रस्तावित किया गया है तथा दूसरा बस स्टेण्ड मास्टर प्लान 2016 में प्रस्तावित स्थान पर ही आवश्यकता के अनुरूप लगभग 5 हैक्टेयर क्षेत्रफल का प्रस्तावित किया गया है। इस प्रकार वर्ष 2035 हेतु कुल 918.75 हैक्टेयर अर्थात् 12.30 प्रतिशत (कुल विकास योग्य क्षेत्र का) क्षेत्र परिसंचरण हेतु प्रावधानित किया गया है।

5.8.1 प्रस्तावित यातायात संरचना

राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग/रिगं रोड 200 फीट/60 मीटर, प्रमुख सड़कें 150 फीट/45 मीटर उप–प्रमुख सड़कें 100 फीट/30 मीटर, व मुख्य सड़कें 80 फीट/24 मीटर व 60 फीट प्रस्तावित की गयी हैं। सभी बड़ी सड़कें महत्वपूर्ण स्थलों को जोड़ेंगी एवं अधिकतम वाहन इन्हीं पर से होकर गुजरेंगे। मुख्य सड़कें विभिन्न आवासीय क्षेत्रों को

आपस में जोड़ेंगी तथा कार्य स्थलों को पहुँच मार्ग प्रदान करेंगी। ये सभी सड़कें यातायात प्रणाली का भाग है। जिन स्थलों पर इस कार्यालय द्वारा पूर्व में ले–आऊट व सैक्टर रोड नेटवर्क प्लान अनुमोदित हो चुके हैं उनमें स्वीकृत मानचित्र अनुसार ही सड़क की चौड़ाई कायम की जावेंगी। हनुमानगढ–सूरतगढ सड़क को राज्य राजमार्ग संख्या 94, श्रीगंगानगर–संगरिया सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 54, टिब्बी सड़क को राज्य राजमार्ग संख्या 99 घोषित किया जा चुका है। नगर के पुराने बसे हुए क्षेत्र में स्थित सड़कों की चौड़ाई यथावत् रखी गयी है तथा अन्य सड़कों की चौड़ाई को पूर्व में स्वीकृत योजनाओं के अनुरूप प्रस्तावित किया गया है। हनुमानगढ में प्रस्तावित सड़कों के मार्गाधिकार एवं सड़कों के प्रस्तावित मार्गाधिकार को क्रमशः तालिका संख्या 16 व 17 में दर्शाया गया है।

तालिका–16

प्रस्तावित सड़कों का मार्गाधिकार, हनुमानगढ–2035

क्रमांक	सड़क के प्रकार	मार्गाधिकार
1.	राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग एवं रिगं रोड	200 फीट (60 मीटर)
2.	प्रमुख सड़कें	150 फीट (45 मीटर)
3.	उप–प्रमुख सडकें	100 फीट (30 मीटर)
4.	मुख्य सड़कें	80 फीट (24 मीटर)
5.	उप–मुख्य सड़कें	60 फीट (18 मीटर)

तालिका–17

सडकों का प्रस्तावित मार्गाधिकार, हनुमानगढ–2035

क्र.सं.	सडकों की श्रेणी एवं प्रस्तावित न्यूनतम मार्गाधिकार	प्रस्तावित सड़क का न्यूनतम मार्गाधिकार
1	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–54 (श्रीगंगानगर–हनुमानगढ, संगरिया) सूरतगढ डिस्ट्रीब्यूटरी से आगे	60 मीटर/200 फीट
2	राज्य राजमार्ग–94 (हनुमानगढ–सूरतगढ) प्रस्तावित बाईपास से आगे	60 मीटर/200 फीट
3	राज्य राजमार्ग संख्या 99 (हनुमानगढ–टिब्बी) हनुमानगढ डिस्ट्रीब्यूटरी से आगे	60 मीटर/200 फीट
4	हनुमानगढ से रावतसर की तरफ राज्य राजमार्ग (मेगा हाईवे)	60 मीटर/200 फीट
5	श्रीगंगानगर बाईपास (खुंजा हाऊसिंग बोर्ड, बीकानेर रोड से उत्तर में रीको औद्योगिक क्षेत्र से होते हुए नुंवा गांव रेलवे क्रोसिंग तक)	45 मीटर/150 फीट
6	सर्किट हाऊस की पश्चिमी दिशा से जिला कलक्टर कार्यालय व आगे तक	30 मीटर/100 फीट
7	धान मण्डी (जंक्शन में) की पूर्वी दिशा कोने से सर्किट हाऊस, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जल संसाधन कार्यालय आदि के सामने वाली सड़क	30 मीटर/100 फीट
8	सतीपुरा फाटक पर स्थित जो0 वि0 वि0 नि0 लि0 सब स्टेशन/कार्यालय की पूर्वी दिशा की सड़क, श्रीगंगानगर बाईपास तक	30 मीटर/100 फीट
9	टाऊन–जंक्शन रोड सुरक्षाबंध के उत्तर में प्रस्तावित सड़क तक व	30 मीटर/100 फीट

	आगे टाऊन में प्रस्तावित बस स्टेण्ड के अंतिम छोर से रावतसर रोड पर राधास्वामी सत्संग भवन तक	
10	टाऊन में रेलवे स्टेशन के सामने टिब्बी रोड से धानमंडी की पश्चिम दिशा के कोने से आगे तक	30 मीटर/100 फीट
11	जंक्शन में बस डिपो के सामने की रोड रेलवे क्रोसिंग होते हुए खुंजा हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी/श्रीगंगानगर बाईपास तक	24 मीटर/80 फीट
12	जंक्शन में बस डिपो के सामने वाली सड़क व रेलवे क्रोसिंग से दुर्गा मंदिर बस स्टेण्ड के सामने की रोड	30 मीटर/100 फीट

सड़कों पर अंकित संख्या/नम्बर के अनुसार मास्टर प्लान में सड़कों का मार्गाधिकार यथा संभव दर्शाया गया है।

5.8.1(अ)–सड़कों को चौडा करना एवं उनका सुधार

निर्धारित नीति के अनुसार वर्तमान में स्थित सड़कें जिन्हें मुख्य सड़कों के रूप में प्रस्तावित किया गया है, का मार्गाधिकार जहाँ तक सम्भव हो मापदण्डों के अनुसार होगा। उन स्थानों पर जहाँ सड़कों को चौड़ा करना सम्भव नहीं हो अथवा जहाँ अत्यधिक संख्या में पक्के मकानों को तोड़ना पड़ रहा हो, वहां सुविधानुसार निम्न स्तर के मापदण्ड अपनाए जा सकते हैं। नगर के मुख्य एवं महत्वपूर्ण बाजारों की सड़कों को चौड़ा करने हेतु आगे बने चबूतरों और अनाधिकृत निर्माणों को हटाकर कुछ हद तक इन्हें चौड़ा किया जाना प्रस्तावित है।

5.8.1(ब)–चौराहों का सुधार

नगर में यातायात के सुरक्षात्मक एवं निर्बाध रूप से संचालन में जो बाधाएं आती हैं उनमें चौराहों के अनुचित आकार/डिजाइन प्रमुख है तथा गलत व अपर्याप्त चौराहों के कारण भीड़ भाड़ एवं विलम्ब होना प्रमुख है। अतः चौराहों का सुधार कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। यातायात अध्ययनों/नियमों के तहत सुदृढ यातायात प्रणाली को दृष्टिगत रखते हुए उचित डिजाइन एवं आकार में चौराहों का निर्माण, विकास एवं सौन्दर्यकरण विस्तृतक योजना बनाकर किया जाना प्रस्तावित है।

5.8.1(स)–पार्किंग व्यवस्था

हनुमानगढ में बढ़ते हुए वाहनों के कारण यातायात संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो गयी हैं। आवागमन के अतिरिक्त वाहनों में पार्किंग की समस्या भी बहुत गंभीर होती जा रही है। पुराने व्यापारिक केन्द्रों में यह समस्या सबसे अधिक हैं। अतः प्रस्तावित किया गया है कि इन पुराने व्यापारिक केन्द्रों में जो खुले स्थान उपलब्ध है, उनको पार्किंग के रूप में विकसित किया जावे। नये व्यापारिक केन्द्रों की विस्तृत योजनाएं तैयार करते समय इनमें

पार्किंग हेतु पर्याप्त भूमि का प्रावधान किया जावे। थोक व्यापार , भण्डारण एवं गोदाम, यातायात नगर योजनाओं में उचित पार्किंग स्थल का प्रावधान रखा जाएगा।

5.8.2 बस, ट्रक टर्मिनल

वर्तमान में हनुमानगढ में (जंक्शन व टाऊन में) दो बस स्टेण्ड संचालित हो रहे हैं। वाहनों की बढ़ती संख्या के कारण इस बस स्टेण्ड पर धीरे–धीरे यातायात का दबाव बढ़ता जा रहा है। अतः भविष्य में यातायात की सुविधा के लिए टाऊन में एक बस स्टेण्ड व एक बस स्टैण्ड हनुमानगढ जंक्शन में श्रीगंगानगर बाईपास पर श्रीगंगानगर बाईपास पर उत्तरी दिशा में प्रस्तावित किया गया है। पुराने मास्टर प्लान में प्रस्तावित 2 ट्रक टर्मिनल में से श्रीगंगानगर बाईपास पर उत्तरी दिशा में प्रस्तावित ट्रक टर्मिनल को यथावत रखा गया है।सूरतगढ रोड पर पुराने मास्टर प्लान अनुसार प्रस्तावित ट्रक टर्मिनल को शहर के विकास को दृष्टिगत रखते हुए सूरतगढ रोड पर ही प्रस्तावित किया गया है तथा एक नया ट्रक टर्मिनल रावतसर रोड पर प्रस्तावित किया गया है।

वर्तमान में ट्रक मुख्य सड़कों के किनारे अव्यवस्थित ढंग से खड़े रहते हैं, जो यातायात में बाधा उत्पन्न करते हैं। भारी वाहनों का शहर के अन्दर कम से कम प्रवेश हो, इसलिए मास्टर प्लान में ट्रक टर्मिनल के लिए रावतसर मार्ग योजना क्षेत्र व कलेक्ट्रेट योजना क्षेत्र में स्थल प्रस्तावित किये गये हैं। उक्त क्षेत्र गोदाम, थोक व्यापार व औद्योगिक क्षेत्र के पास ही प्रस्तावित किया गया है ताकि किसी प्रकार का यातायात पर विपरीत प्रभाव ना पड़े।

5.8.3 रेल

हनुमानगढ ब्रॉडगेज रेल लाइन से देश की राजधानी दिल्ली एवं अन्य बड़े शहरों से भली–भांति जुडा हुआ है। रेल लाइन शहर के मध्य से गुजरती है। इसमें अभी किसी भी प्रकार का बदलाव प्रस्तावित नहीं है। हनुमानगढ एक बड़ा शहर है। लेकिन अभी हवाई पट्टी का प्रस्ताव नहीं है।

5.9 परिधि नियंत्रण पट्टी

शहर के अतिक्रमणों एवं अनाधिकृत विकास को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के चारों ओर परिधि नियंत्रण पट्टी प्रस्तावित की गई है। इसका उद्देश्य प्रस्तावित नगरीय विकास को सुनियोजित बनाये रखना है। परिधि नियंत्रण पट्टी में स्थित ग्रामीण आबादी का विकास नियोजित रूप से हो, इसके लिये प्रयास किये जाने आवश्यक हैं। परिधि नियन्त्रण पट्टी में कोल्ड स्टोरेज, कृषि आधारित उद्योग एवं उसकी सहायक गतिविधियां, कृशि सेवा केन्द्र, फार्म हाउस, सीमित खनन कार्य व क्रेशर, मोटल,

रिसोर्ट, एम्यूजमेण्ट पार्क, वाटर पार्क, दूध डेयरी, कुक्कुट शालाएं, फलोद्यान, पेट्रोल पम्प, गैस एवं अन्य ज्वलनशील पदार्थों के गोदाम, ईंट भट्टा व चूना भट्टा एवं जनोपयोगी सुविधाएं जैसे सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट, ठोस कचरा निस्तारण स्थल, बायोमेडिकल वेस्ट, ई–वेस्ट, हानिकारक अपशिष्ट निस्तारण स्थल एवं ग्रिड सब स्टेशन इत्यादि विकसित किए जा सकते हैं।

शहर के भावी समेकित विकास की दृष्टि से परिधि नियंत्रण पट्टी क्षेत्र का अत्यन्त महत्व रहेगा। यह प्रयास रहेगा कि वर्ष 2035 तक उक्त योजना क्षेत्र की भूमि को केवल व्यापक जनहित को छोडकर नगरीय उपयोग में नहीं लिया जावें। क्षितिज वर्ष के उपरान्त इस क्षेत्र को शहर के भावी विकास हेतु नगरीयकरण योग्य क्षेत्र में सम्मिलित किया जा सकेगा।

परिधि नियंत्रण क्षेत्र मे ग्रामीण आबादी की आवश्यकताओं एवं नगरीय विकास हेतु केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार की योजनाओं के अन्तर्गत प्रस्तावित सामुदायिक, शैक्षणिक, चिकित्सा एवं सामाजिक व जनउपयोगी सुविधाएं स्वीकृत की जा सकेंगी। आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग एवं अन्य आय वर्ग तबकों के लिए केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा प्रवर्तित योजनाएं यथा हाउसिंग फॉर ऑल, प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री जन आवास योजना आदि भी परिधि नियंत्रण क्षेत्र में अनुज्ञेय होंगी। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी निर्देशों/परिपत्रों के अनुसार अनुज्ञेय गतिविधियां भी स्वीकृत की जा सकेंगी। नगरीय सीमा के अंदर स्थित ग्रामों को नगरी ग्रामों के रूप में विकसित किया जायेगा ताकि आसपास के क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था मजबूत हो एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके। नगर में स्थित ईंट भट्टा को योजनाबद्ध रूप से परिधि नियंत्रण क्षेत्र में उचित स्थल पर स्थानांतरित किया जाना प्रस्तावित है। सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट हेतु चयनित स्थल भी परिधि नियंत्रण क्षेत्र में विकसित किये जा सकेंगे।

नगरीयकरण क्षेत्र के बाहर राज मार्गों/बाईपास के सहारे सभी विकासकर्त्ताओं द्वारा प्रस्तावित मार्गाधिकार के पश्चात् 100 फीट चौड़ी पट्टी सघन वृक्षारोपण हेतु छोड़नी होगी

5.9.1 ग्रामीण आबादी क्षेत्र

परिधि नियन्त्रण पट्टी के अन्दर किन्तु प्रस्तावित नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के बाहर स्थित गांवों का विकास ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत् ही किया जायेगा। गांवो का प्राकृतिक आबादी विस्तार नियोजित रूप से बढने दिया जायेगा, ताकि व्यवस्थित एवं सुव्यवस्थित ढंग से आबादी का विस्तार हो सके। इस हेतु आबादी क्षेत्र के रिकॉर्ड अनुसार पंचायत मुख्यालय की आबादी से 500 मीटर एवं ग्राम पंचायत की आबादी से 200 मीटर की परिधि में निजी/सरकारी भूमि पर आबादी विस्तार यथा आवासीय, शैक्षणिक, व्यावसायिक, अन्य सामुदायिक सुविधाऐं एवं जनोपयोगी सुविधाऐं अनुज्ञेय रहेंगी।

इस सम्बन्ध में यह लक्ष्य अत्यंत महत्वपूर्ण एवं गंभीर चिंतन का है कि यदि नियोजित आबादी विस्तार का प्रावधान नहीं किया जाता है तो इस बात की पूरी सम्भावना है कि जनता ग्रामीण आंचलों में अविवेकपूर्ण ढंग से निर्माण करने के प्रति लालायित होगी, जिससे न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में अनियोजित विकास की समस्या उत्पन्न होगी, वरन् यह प्रवृत्ति नगरीय क्षेत्र के बाहर के इलाकों में अनियोजित नगरीय विकास को जन्म देगी, जिसके परिणामस्वरूप नियोजित नगर विकास का सम्पूर्ण उद्देश्य ही अर्थहीन बनकर रह जायेगा। अतः ग्रामीण आबादी विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए इन गांवो को नियोजित ढंग से विस्तार हेतु आवश्यकतानुसार योजना बनाई जायेंगी, जिसमें आवश्यक भू–उपयोग को समायोजित किया जायेगा।

5.9.2 पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण एवं जल संरक्षण

पर्यावरण प्रदूषण एक व्यापक समस्या है। यह मानव जाति के लिए एक संवेदनशील मुद्दा है। पर्यावरण प्रदूषण से ओजोन परत कमजोर हो रही है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग अर्थात् धरती का तापमान लगातार बढ रहा है।

प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन यथा वृक्षों की कटाई, अत्यधिक भू–जल दोहन, अनियंत्रित खनन आदि से पर्यावरण प्रदुषण की समस्या विकराल रूप धारण करती जा रही है और भीषण गर्मी, अकाल, बाढ आदि प्राकृतिक प्रकोप बढ रहे हैं।

वृक्ष, प्राण वायु के भण्डार है। अतएव पर्यावरण संतुलन की दृष्टि से राजमार्ग व बाईपास के सहारे–सहारे वृक्षारोपण के लिए पट्टी रखे जाने का प्रावधान किया गया है। उपर्युक्त के अलावा प्रमुख सड़कों के सहारे–सहारे भी वृक्षारोपण की कार्यवाही की जावेगी। राजकीय कार्यालयों, विद्यालयों, चिकित्सालयों व न्यायालय परिसरों में, औद्योगिक क्षेत्र, श्मशान भूमि, ओरण, गोचर, वन भूमि आदि क्षेत्रों में वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। पर्यावरण संरक्षण के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए सम्बन्धित प्रयासों और प्रत्येक नागरिक को इसमें सहयोग एवं हिस्सेदारी या सह–भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

पानी के स्त्रोत सीमित हैं। बढ़ती जनसंख्या एवं शहरीकरण के कारण शहरों में पानी की समस्या निरंतर गहराती जा रही है। प्राचीन तालाबों, कुण्डों, कुओं आदि जल स्त्रोतों का संरक्षण वर्षा जल पुनर्भरण एवं पानी की रिसाईक्लिंग से ही इस समस्या का समाधान हो सकता है। सभी सार्वजनिक एवं अर्द्ध–सावर्जनिक भवनों, बड़े व्यावसायिक व आवासीय परिसरों में वर्षा जल पुनर्भरण संरचना का प्रावधान सुनिश्चित किया जाना प्रस्तावित है। गंदे पानी को वैज्ञानिक तरीकों से शुद्ध कर पुनः चक्रित कर बाग–बगीचों में उपयोग लिया जाना चाहिए। उपर्युक्त हेतु स्थानीय निकाय द्वारा विशेष प्रयास किये जाने चाहिए।

5.10 डवलपमेन्ट कन्ट्रोल रेगुलेशन

मास्टर प्लान में प्रस्तावित समस्त भू–उपयोगों के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों एवं डवलपमेन्ट कन्ट्रोल रेगुलेशन के प्रावधानों के अन्तर्गत विभिन्न भू–उपयोग निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप अनुज्ञेय रहेगे।

6
योजना का कार्यान्वयन

6

योजना का कार्यान्वयन

हनुमानगढ शहर की योजना तैयार करने मात्र से ही योजना प्रक्रिया सम्पूर्ण नहीं हो जाती है। यह तो वास्तव में शहर में रहने और कार्य करने के योग्य अच्छा स्तर बनाने के प्रयास का प्रारम्भिक चरण मात्र है। इस योजना को मूर्तरूप प्रदान करने हेतु पूर्ण सामर्थ्य एवं क्षमता के साथ प्रयास किये जायें। अधिकांश योजनाओं की असफलता का कारण यह नहीं था कि वे अव्यवहारिक थी, बल्कि मुख्य कारण यह रहा कि अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने में पूर्ण विश्वास के साथ इन्हें कार्यान्वित करने हेतु कोई गंभीर प्रयास नहीं किये गये। योजना का कार्यान्वयन इन क्रियाओं का स्वरूप है, जो योजना को कार्यक्रम में स्थानान्तरित करता है। यह प्रक्रिया सार्वजनिक अभिकरणों और निजी संस्थाओं के उन सभी कार्यो और क्रियाओं को अपने अन्दर समाहित कर लेती है, जिसकी आवश्यकता अनुमोदित योजना में उल्लेखित संभावित परिणामों को निश्चित स्वरूप प्रदान करने के लिए होती है।

इस दृष्टि से नियामक और विकास दोनों प्रकार की क्रियाओं की आवश्यकता होती है। समुचित कानूनी प्रावधानों, प्रशासनिक संगठन, तकनीकी मार्गदर्शन और वित्तीय संसाधनों के साथ–साथ नागरिकों की सक्रिय सहभागिता और सहयोग पर ही योजना का सफल कार्यान्वयन निर्भर करता है। अतः हम सबका यह दायित्व है कि रहने और कार्य करने के स्थल के रूप में हनुमानगढ को अधिक आकर्षक बनाने की दिशा में परस्पर सहयोग की भावना से गंभीर प्रयास करें।

6.1 वर्तमान आधार

वर्तमान स्थानीय निकाय, हनुमानगढ का गठन राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अन्तर्गत किया गया है। यह अधिनियम स्थानीय निकाय को उतने समुचित अधिकार प्रदान नहीं करता है जिससे सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र में विकास कार्यो को प्रभावपूर्ण तरीके से सम्पादित किया जा सके। नगर में अन्य कई सार्वजनिक संस्थाएं भी कार्यरत हैं जो अपने–अपने कार्यक्षेत्रों में निर्धारित नियमों, विनियमों और मानकों के अनुसार कार्यक्रमों को कार्यान्वित करती है।

6.2 प्रस्तावित आधार

मास्टर प्लान प्रस्तावों को कार्यान्वित करने का दायित्व नगर परिषद्, हनुमानगढ का रहेगा, नगर परिषद् मास्टर प्लान के प्रस्तावों को तथा क्रियान्वित की जा रही परियोजनाओं को चरणबद्ध तरीके से अपने क्षेत्र में लागू करनें हेतु आवश्यक कार्यवाही करेगी।

नगर परिषद्, हनुमानगढ मास्टर प्लान के प्रस्तावों के सफल कार्यान्वयन हेतु प्रभावशाली योजनाएं तैयार करेगीं। जलापूर्ति व मल–जल निकास, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग तथा शहर यातायात प्रबन्ध सड़क विकास योजना नगर नियोजन विभाग एवं सार्वजनिक निर्माण के परामर्श से तैयार करेगें। नगर परिषद्, हनुमानगढ मास्टर प्लान के अनुसार नगर नियोजन विभाग के परामर्श से परियोजनाएं तैयार कर कार्यान्वयन की कार्यवाही करेगी।

खण्ड क्रिया पर आधारित विखंडित प्रगति समन्वित विकास की योजना में गम्भीर समस्याएं उत्पन्न करती हैं। अतः किसी भी दीर्घकालीन योजना की सफलता के लिए योजना निर्माण एवं क्रियान्वयन दोनों ही स्तर पर समन्वय का विशेष महत्व है। स्थानीय निकाय के पास पर्याप्त तकनीकी अधिकारी, समुचित वित्तीय संसाधन और तकनीकी ज्ञान का होना आवश्यक है, ताकि यह विकास एवं समन्वय संगठन के रूप में अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन कर सकें।

अतः यह प्रस्तावित किया जाता है कि स्थानीय निकाय को पर्याप्त मजबूती और समुचित अधिकार दिया जाये। सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र की योजना और विकास कार्यों पर इसका नियंत्रण हो, इस दृष्टि से आवश्यक कानूनी तथा प्रशासनिक उपाय करने होंगे।

6.3 जन–सहभागिता एवं जन–सहयोग

कस्बे का विकास अंततः लोगों की आशाओं एवं प्रेरणाओं पर निर्भर करता है। मास्टर प्लान में निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वहाँ की जनता का पूर्ण सक्रिय सहयोग आवश्यक हैं। नागरिक जागरूकता ही नगर को सक्षम एवं स्वस्थ वातावरण प्रदान कर सकती है। इसलिए यह आवश्यक है कि शहर की जनता मास्टर प्लान में प्रस्तावित कार्यक्रमों को लागू करने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें।

6.4 भू–उपयोग अंकन एवं भूमि अवाप्ति

हनुमानगढ के मास्टर प्लान में प्रस्तावित भू–उपयोगों का निर्धारण सरकारी भूमि की उपलब्धता, खाली एवं विकास योग्य भूमि इत्यादि पहलुओं को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है।

मास्टर प्लान बनाते समय पूर्व में जारी की गयी स्वीकृति/अनुमोदन को नगरीय क्षेत्र के लिए तैयार की गयी भू–उपयोग योजना 2035 में समायोजित किए जाने का पूर्ण प्रयास किया गया है। सहवन से सक्षम अधिकारी द्वारा पूर्व में जारी की गयी किसी स्वीकृति यथा 90 अ/90 ब के आदेश, आवंटन, भूमि रूपांतरण व नियमन, भू–उपयोग परिवर्तन, अनुमोदित योजना, भवन निर्माण स्वीकृति आदि का समायोजन नहीं हो पाया हो तो उन्हें समायोजित माना जावेगा।

मानचित्र में नदी, नाले, तालाब, भराव क्षेत्र जलाशय, डूब क्षेत्र, जल प्रवाह क्षेत्र आदि की स्थिति का अंकन प्रचलित पद्धति से करने का प्रयास किया गया है। यदि सहवन से किसी का अंकन नहीं हो पाया हो तो भी उनकी वास्तविक स्थिति राजस्व रिकार्ड के अनुसार ही मान्य होगी। इन नदी, नाले, नहर, जलाशय इत्यादि में किसी भी प्रकार का विकास/निर्माण/नियमन/रूपान्तरण नहीं होगा, चाहे उनमें जल भरा हो या वे सूख गये हों। क्रियान्वयन से पूर्व उक्त कार्यवाही स्थानीय निकाय के प्राधिकृत अधिकारी के स्तर से सुनिश्चित की जावेगी।

प्रस्तावित जन सुविधाओं यथा–शिक्षा, चिकित्सा, सड़कें, खुले स्थल एवं जन उपयोगी सुविधाओं के विकास बाबत भूमि अवाप्त की जाये, जिससे नगर के सुनियोजित विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके।

6.5 उपसंहार

मास्टर प्लान भावी विकास की तस्वीर मात्र है, जिसकी सफलता तभी प्राप्त की जा सकती है, जबकि इसमें प्रस्तावित कार्यक्रमों को कार्य रूप में परिणित किया जाये। इस योजना में आगामी वर्षो की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये ठोस कार्यक्रम भी सम्मिलित होते हैं। हनुमानगढ का मास्टर प्लान तैयार करते समय एक विवेक सम्मत एवं व्यवहारिक दृष्टिकोण को आधार बनाया गया है, तथा सामान्य स्तर की सुविधाओं और सेवाओं का पर्याप्त प्रावधान रखा गया है। नगर में नयी सुविधाएं उपलब्ध कराने, सार्वजनिक सुविधाओं में अभिवृद्धि करने और हनुमानगढ को आवास की दृष्टि से स्वास्थ्य वर्धक बनाने की स्पष्ट आकांक्षाओं से प्रेरित होकर ही इस योजना को तैयार किया गया है।

6.6 योजना का क्रियान्वयन

हनुमानगढ नगर के मास्टर प्लान में नगर में भावी नियोजित विकास हेतु आगामी 20 वर्षो (वर्ष 2035) तक के लिए विभिन्न क्रियाकलापों हेतु प्रस्ताव रखे गये है। स्थानीय निकाय मास्टर प्लान की सफल क्रियान्विति समयबद्ध, चरणबद्ध एवं उपलब्ध संसाधनों व तत्कालीन आवश्यकता के मद्देनज़र सुगठित पंचवर्षीय योजना बनाकर करें। इस प्रकार स्थानीय निकाय आगामी 20 वर्षों के लिए चार चरणों में विकास के विभिन्न पहलुओं पर विचार–विमर्श कर एक कार्यकारी योजना तैयार करेगी व मास्टर प्लान की अनुवर्ती योजना के क्रम में विस्तृत योजना प्लान तैयार करवायेगी व उसकी क्रियान्विति नियोजित विकास की दृष्टि से करवायेगी। इस प्रकार विभिन्न चरणों में आवासीय, परिवहन, वाणिज्यिक व अन्य सुविधाओं आदि का विकास होगा।

डी बी सिविल रिट संख्या 1554/2004 गुलाब कोठारी बनाम् राज्य सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 12.01.2017 के क्रम मे मास्टर प्लान 2016 में प्रस्तावित खुले स्थल, सुविधा क्षेत्रों आदि को यथावत कायम किया गया है। केवल निर्णय से पूर्व सक्षम स्तर से जारी किए गए अनुमोदन व अन्य को ही समायोजित किया गया है। भविष्य में यदि उक्त आदेश के क्रम में किसी प्रकार का संशोधन किया जाता है तो उक्त स्थलों पर प्रस्तावित भू–उपयोग पर तत्समय जारी किये गये निर्णय के अनुरूप पुनः विचार किया जा सकता है।

शहर के भावी समेकित विकास की दृष्टि से परिधि नियंत्रण पट्टी क्षेत्र का अत्यन्त महत्व रहेगा। यह प्रयास रहेगा कि वर्ष 2035 तक उक्त योजना क्षेत्र की भूमि को केवल व्यापक जनहित को छोडकर नगरीय उपयोग में नहीं लिया जावें। क्षितिज वर्ष के उपरान्त इस क्षेत्र को शहर के भावी विकास हेतु नगरीयकरण योग्य क्षेत्र में सम्मिलित किया जा सकेगा।

मास्टर प्लान में प्रस्तावित समस्त भू–उपयोगों के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों एवं डवलपमेन्ट कन्ट्रोल रेगुलेशन के प्रावधानों के अन्तर्गत विभिन्न भू–उपयोग निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप अनुज्ञेय रहेगे।

मास्टर प्लान प्रस्तावो के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु मास्टर प्लान में प्रस्तावित योजना क्षेत्रों अथवा भौतिक सरंचनाओ/अवरोधो यथा सडक, रेलवे लाइन, नदी इत्यादि के अनुरूप आवश्यकता अनुसार जोन अथवा सैक्टर सीमा का निर्धारण कर राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेशों व गाईड लाईन के अनुरूप स्थानीय निकाय द्वारा नगर नियोजन विभाग की सहायता एवं निर्देशन में जोनल डवलपमेंन्ट प्लान अथवा सैक्टर प्लान तैयार किये जावेगें।

परिशिष्ट

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 के उद्धरण

अध्याय–2

मास्टर प्लान

3. राज्य सरकार को मास्टर प्लान तैयार करने के आदेश करने की शक्ति :–

(1) राज्य सरकार आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकेगी कि राज्य में ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा जिसे राज्य सरकार इस प्रयोजनार्थ नियुक्त करें, आदेश में विनिर्दिष्ट किसी नगरीय क्षेत्र के सम्बन्ध में तथा उसका नागरिक सर्वेक्षण किया जाएगा तथा मास्टर प्लान तैयार किया जायेगा।

(2) मास्टर प्लान तैयार करने के सम्बन्ध में उपधारा 3(1) के अधीन नियुक्त अधिकारी प्राधिकारी को सलाह देने के लिए राज्य सरकार एक सलाहकार परिषद् का गठन कर सकेगी, जिसमें एक अध्यक्ष और इतने सदस्य होंगे जितने राज्य सरकार उचित समझे।

4. मास्टर प्लान की अन्तर्वस्तु :–

(क) मास्टर प्लान में वे विभिन्न जोन परिनिश्चित किये जाएंगे जिनमें उस नगरीय क्षेत्र को, जिसके लिए मास्टर प्लान बनाया गया है, सुधार प्रयोजनार्थ विभाजित किया जाए तथा वह रीति उपदर्शित की जाएगी जिसमें प्रत्येक जोन की भूमि का उपयोग किये जाने का प्रस्ताव है और

(ख) उस ढाँचे के विभिन्न जोनों की सुधार स्कीमें तैयार की जायें, आधारभूत पैटर्न के रूप में काम में आएगा।

5. अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया :–

(1) मास्टर प्लान तैयार करने के लिए नियुक्त अधिकारी या प्राधिकारी शासकीय रूप में कोई अंतिम मास्टर प्लान तैयार करने से पूर्व मास्टर प्लान का प्रारूप, उसकी एक प्रति निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराकर और इस निमित्त बनाये गए नियमों द्वारा विहित प्रारूप में और रीति से एक नोटिस में विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व मास्टर प्लान के प्रारूप के संबंध में आपत्ति तथा सुझाव आमंत्रित किये जायेंगे, प्रकाशित करेगा।

6. मास्टर प्लान का सरकार को प्रस्तुत किया जाना :–

(1) प्रत्येक मास्टर प्लान तैयार किये जाने के पश्चात् यथासम्भव शीघ्र राज्य सरकार को विहित रीति से अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

(2) राज्य, सरकार मास्टर प्लान तैयार करने के लिए नियुक्त अधिकारी या प्राधिकारी को, ऐसी जानकारी जिसकी वह इस धारा के अधीन उसको प्रस्तुत मास्टर प्लान का अनुमोदन करने के प्रयोजनार्थ अपेक्षा करें, प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकेगी।

(3) राज्य सरकार या तो मास्टर प्लान को उपान्तरणों के बिना या ऐसे उपान्तरणों के साथ जो वह आवश्यक समझे, अनुमोदित कर सकेगी या कोई नया मास्टर प्लान तैयार करने का निर्देश देते हुए उसे अस्वीकार कर सकेगी।

7. मास्टर प्लान के प्रवर्तन की तारीख

राज्य सरकार द्वारा कोई मास्टर प्लान अनुमोदित कर दिये जाने के ठीक पश्चात् राज्य सरकार यह बतलाते हुए कि मास्टर प्लान का अनुमोदन कर दिया गया है तथा उस स्थान का नाम बतलाते हुए जहाँ मास्टर प्लान की प्रति का कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, विहित रीति से एक नोटिस प्रकाशित करेगी तथा मास्टर प्लान पूर्वोक्त नोटिस के सर्वप्रथम प्रकाशन की तिथि से प्रवर्तन में आ जायेगा।

राजस्थान नगर सुधार न्यास(सामान्य) नियम–1962 के उद्धरण

THE RAJASTHAN IMPROVEMENT TRUST

(GENERAL) RULES, 1962

[Notification No. F. 4 (32) LSG/A/59 dated 02.04.1962 published in the Rajasthan Gazette, Part IV-C Extra ordinary dated 08.06.1962 Page118]

In exercise of the powers conferred by sub- section (1) of section 74 of the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959 (Rajasthan Act 35 of 1959), the state Govemment here by makes the following Rules, namenly :-

RULES

1. Short title and commencement :

(1) These rules may be called" Rajasthan Urban Improvement Trust (General) Rules - 1962"

(2) These rules shall come into force upon their publication in the official Gazette.

2. Definitions- In these rules the subject or context otherwise requires-

(1) "Act" mean the Rajasthaan Urban Improvement Act., 1959 (Act No. 35 of 1959).

(2) " Trust" means a trust as constituted under the Act

(3) "Section" meens a Section of the Act

(4) Word and expressions used but not defined shall have the meaning assigned to them in the Act.

3. Manner of publication of draft Master plan and the contents there of under Section 5(i).

(1) The draft master plan perpared by the officer of the Authority apponted under section 3 of the Rajasthan Urban Improvement Act., 1959, Shall be published by him by making a copy there of available for inspection at the office of the Trust concerned and pulishing a notice in the form "A in the official Gazette and in at least two popular daily newspapers having circulation in the area inviting suggestions and objections from every person with respect of the Draft Master Plan within a period of 30 days from the date of publication of the said notice. If the officer or authority appointed under secion3 of the said Act is satisfied that response to the Draft Master Plan has been inadequate, the period may be extended fruther for a maximum period of 30 days for enabling more persons to file their objections \suggestions with respect to the draft of the Master plan.

(2) The notice referred to in sub-rule (i) together with a copy of the Draft Master Plan shall be sent by the officer or the Authority to each of the Local Body operationg in the area inculded in the Master plan.

(3) The Draft Master plan shall ordinarily consist of the following maps, plan and documents namely:-

(a) Town Map showing General Layout of the roads and streets in the Town.

(b) Base map showing the Generalised existing land use pattern, such as residential, commercial , industrial, public and semi-public uses etc.

(c) Draft Master Plan showing broadly the proposed land use Pattern. In the Urban area such as residential, commercial, industrial public and semi- public uses etc.

(d) Written analysis and witten statement to support the proposals.

(e) Any other maps, plans or matter which the officer or the authority deems fit or as the State Government may direct the officer or the authority in this regard.

4. Approval of Master Plan by the State Government under section 6 :

(1) After considering the objections, and representation which may be received by the Officer or the authority appointed under Section 3 to prepare the Master Plan, the officer or the Authority shall in consultation with the Advisory Council [if constituted under Section 3(2) of the Act]finalize the Master Plan and submit the sameto the State Government for approval.

(2) When the Master Plan has been approved by the State Government, it shall publish in the official Gazette, a notice in Form 'B' stating that the Master Plan has been approved and a copy thereof would be available in the office of the Trust/Municipality concerned which may be inspected during office hours on any working day".]

---

1. Substituted by Clause 2 of Notification No. F.3(123)TP/36, 24-2-1970 vide C.S.R. 96 pub. in Raj. Gaz. Extra-ordin., Part IV-C, dated 24-2-1970 at page 329-331.
2. Amended & Added vide Noti. No. F.7(19) TP/11/76 dated 21-09-1979 R.G. Pt. IV-C (i) dated 27-09-1979, page 339.
3. Substituted by Clause 3 of Notification No. F.3(23) Tp/63, dated 24-2-1970 vide G.S.R. 96 pub. in Raj. Gaz. Extra-ordin., Part IV-C, dated 24-2-1970 at page 329-131.
4. Substituted vide No. F.9(101) UDH/111/83, dated 27-10-1983 pub. in Raj. Gaz. 4(Ga) (i) dated 16-2.1984 pages 829.

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः–प.10(9)नविवि/3/2011जयपुर दिनांक 27.5.2016

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 (राजस्थान अधिनियम संख्या 35 सन् 1959 की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार हनुमानगढ का मास्टर प्लान तैयार करने बाबत पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक प.10(9)नविवि/3/2011, जयपुर दिनांक 07.3.2011 को अधिक्रमित करते हुए हनुमानगढ (जिला हनुमानगढ) के नगरीय क्षेत्र जिसमें निम्नलिखित राजस्व ग्राम/चक सम्मिलित होंगे, का सिविक सर्वे करने एवं क्षितिज वर्ष 2035 तक के लिए मास्टर प्लान तैयार करने हेतु अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पश्चिम) राजस्थान, जयपुर को एतद्द्वारा नियुक्त करती है :–

राजस्व ग्राम/चकों के नाम					
क्रमांक	हिन्दी	अंग्रेजी	क्रमांक	हिंदी	अंग्रेजी
1	10 एच एम एच	10 HMH	20	1 एन डब्ल्यु एन	1 NWN
2	11 एच एम एच	11 HMH	21	2 एन डब्ल्यु एन	2 NWN
3	12 एच एम एच	12 HMH	22	3 एन डब्ल्यु एन	3 NWN
4	13 एच एम एच	13 HMH	23	41 एन जी सी	41 NGC
5	14 एच एम एच	14 HMH	24	42 एन जी सी	42 NGC
6	15 एच एम एच	15 HMH	25	43 एन जी सी	43 NGC
7	16 एच एम एच	16 HMH	26	44 एन जी सी	44 NGC
8	17 एच एम एच	17 HMH	27	45 एन जी सी	45 NGC
9	18 एच एम एच	18 HMH	28	46 एन जी सी	46 NGC
10	19 एच एम एच	19 HMH	29	47 एन जी सी	47 NGC
11	20 एच एम एच	20 HMH	30	48 एन जी सी	48 NGC
12	1 जे आर के	1 JRK	31	49 एन जी सी	49 NGC
13	2 जे आर के	2 JRK	32	50 एन जी सी	50 NGC
14	3 जे आर के	3 JRK	33	51 एन जी सी	51 NGC
15	5 जे आर के	5 JRK	34	2 आर आर डब्ल्यु	2 RRW
16	1 के एन जे	1 KNJ	35	3 आर आर डब्ल्यु 'ए'	3 RRW "A"
17	2 के एन जे	2 KNJ	36	3 आर आर डब्ल्यु 'बी'	3 RRW "B"
18	3 के एन जे	3 KNJ	37	4 आर आर डब्ल्यु	4 RRW
19	5 के एन जे	5 KNJ	38	2 एस टी डी	2 STD

39	3 एस टी डी	3 STD	47	3 एस एन एम	3 SNM
40	1 एस टी जी	1 STG	48	4 एस एन एम	4 SNM
41	2 एस टी जी	2 STG	49	6 एस एन एम	6 SNM
42	3 एस टी जी	3 STG	50	12 एल एल डब्ल्यु	12 LLW
43	4 एस टी जी	4 STG	51	14 एल एल डब्ल्यू	14 LLW
44	1 एम ओ डी	1 MOD	52	14 एस एस डब्ल्यू	14 SSW
45	1 एस एन एम	1 SNM	53	16 एस एस डब्ल्यू	16 SSW
46	2 एस एन एम	2 SNM			

राज्यपाल की आज्ञा से

ह०
(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त भाासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवयक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को मय सीडी प्रेषित कर लेख है कि अधिसूचना को राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशन करवाकर एक प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करें।
2. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
4. जिला कलक्टर, हनुमानगढ।
5 अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पश्चिम), राजस्थान, जयपुर।
6 वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर जोन, बीकानेर।
7 आयुक्त, नगर परिषद्, हनुमानगढ।
8 रक्षित पत्रावली।

(प्रदीप कपूर)
वरिष्ठ नगर नियोजक

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः–प.10(9)नविवि/3/2011 जयपुर दिनांक 19.4.2018

अधिसूचना

इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27.5.2016 द्वारा हनुमानगढ मास्टर प्लान बनाने हेतु राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 (राजस्थान अधिनियम संख्या 35 सन् 1959) की धारा 3(1) के अन्तर्गत नगरीय क्षेत्र में 53 राजस्व ग्राम/चक सम्मिलित किये गये थे, की निरन्तरता में निम्नलिखित नौ (9) राजस्व ग्राम/चक विलोपित किये जाते हैं :–

क्रमांक	राजस्व ग्राम/चक का नाम (हिन्दी में)	राजस्व ग्राम/चक का नाम (अंग्रेजी में)
1	16 एस एस डब्ल्यू	16 SSW
2	20 एच एम एच	20 HMH
3	6 एस एन एम	6 SNM
4	4 एस एन एम	4 SNM
5	4 एस टी जी	4 STG
6	1 एम ओ डी	1 MOD
7	5 जे आर के	5 JRK
8	3 जे आर के	3 JRK
9	42 एन जी सी	42 NGC

राज्यपाल की आज्ञा से

(अर्जुन राम चौधरी)
संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को मय सीडी भेजकर लेख है कि अधिसूचना का प्रकाशन राजपत्र के असाधारण अंक में करवाकर एक प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करें।
2 प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान जयपुर।
3 मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
4 अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पश्चिम), राजस्थान, जयपुर।
5 जिला कलक्टर, हनुमानगढ।
6 वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर जोन, बीकानेर।
7 आयुक्त, नगर परिषद्, हनुमानगढ।
8 रक्षित पत्रावली।

ह.
संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय